रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 2018/आषाढ़ 6, 1940
No. 242] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 2018/ASHADHA 6, 1940

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
अधिसूचना

सागर, 20 जून, 2018

सं. आर/2018/परिनियम संशोधन/311.—सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति ने डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, के कुलाध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 2(4) एवं परिनियम 13 जो कि क्रमशः डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के कुलपति के दूसरे कार्यकाल एवं विद्यापरिषद् से संबंधित है, में संशोधन हेतु अपनी सहमति प्रदान की है, जिसके बारे में मानव संशाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या क्रमशः एफ.नं. 56–12/2011–डेस्क(यू) दिनांक 29 अप्रैल, 2013 एवं एफ.नं. 56–5/2016–सी.यू. IV दिनांक 04.09.2017 द्वारा सूचित किया है।

परिनियम 2(4) में संशोधन

विद्यमान	संशोधित
2(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।	**2(4)** कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे और वे **एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।**
परंतु उक्त पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी वह अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है, और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।	कोई परिवर्तन नहीं
परंतु यह और कि कुलाध्यक्ष यह निदेश दे सकेंगे कि ऐसा कोई कुलपति जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक, जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपने पद पर बने रहेंगे।	कोई परिवर्तन नहीं

परिनियम 13 में संशोधन

वर्तमान परिनियम	संशोधित परिनियम
13(1) विद्यापरिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगेः	13(1) विद्यापरिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगेः
(i) कुलपति (पदेन सभापति);	(i) कुलपति (पदेन सभापति);
(ii) सम–कुलपति (पदेन सदस्य);	(ii) सम–कुलपति (पदेन सदस्य);
(iii) सभी अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता (पदेन सदस्य);	(iii) सभी अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता (पदेन सदस्य);
(iv) समस्त शिक्षण विभागों/केन्द्रों के विभागाध्यक्ष (पदेन सदस्य)	(iv) समस्त शिक्षण विभागों/केन्द्रों के विभागाध्यक्ष (पदेन सदस्य)
(v) विभिन्न अध्ययनशालाओं को प्रतिनिधित्व देते हुए कुलपति द्वारा नामित दस प्रोफेसर (जो अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता या विभाग/केन्द्र के अध्यक्ष न हो);	(v) विभिन्न अध्ययनशालाओं को प्रतिनिधित्व देते हुए कुलपति द्वारा नामित दस प्रोफेसर (जो अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता या विभाग/केन्द्र के अध्यक्ष न हो);
(vi) कुलपति द्वारा नामित एक सह–प्रोफेसर, जो शैक्षणिक विभाग का अध्यक्ष न हो;	(vi) कुलपति द्वारा नामित एक सह–प्रोफेसर, जो शैक्षणिक विभाग का अध्यक्ष न हो;
(vii) कुलपति द्वारा नामित पाँच सहायक प्रोफेसर;	(vii) कुलपति द्वारा नामित पाँच सहायक प्रोफेसर;
(viii) पुस्तकालयाध्यक्ष;	(viii) पुस्तकालयाध्यक्ष;
(ix) विद्यापरिषद् द्वारा सहयोजित शैक्षणिक प्रगति एवं विकास का विशेष ज्ञान रखने वाले छः व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों;	(ix) विद्यापरिषद् द्वारा सहयोजित शैक्षणिक प्रगति एवं विकास का विशेष ज्ञान रखने वाले छः व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों;
	(x) कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य जो विश्वविद्यालय के पुराछात्र हों तथा अकादमिक एवं सार्वजनिक जीवन में विशेष योग्यता रखते हों;
	(xi) पंजीकृत शोधछात्रों में से एक सदस्य जिसे निदेशक, अकादमिक गतिविधियाँ की संस्तुति पर कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए नामित किया जायेगा;
	(xii) छात्र परिषद में से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का एक सदस्य जिसे अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की संस्तुति पर कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए नामित किया जायेगा;
(2) अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियाँ एवं कुलानुशासक पदेन सदस्य होंगे;	(2) अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियाँ एवं कुलानुशासक पदेन सदस्य होंगे;
(3) पदेन सदस्यों को छोड़कर विद्यापरिषद् के सभी सदस्य तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;	(3) पदेन सदस्यों को छोड़कर विद्यापरिषद् के सभी सदस्य तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;
(4) सभापति को छोड़कर विद्यापरिषद् के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से, जिसमें कम–से–कम तीन बाहरी सदस्य हों, विद्यापरिषद् की बैठक की गणपूर्ति होगी।	(4) सभापति को छोड़कर विद्यापरिषद् के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से, जिसमें कम–से–कम तीन बाहरी सदस्य हों, से विद्यापरिषद् की बैठक की गणपूर्ति होगी।

कर्नल राकेश मोहन जोशी (से.नि.), कुलसचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./118/18–19]

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(A Central University established by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

Sagar, the 20th June, 2018

No. R/2018/ Statute Amendment/ 311.—This is to notify for the information of all concerned that the President of India in his capacity as the Visitor of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar, has been pleased to approve the proposed amendments in Statute 2(4) and Statute 13 of the Central Universities Act, 2009 relating respectively to re-appointment of the Vice-chancellor and Academic Council of Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, as conveyed by the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, New Delhi, vide letter F. No. 56-12/2011-Desk(U) dated 29th April, 2013 and letter F. No. 56-5/2016-CU. IV dated 04-09-2017 respectively.

Amendment in Statute 2(4)

Existing	Amended
2(4) The Vice Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier, and he shall not be eligible for re-appointment:	2(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier, and **he shall be eligible for re-appointment for another term.**
Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office:	No Change
Provided further that Visitor may direct any Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified by him.	No Change

IndiaCode

Amendment in Statute 13

Existing	**Amended**
13(1) The Academic Council shall consist of the following members namely:	13(1) The Academic Council shall consist of the following members namely:
(i) Vice-Chancellor (Ex-officio Chairman);	(i) Vice-Chancellor (Ex-officio Chairman);
(ii) Pro-Vice-Chancellor (Ex-officio Member);	(ii) Pro-Vice-Chancellor (Ex-officio Member);
(iii) Deans of Schools of Studies (Ex-officio members);	(iii) Deans of Schools of Studies (Ex-officio members);
(iv) Heads of Teaching Departments/Centers (Ex-officio members);	(iv) Heads of Teaching Departments/Centers (Ex-officio members);
(v) Ten Professors (excluding those who are Deans of Schools of Studies and Heads of the Departments/Centers), to be nominated by the Vice-Chancellor, giving due regard to representation of different Schools;	(v) Ten Professors (excluding those who are Deans of Schools of Studies and Heads of the Departments/Centers), to be nominated by the Vice-Chancellor, giving due regard to representation of different Schools;
(vi) One Associate Professor who is not Head of the Teaching Department, to be appointed by the Vice-Chancellor;	(vi) One Associate Professor who is not Head of the Teaching Department, to be appointed by the Vice-Chancellor;
(vii) Five Assistant Professors, to be appointed by the Vice-Chancellor;	(vii) Five Assistant Professors, to be appointed by the Vice-Chancellor;

(viii) Librarian;	(viii) Librarian;
(ix) Six persons not in the service of the University, co-opted by the Academic Council for their special knowledge in educational progress and development;	(ix) Six persons not in the service of the University, co-opted by the Academic Council for their special knowledge in educational progress and development;
	(x) ***Two members who are Alumni of this University and having distinction in academic and public life, to be nominated by the Vice-Chancellor.***
	(xi) ***One member from registered research scholar to be nominated by the Vice-Chancellor on the recommendations of Director of Academic Affairs for a term of one year.***
	(xii) ***One member of post graduate programme from Students' Council to be nominated by the Vice-Chancellor on the recommendations of Dean, Student Welfare, for a term of one year.***
(2) Dean, Student Affairs and Proctor shall be Ex-officio Members;	(2) Dean, Student Affairs and Proctor shall be Ex-officio Members;
(3) All Members of the Academic Council, other than the Ex-Officio members, shall hold office for a term of three years;	(3) All Members of the Academic Council, other than the Ex-Officio members, shall hold office for a term of three years;
(4) Half of the total members of the Academic Council, including at least three persons not in the service of the University, excluding the Chairman; shall form a quorum for the meeting of the Academic Council.	(4) Half of the total members of the Academic Council, including at least three persons not in the service of the University, excluding the Chairman; shall form a quorum for the meeting of the Academic Council.

Colonel RAKESH MOHAN JOSHI (Retd.), Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./118/18-19]

अधिसूचना

सागर, 20 जून, 2018

सं. आर/2018/अध्यादेश/312.—यह अधिसूचित किया जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28 एवं विश्वविद्यालय की संविधि 37 के तहत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में निहित शक्तियों के अधीन कार्यपरिषद् द्वारा समय–समय पर विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अध्यादेश बनाए/संशोधित किये गये हैं:

क्रम संख्या	अध्यादेश संख्या	विवरण
1.	7 (पुनर्संरचित)	अध्ययनशालाओं के अंतर्गत विभाग
2.	9 (संशोधित)	विभागों/केन्द्रों के अध्यक्ष के कर्त्तव्य
3.	10 (पुनर्संरचित)	विधार्थियों का विश्वविद्यालय में प्रवेश एवं पंजीयन
4.	18(पुनर्संरचित)	विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा देय शुल्क
5.	22 (अ) (संशोधित)	शोध–उपाधि कार्यक्रम(प्रोग्राम) के अतिरिक्त अन्य अध्ययन कार्यक्रमों(प्रोग्राम्स) के अध्यापन का माध्यम, अकादमिक कार्यक्रमों(प्रोग्राम्स) का प्रबंधन, परीक्षा, मूल्यांकन तथा ग्रेडिंग प्रणाली
6.	22 (ब) (नया)	पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन कार्यक्रमों(प्रोग्राम्स) तथा उपाधि, डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु शर्तें
7.	23 (ब) (संशोधित)	विज्ञान वाचस्पति (डी.एससी.) साहित्य वारिधि (डी.लिट.) एवं विधि वाचस्पति (एलएल.डी.) की उपाधि प्रदान करना
8.	33(संशोधित)	अध्ययनशाला में विभागों का गठन, उनके कार्य एवं कर्त्तव्य
9.	34(संशोधित)	परीक्षकों की नियुक्ति
10.	39(पुनर्संरचित)	विद्यार्थियों का प्रवेश, नामांकन प्रव्रजन और स्थानांतरण
11.	42(पुनर्संरचित)	अध्ययन–पाठ्यक्रम
12.	53(संशोधित)	पुस्तकालय समिति
13.	55(नया)	अकादमिक कार्यक्रम(प्रोग्राम) समिति
14.	57(नया)	अक्षय निधियों से पदक

IndiaCode

विश्वविद्यालय की संविधि 37 के प्रावधानों के अनुसार कार्यपरिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश कार्यपरिषद् के अनुमोदन उपरांत तुरन्त प्रभावी होगा।

अध्यादेश–7*

अध्ययनशालाओं के अंतर्गत विभाग

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियमों के परिनियम 15(5)(क) के तहत)

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययनशालाएँ एवं उनके अंतर्गत निम्नलिखित विभाग/केन्द्र होंगे। विभिन्न अध्ययनशालाओं एवं विभागों हेतु निम्नलिखित संक्षिप्तियाँ एवं तदनुसार कोड निर्धारित किए गए हैं।

क्र.सं.	अध्ययनशाला(ओं) के नाम	संक्षिप्ति	कोड
1.	**कला एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला**	**(एआईएस)**	**10**
क)	संचार एवं पत्रकारिता विभाग	(जेएमसी)	11
ख)	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग	(एलआईएस)	15
ग)	ललित कला एवं प्रदर्शन कला विभाग	(एफएपी)	16
घ)	संगीत विभाग	(डीओएम)	18

2.	**मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान अध्ययनशाला**	**(एचएसएस)**	**20**
क)	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	(एआईएच)	21
ख)	अर्थशास्त्र विभाग	(ईसीओ)	22
ग)	इतिहास विभाग	(एचआईएस)	23
घ)	दर्शनशास्त्र विभाग	(पीएचएल)	24
ड़)	मनोविज्ञान विभाग	(पीएसवाई)	25
च)	राजनीति विज्ञाान एवं लोक प्रशासन विभाग	(पीपीए)	26
छ)	समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग	(एसएसडब्ल्यू)	27

3.	**भाषा अध्ययनशाला**	**(एसओएल)**	**30**
क)	अँग्रेजी एवं यूरोपीय भाषा विभाग	(ईईएल)	31
ख)	हिन्दी विभाग	(एचआइएन)	32
ग)	भाषाविज्ञान विभाग	(एलएनजी)	33
घ)	मराठी विभाग	(एमआरटी)	34
ड़)	संस्कृत विभाग	(एसएएन)	35
च)	उर्दू एवं परशियन विभाग	(यूएपी)	36

4.	**व्यावहारिक विज्ञान अध्ययनशाला**	**(एसएएस)**	**40**
क)	मानवविज्ञान विभाग	(एएनटी)	41
ख)	अपराधशास्त्र एवं न्यायालयिक विज्ञान विभाग	(सीएफएस)	42
ग)	सामान्य एवं व्यावहारिक भूगोल विभाग	(जीओजी)	44

5.	**अभियांत्रिकी एवं तकनीकी अध्ययनशाला**	**(ईएटी)**	**50**
क)	व्यावहारिक भूगर्भशास्त्र विभाग	(जीईओ)	51
ख)	शैषजिक विज्ञान विभाग	(पीएचएस)	54

6.	**जैविकविज्ञान अध्ययनशाला**	**(एसबीएस)**	**60**
क)	वनस्पतिविज्ञान विभाग	(बीओटी)	61
ख)	जैवप्रौद्योगिकी विभाग	(बीआईटी)	62
ग)	सूक्ष्म जैवविज्ञान विभाग	(एमआईसी)	64
घ)	जीवविज्ञान विभाग	(जेडओओ)	65

7.	**रसायन विज्ञान एवं तकनीकी अध्ययन''ाला**	**(एससीटी)**	**56**
क)	रसायन विभाग	(सीएचई)	66

8.	**गणितीय एवं भौतिकीय विज्ञान अध्ययनशाला**	**(एमपीएस)**	**70**
क)	कम्प्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग विभाग	(सीएसए)	71

IndiaCode

ख)	गणित एवं सांख्यिकी विभाग	(एमटीएस)	72
ग)	भौतिकी विभाग	(पीएचवाई)	73

9.	**वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला**	**(एससीएम)**	**80**
क)	वाणिज्य विभाग	(सीओएम)	81
ख)	व्यवसाय प्रबंध विभाग	(बीयूएम)	82

10.	**विधि अध्ययनशाला**	**(एसएएल)**	**90**
क)	विधि विभाग	(एलएडब्ल्यू)	91

11.	**शैक्षिक अध्ययन अध्ययनशाला**	**(एसईएस)**	**94**
क)	शिक्षा विभाग	(ईडीयू)	95
ख)	शारीरिक शिक्षा विभाग	(पीईडी)	96
ग)	योग शिक्षा विभाग	(वाईएससी)	97
घ)	प्रौढ़ शिक्षा विभाग	(एईडी)	98

2. विश्वविद्यालय यूजीसी से पूर्व–प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर किसी भी अध्ययन शाला में ऐसी नयी अध्ययनशाला(यें)/विभाग/केन्द्र जोड़ सकता है जो वर्तमान में विद्यमान नहीं है।

IndiaCode

<u>अध्यादेश–9</u>**

विभागों/केन्द्रों के अध्यक्ष के कर्त्तव्य

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28(1(0))के तहत**)**

विद्यमान	**संशोधित**
	शीर्षक को इस प्रकार से स्थानापन्न किया जाता है। **विभागों/केन्द्रों के अध्यक्ष एवं उनके कार्य**
विभागाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए विभाग के प्रोफेसरों में से, और यदि विभाग में कोई प्रोफेसर न हो तो असोशिएट प्रोफेसरों में से, और यदि विभाग में कोई असोशिएट प्रोफेसर न हो तो विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसरों में से चक्रानुक्रमानुसार की जायेगी।	इसे विलोपित कर निम्नानुसार स्थानापन्न किया जाता है। : 1. प्रत्येक विभाग/केन्द्र का एक अध्यक्ष होगा जिनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए विभाग के प्रोफेसरों में से चक्रानुक्रमानुसार की जायेगी; परंतु यदि किसी विभाग में केवल एक प्रोफेसर या कोई प्रोफेसर नहीं है तो कुलपति असोशिएट प्रोफेसर में से भी किसी को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए विभाग/केन्द्र का अध्यक्ष नियुक्ति कर सकते हैं। परंतु यदि किसी विभाग/केन्द्र में कोई भी प्रोफेसर या असोशिएट प्रोफेसर नहीं है तो कुलपति संबंधित अध्ययनशाला के किसी प्रोफेसर को या यदि संबंधित अध्ययनशाला में कोई प्रोफेसर या असोशिएट प्रोफेसर नहीं है तो किसी भी प्रोफेसर को जिसे वे उपयुक्त समझें को अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं।

	परन्तु यह भी कि विभाग/केन्द्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस रूप में नियुक्ति की तिथि से नियुक्ति अवधि तक (या उससे पूर्व संकाय सदस्य ना रहने या अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देने तक) पद धारण करेगा।
विभागाध्यक्ष विभाग की बैठक बुलायेंगे एवं उसकी अध्यक्षता करेंगे जो कि एक सेमेस्टर में कम–से–कम दो बार आयोजित होनी चाहिए।	कोई परिवर्तन नहीं इसे क्र. 2 दिया जाता है
वे अधिष्ठाता के सामान्य पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे एवं निम्नलिखित कार्यों हेतु उत्तरदायी होंगे– 1. विभाग में शिक्षण एवं शोध गतिविधियों को व्यवस्थित करना एवं देखरेख करना। 2. विभाग द्वारा आवंटित शिक्षण–कार्य के अनुरूप समय–सारिणी तैयार करना। 3. शिक्षकों के माध्यम से कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाए रखना। 4. विभाग के सुचारू संचालन हेतु विभाग के शिक्षकों को ऐसे कर्त्तव्यों को सौंपना, जो आवश्यक हों। 5. विभाग के गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना एवं उन्हें कार्य सौंपना; तथा 6. अधिष्ठाता, संबंधित अध्ययनशाला मंडल(स्कूल बोर्ड), विद्यापरिषद्, कार्य परिषद् एवं कुलपति द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना।	इसके स्थान पर निम्नलिखित स्थानापन्न किया जाता है– 3. विभाग/केन्द्र के अध्यक्ष अधिष्ठाता के सामान्य पर्यवेक्षण एवं देखरेख में कार्य करेंगे एवं निम्नलिखित कार्यों हेतु उत्तरदायी होंगे : (क) कोई परिवर्तन नहीं (ख) कोई परिवर्तन नहीं (ग) कोई परिवर्तन नहीं (घ) कोई परिवर्तन नहीं (ड़) कोई परिवर्तन नहीं (च) कोई परिवर्तन नहीं

अध्यादेश–10*

विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय में प्रवेश एवं पंजीयन

(नियमित परिसर शिक्षा हेतु)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 6(xviii) एवं 28(1)(क) के तहत)

1. विश्वविद्यालय में प्रवेश

(i) समस्त प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 द्वारा स्थापित 15 नवीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिए जायेंगे।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्र विद्या परिषद्/या अन्य निकाय द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार होगा।

(iii) विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं में प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि का निर्धारण विद्यापरिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा।

(iv) विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि का निर्धारण विद्यापरिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा।

(v) विश्वविद्यालय के विभागों/अध्ययनशालाओं में आगामी सत्र में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की संख्या विद्यापरिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित की जायेगी। विभिन्न विभागों के कार्यक्रमो में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता का निर्धारण

अध्ययनशाला के अधिष्ठाता द्वारा विभागों/केन्द्रों के अध्यक्षों के परामर्श से प्रत्येक वर्ष किया जायेगा जो विनियमों द्वारा प्रदत्त छूट के आधीन होगा। विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश वरीयताक्रम के आधार पर दिया जायेगा।

(vi) ऐसे अभ्यर्थी जो किसी पाठ्यक्रम के लिए विहित योग्यता पूर्ण करते हैं, को उनके अकादमिक रिकार्ड तथा प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर उनके प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।

(vii) केवल उन अभ्यर्थियों के प्रवेश पर विचार किया जायेगा जिन्होंने तत्समय प्रभावी किसी विधि द्वारा निगमित भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड की परीक्षा या अन्य कोई मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(viii) अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांग, विदेशी विद्यार्थियों हेतु सीटों का आरक्षण भारत सरकार के तत्संबंधी नियमों/प्रतिमानकों के अनुसार होगा।

(ix) युद्ध—विधवाओं/सशस्त्र बलों के युद्ध या शांति के समय मृत/दिव्यांग कार्मिकों के पाल्यों हेतु सीटों का आरक्षण भारत सरकार के तत्संबंधी नियमों/प्रतिमानकों के अनुसार होगा।

(x) साधारणतया किसी भी छात्र को एक ही समय दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

नोट:— विश्वविद्यालय में किसी नियमित पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्र किन्हीं अन्य संस्थानों में सायंकालीन पाट—टाइम प्रमाण—पत्र, व्यावसायिक प्रकृति के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं।

(xi) विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में पंजीयन शुल्क का भुगतान करने पर ही किसी अभ्यर्थी को किसी अध्ययन शाला/विभाग के पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

(xii) विश्वविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी या तो विश्वविद्यालय के छात्रावास/हॉल ऑफ रेजिडेन्स का सदस्य होगा या फिर विश्वविद्यालय का अनिवासी छात्र।

(xiii) यदि किसी समय यह ज्ञात होता है कि अभ्यर्थी ने असत्य या त्रुटिपूर्ण विवरण दिया है अथवा प्रवेश हेतु अन्य कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग किया है तो उसका नाम विश्वविद्यालय की पंजी से हटा दिया जायेगा।

(xiv) काउंसिलिंग के पश्चात् योग्य अभ्यर्थियों की सूची पंजीयन समिति (Registration Committee) के अध्यक्ष/अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं/विभागाध्यक्षों को पंजीयन हेतु प्रेषित की जायेगी।

2. विश्वविद्यालय में पंजीयन

(i) प्रवेशित विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता/विभागाध्यक्षों द्वारा पंजीयन समिति का गठन किया जायेगा।

(ii) अध्ययनशाला के अधिष्ठाता अध्ययनशाला की पंजीयन समिति के अध्यक्ष होंगे।

(iii) स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम संयोजक एवं अध्ययनशाला समिति के स्नातक/स्नातकोत्तर अध्यक्ष पंजीयन समिति का सहयोग करेंगे।

(iv) प्रत्येक विद्यार्थी को पंजीयन की निश्चित तिथि पर पंजीकृत होना होगा ऐसा ना होने पर विद्यार्थी का पंजीयन निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार हो सकेगा।

(v) पंजीयन प्रपत्र विद्यार्थी द्वारा तीन प्रतियों में भरा जायेगा। अध्ययनशाला के अधिष्ठाता/ विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने के पश्चात् प्रपत्र की एक प्रति पंजीकृत विद्यार्थी को दी जायेगी। प्रपत्र की द्वितीय प्रति भावी रिकार्ड हेतु अध्ययनशाला के अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष के पास रखी जानी चाहिये। विधिवत भरी हुयी तृतीय प्रति निदेशक, अकादमिक गतिविधियाँ के कार्यालय में जमा की जायेगी।

(vi) यदि किसी विद्यार्थी द्वारा लिए गए विषय भिन्न अध्ययनशालाओं से संबंधित हैं तो विद्यार्थी का पंजीयन उस अध्ययनशाला में होगा जिस अध्ययन शाला से दो विषय संबंधित हों।

(vii) यदि विद्यार्थी द्वारा वांछित सभी विषय अलग—अलग अध्ययनशालाओं से संबंध रखते हैं तो विद्यार्थी स्वेच्छानुसार किसी भी अध्ययनशाला में पंजीयन करा सकते हैं। किसी भी अध्ययनशाला द्वारा उन्हें मना नहीं किया जायेगा।

(viii) विद्यार्थी पंजीयन—प्रपत्र का प्रयोग परीक्षाओं हेतु प्रवेश—पत्र, परिचय—पत्र या अन्य वांछित संदर्भों में कर सकेगा।

(ix) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु पंजीयन विभागाध्यक्ष एवं स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु पंजीयन अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

(x) विद्यार्थियों को पजीयन क्रमांक का आबंटन निदेशक, अकादमिक गतिविधियाँ के कार्यालय द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट पद्धति में किया जायेगा।

(xi) प्रत्येक अकादमिक सत्र के प्रत्येक सेमेस्टर में पंजीयन होगा।

(xii) विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थियों के सम्पूर्ण पूर्व रिकार्ड का रखरखाव स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु विभागाध्यक्षों एवं स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं द्वारा किया जायेगा।

(xiii) एक से अधिक सेमेस्टर में 7 प्वाइंट ग्रेड पैमाने पर 2.00 से कम सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को उत्तरवर्ती विषम सेमेस्टर में पंजीकृत नहीं किया जायेगा। जैसे : प्रथम एवं द्वितीय दोनों सेमेस्टर में 2.00 एसजीपीए से कम अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को तृतीय सेमेस्टर में पंजीकृत नहीं किया जायेगा।

उसी प्रकार प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक में से किन्ही दो सेमेस्टर में 2.00 सीजीपीए से कम अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को पाँचवें सेमेस्टर तथा आगामी सेमेस्टरों में पंजीकृत नहीं किया जायेगा। यह नियम शोधार्थियों पर लागू नहीं होगा।

(xiv) किसी विषम सेमेस्टर में पंजीकृत विद्यार्थी आगामी सम–सेमेस्टर में पंजीयन के हकदार हैं। हालाँकि, कोर्सवर्क के दौरान अध्यादेश 23 के अनुसार यथावांछित न्यूनतम एसजीपीए/सीजीपीए अर्जित ना कर सकने वाले पी–एच.डी. विद्यार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में पंजीकृत नहीं किया जायेगा।

अध्यादेश–18*

विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा देय शुल्क

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 18(1)(ई) के तहत)

1. देय शुल्क :

1.1 विद्यापरिषद् की अनुशंसा पर कार्यपरिषद् समय–समय पर विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क निर्धारित करेगी।

1.2 निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थियों को शुल्क भुगतान से छूट दी जाएगी :

(क) अंशकालिक कार्यक्रम (प्रोग्राम) में पंजीकृत विद्यार्थी

- चिकित्सा शुल्क

(ख) वे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं

- शिक्षण शुल्क
- पुस्तकालय शुल्क
- चिकित्सा शुल्क
- सुरक्षा निधि

नोट: इस खंड के प्रावधान विश्वविद्यालय के संविदा/तदर्थ/दैनिक वेतनभोगी नियोजितों पर लागू नहीं होंगे।

(ग) वे विद्यार्थी जो कर्मचारियों के बच्चे हैं।

1. शिक्षण शुल्क
2. चिकित्सा शुल्क
3. सुरक्षा निधि (यदि एक उपयुक्त प्रतिभूति/वचन दिया गया है।)

2. शुल्क भुगतान की नियत तिथि :

विद्यार्थी निम्नलिखित प्रकार से शुल्क जमा करेंगे :

2.1 सेमेस्टर प्रणाली में शुल्क का भुगतान सेमेस्टर के प्रारम्भ के समय किया जायेगा।

2.2 वार्षिक शुल्क का भुगतान प्रत्येक अकादमिक वर्ष के प्रारंभ में किया जायेगा।

2.3 यदि कोई विद्यार्थी समय पर शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उस पर विद्यापरिषद् द्वारा नियत अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

3. दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को छूट :

दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को सुरक्षा निधि के सिवाय अन्य सभी शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

4. शुल्क, सुरक्षा निधि इत्यादि की वापसी :

4.1 विद्यार्थी के विश्वविद्यालय छोड़ने एवं आवेदन देने पर उस पर समस्त बकाया, जुर्माना एवं उसके खिलाफ दर्ज अन्य दावों की कटौती करने के बाद शेष सुरक्षा निधि वापस की जायेगी

4.2 यदि कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय छोड़ने के एक कैलेंडर वर्ष के भीतर अपनी जमा राशि की वापसी का दावा नहीं करता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण : एक वर्ष की अवधि की गणना विद्यार्थी द्वारा दी गयी परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि या विश्वविद्यालय की पंजी से उसका नाम हटाये जाने की तिथि से की जायेगी।

4.3 यदि शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् विद्यार्थी किसी कार्यक्रम (प्रोग्राम) से नाम वापस लेता है तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार शुल्क वापस किया जायेगा।

4.4 पंजीकरण की अंतिम तिथि के 15 दिनों के बाद नाम वापसी का आवेदन प्राप्त होने पर विद्यार्थी को केवल सुरक्षा निधि की वापसी की पात्रता होगी।

IndiaCode

4.5 यदि किसी विद्यार्थी पर विश्वविद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुँचाने के कारण विश्वविद्यालय को कोई धनराशि देय है तो यह धनराशि बकाया शिक्षण शुल्क एवं अर्थदण्ड, यदि कोई है, के साथ इसकी कटौती भी विद्यार्थी को देय सुरक्षा निधि से की जायेगी।

5. अंकपत्र जारी करने एवं अन्य मामलों के लिए लिया जाने वाला शुल्क :

5.1 अंकपत्र की दूसरी प्रति एवं समेकित प्रतिलेख प्रदान करने हेतु विद्यापरिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।

5.2 स्थानांतरण, अस्थायी एवं अन्य प्रमाण–पत्र या उनकी दूसरी प्रतियाँ जारी करने हेतु विद्यापरिषद् द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।

5.3 विश्वविद्यालय पंजी में मूल अभिलेख के रूप में अपने नाम में कुछ जोड़ने या परिवर्तन करने के विद्यार्थी को शुल्क का भुगतान करना होगा तथा उसके नाम में इस प्रकार के जोड़ने या परिवर्तन को आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद विश्वविद्यालय नामांकन पंजी में दर्ज मूल नाम के उर्फ के रूप में दर्ज किया जायेगा।

अध्यादेश– 22(अ)***

शोध–उपाधि कार्यक्रम (प्रोग्राम) के अतिरिक्त अन्य अध्ययन कार्यक्रमों(प्रोग्राम्सं) के अध्यापन का माध्यम, अकादमिक कार्यक्रमों (प्रोग्राम्सं) का प्रबंधन, परीक्षा, मूल्यांकन तथा ग्रेडिंग प्रणाली

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28(1)(सी) एवं 28(1)(जी) के तहत)

विद्यमान	संशोधन	संशोधन उपरांत
अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम : 1. भाषाओं में अध्ययन एवं शोध के सिवाय, अध्ययनशाला, विभाग एवं अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित सभी अध्ययन–कार्यक्रमों(प्रोग्राम्स) के अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी/हिन्दी होगा। 2. भाषा/साहित्य की परीक्षाओं के प्रश्न–पत्र पाठ्यक्रम की आवश्यकतानुसार पूर्ण या आंशिक रूप से संबधित भाषा में ही बनाये एवं उत्तरित किए जा सकते हैं। इसके सिवाय अन्य सभी परीक्षाओं के प्रश्न–पत्र अंग्रेजी/हिन्दी भाषा में बनाये एवं उत्तरित किए जायेंगे। 3. भाषा/साहित्य अध्ययन–कार्यक्रमों (प्रोग्राम) के मामलों में जिनमें संबंधित भाषा में लिखा जाना अपेक्षित है, के सिवाय परियोजना कार्य/परियोजना रिपोर्ट/लघु शोधप्रबंध/क्षेत्र कार्य रिपोर्ट/प्रशिक्षण रिपोर्ट इत्यादि, यदि कोई हों, अंग्रेजी/हिन्दी में ही लिखे जायेंगे।	**कोई परिवर्तन नहीं**	**अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम :** 1) भाषाओं में अध्ययन एवं शोध के सिवाय, अध्ययनशाला, विभाग एवं अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित सभी अध्ययन–कार्यक्रमों(प्रोग्राम्स) के अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी/हिन्दी होगा। 2) भाषा/साहित्य की परीक्षाओं के प्रश्न–पत्र पाठ्यक्रम की आवश्यकतानुसार पूर्ण या आंशिक रूप से संबधित भाषा में ही बनाये एवं उत्तरित किए जा सकते हैं। इसके सिवाय अन्य सभी परीक्षाओं के प्रश्न–पत्र अंग्रेजी/हिन्दी भाषा में बनाये एवं उत्तरित किए जायेंगे। 3) भाषा/साहित्य अध्ययन–कार्यक्रमों (प्रोग्राम) के मामलों में जिनमें संबंधित भाषा में लिखा जाना अपेक्षित है, के सिवाय परियोजना कार्य/परियोजना रिपोर्ट/लघु शोधप्रबंध/क्षेत्र कार्य रिपोर्ट/प्रशिक्षण रिपोर्ट इत्यादि, यदि कोई हों, अंग्रेजी/हिन्दी में ही लिखे जायेंगे।
अकादमिक कार्यक्रमों(प्रोग्राम्सं) का प्रबंधन एवं प्रशासन : **1. निदेशक, अकादमिक गतिविधियाँ :** सभी सीबीसीएस कार्यक्रमों(प्रोग्रामों) की योजना एवं समन्वय हेतु एक निदेशक, अकादमिक गतिविधियाँ (डोआ) होंगे। निदेशक, अकादमिक गतिविधियाँ के उत्तरदायित्वों में शामिल हैं– (i)(क) अकादमिक कैलेण्डर (ख) प्रवेश हेतु आवेदन एवं (ग) पंजीयन प्रपत्र की तैयारी।	**कोई परिवर्तन नहीं**	**अकादमिक कार्यक्रमों(प्रोग्राम्सं) का प्रबंधन एवं प्रशासन :** 1) **निदेशक, अकादमिक गतिविधियाँ :** सभी सीबीसीएस कार्यक्रमों(प्रोग्रामों) की योजना एवं समन्वय हेतु एक निदेशक, अकादमिक गतिविधियाँ (डोआ) होंगे। निदेशक, अकादमिक गतिविधियाँ के उत्तरदायित्वों में शामिल हैं– (i) (क) अकादमिक कैलेण्डर (ख) प्रवेश हेतु आवेदन एवं (ग) पंजीयन प्रपत्र की तैयारी। (ii) अध्ययनशालाओं एवं अन्य बाहरी संस्थाओं के मध्य कार्यक्रमों(प्रोग्रामों) का समन्वयन।

IndiaCode

(ii) अध्ययनशालाओं एवं अन्य बाहरी संस्थाओं के मध्य कार्यक्रमों(प्रोग्रामों) का समन्वयन। (iii) अध्ययनशालाओं के परामर्श से साझा समय– सारणी का समन्वयन (iv) सीबीसीएस से संबंधित प्रचालन समस्याओं के बारे में विद्यार्थियों द्वारा की गयी अपीलों पर विचार।		(iii) अध्ययनशालाओं के परामर्श से साझा समय–सारणी का समन्वयन (iv) सीबीसीएस से संबंधित प्रचालन समस्याओं के बारे में विद्यार्थियों द्वारा की गयी अपीलों पर विचार।
5. सीबीसीएस कार्यालय : विश्वविद्यालय के सीबीसीएस कार्यक्रमों(प्रोग्रामों) के उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु सीबीसीएस कार्यालय नामक एक अनन्य प्रशासनिक प्रखंड होगा। सीबीसीएस कार्यालय के निम्नलिखित कार्य होंगे : सीबीसीएस कार्यक्रमों (प्रोग्रामों) का विज्ञापन, विभागों/अध्ययनशालाओं/केन्द्रों द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश का अनुमोदन, पाठ्यक्रम पंजीयन, समय–सारणी का समन्वयन एवं अकादमिक कैलेण्डर तैयार करना।	**कोई परिवर्तन नहीं**	5 **सीबीसीएस कार्यालय :** विश्वविद्यालय के सीबीसीएस कार्यक्रमों (प्रोग्रामों) के उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु सीबीसीएस कार्यालय नामक एक अनन्य प्रशासनिक प्रखंड होगा। सीबीसीएस कार्यालय के निम्नलिखित कार्य होंगे : सीबीसीएस कार्यक्रमों(प्रोग्रामों) का विज्ञापन, विभागों/अध्ययनशालाओं/केन्द्रों द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश का अनुमोदन, पाठ्यक्रम पंजीयन, समय–सारणी का समन्वयन एवं अकादमिक कैलेण्डर तैयार करना।
6. विवरणिका एवं हैण्डबुक : (क) आवेदन प्रपत्र के साथ जारी की गयी विवरणिका में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे : (i) विश्वविद्यालय का विवरण, (ii) विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय के विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रम (प्रोग्राम), (iii) विभिन्न कार्यक्रमों हेतु अर्हता की शर्तें (iv) शुल्क संरचना (पाठ्यक्रम/कार्यक्रम) (प्रोग्रामों), परीक्षा व अन्य शुल्क) तथा (v) प्रवेश परीक्षा हेतु समय–सारणी (ख) प्रवेश के समय प्रवेशित विद्यार्थियों को दी गयी हैण्डबुक में निम्नलिखित होंगे– (i) सीबीसीएस विनियम तथा (ii) अकादमिक कैलेण्डर	**कोई परिवर्तन नहीं**	**6. विवरणिका एवं हैण्डबुक :** (क) आवेदन प्रपत्र के साथ जारी की गयी विवरणिका में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :(i) विश्वविद्यालय का विवरण, (ii) विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय के विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रम (प्रोग्राम), (iii) विभिन्न कार्यक्रमों हेतु अर्हता की शर्तें (iv) शुल्क संरचना (पाठ्यक्रम/कार्यक्रम) (प्रोग्रामों), परीक्षा व अन्य शुल्क) तथा (v) प्रवेश परीक्षा हेतु समय–सारणी (ख) प्रवेश के समय प्रवेशित विद्यार्थियों को दी गयी हैण्डबुक में निम्नलिखित होंगे– (i) सीबीसीएस विनियम तथा (ii) अकादमिक कैलेण्डर
7. विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि : विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन तय मानकों एवं देश के विश्वविद्यालयों में विद्यमान परिपाटी के अनुरूप होगा। इस प्रकार के कार्य सम्प्रेषण की प्रभाविकता के साथ–साथ शिक्षण की गुणवत्ता, शैली, रीति एवं पद्धति द्वारा सुनिश्चित होने वाले शिक्षक–शिष्य संबंधों के उच्चादर्शों को व्याख्यायित करेंगे। मूल्यांकन की शर्तें विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेंगी।	**कोई परिवर्तन नहीं**	**7. विद्यार्थियों की प्रतिपुश्टि** : विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन तय मानकों एवं देश के विश्वविद्यालयों में विद्यमान परिपाटी के अनुरूप होगा। इस प्रकार के कार्य सम्प्रेषण की प्रभाविकता के साथ–साथ शिक्षण की गुणवत्ता, शैली, रीति एवं पद्धति द्वारा सुनिश्चित होने वाले शिक्षक–शिष्य संबंधों के उच्चादर्शों को व्याख्यायित करेंगे। मूल्यांकन की शर्तें विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा गठित समिति

IndiaCode

मूल्यांकन–विन्यास से निम्नलिखित नीतियाँ तय होंगी– (i) पाठ्यक्रम की प्रकृति (ii) पाठ्यक्रम की प्रभावोत्पादकता (iii) विद्यार्थियों की बोधगम्यता (iv) सम्प्रेषण की प्रभावोत्पादकता (v) दृश्य–श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग(जहाँ लागू हो) (vi) शिक्षक/अनुदेशक की निष्ठा एवं नियमितता		द्वारा सुनिश्चित की जायेंगीं। मूल्यांकन–विन्यास से निम्नलिखित नीतियाँ तय होंगी– (i) पाठ्यक्रम की प्रकृति (ii) पाठ्यक्रम की प्रभावोत्पादकता (iii) विद्यार्थियों की बोधगम्यता (iv) सम्प्रेषण की प्रभावोत्पादकता (v) दृश्य–श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग (जहाँ लागू हो) (vi) शिक्षक/अनुदेशक की निष्ठा एवं नियमितता
परीक्षा प्रणाली : 8. विश्वविद्यालय के सभी अध्ययन पाठ्यक्रम (प्रोग्राम) सेमेस्टर प्रणाली के तहत संचालित होंगे तथा विद्यार्थियों की परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यापक सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीसीए) द्वारा होगा। 9. सामान्य सिद्धान्त के रूप में व्यापक सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं एंड सेमेस्टर परीक्षा के निम्नलिखित घटक होंगे – (i) मिड–टर्म परीक्षा20 प्रतिशत (ii) सतत आंतरिक मूल्यांकन.....20 प्रतिशत (iii)एंड–सेमेस्टर परीक्षा60 प्रतिशत 10. किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम की प्रकृति एवं आवश्यकता के आधार पर संबंधित विभाग/केन्द्र संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा विहित व्यापक सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीसीए) के सम्पूर्ण ढ़ांचे के भीतर अतिरिक्त/भिन्न घटक एवं विभिन्न घटकों हेतु भार (वेटेज) तय करने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु एंड–सेमेस्टर परीक्षा हेतु भार (वेटेज) 60 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। 11. संबंधित शिक्षक को सेमेस्टर के दौरान स्वयं द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा में व्यापक सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीसीए) के विस्तृत ब्यौरे एवं विभाजन का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। 12. एंड–सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रश्न–पत्रों की उत्तरावधि 03 घंटे की होगी तथा इसके निम्नलिखित भाग होंगे– (i) खंड क : इसमें एक–एक अंक के 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (कुल 10 अंक) (ii) खंड ख : इसमें पाँच–पाँच अंक के 06 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को इन 06 में से कोई भी 04 प्रश्न हल करने होंगे। (कुल 20 अंक) (iii) खंड ग : इसमें 10–10 अंक के 05 निबंधात्मक/दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को इन 05 प्रश्नों में से कोई भी 03 प्रश्न हल करने होंगे। (कुल 30 अंक)	**कोई परिवर्तन नहीं**	**परीक्षा प्रणाली :** 8. विश्वविद्यालय के सभी अध्ययन पाठ्यक्रम (प्रोग्राम) सेमेस्टर प्रणाली के तहत संचालित होंगे तथा विद्यार्थियों की परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यापक सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीसीए) द्वारा होगा। 9. सामान्य सिद्धान्त के रूप में व्यापक सत्त आंतरिक मूल्यांकन एवं एंड सेमेस्टर परीक्षा के निम्नलिखित घटक होंगे – (i) मिड–टर्म परीक्षा20 प्रतिशत (ii) सत्त आंतरिक मूल्यांकन.....20 प्रतिशत (iii)एंड–सेमेस्टर परीक्षा60 प्रतिशत 10. किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम की प्रकृति एवं आवश्यकता के आधार पर संबंधित विभाग/केन्द्र संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा विहित व्यापक सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीसीए) के सम्पूर्ण ढ़ांचे के भीतर अतिरिक्त/भिन्न घटक एवं विभिन्न घटकों हेतु भार (वेटेज) तय करने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु एंड–सेमेस्टर परीक्षा हेतु भार (वेटेज) 60 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। 11. संबंधित शिक्षक को सेमेस्टर के दौरान स्वयं द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा में व्यापक सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीसीए) के विस्तृत ब्यौरे एवं विभाजन का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। 12. एंड–सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रश्न–पत्रों की उत्तरावधि 03 घंटे की होगी तथा इसके निम्नलिखित भाग होंगे– (i) खंड क : इसमें एक–एक अंक के 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (कुल 10 अंक) (ii) खंड ख : इसमें पाँच–पाँच अंक के 06 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को इन 06 में से कोई भी 04 प्रश्न हल करने होंगे। (कुल 20 अंक) (iii) खंड ग : इसमें 10–10 अंक के 05 निबंधात्मक/दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को इन 05 प्रश्नों में से कोई भी 03 प्रश्न हल करने होंगे। (कुल 30 अंक)

IndiaCode

प्रश्न–पत्र तैयार करना एवं मूल्यांकन		**प्रश्न–पत्र तैयार करना एवं मूल्यांकन**
13. व्यापक सतत आंतरिक मूल्यांकन(सीसीए) की सम्पूर्ण संरचना जिसमें विषयवस्तु, प्रारूप, परीक्षा के विभिन्न संघटकों का समय एवं अवधि तथा मूल्यांकन से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन भी सम्मिलित है, अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित की जायेगी।	**कोई परिवर्तन नहीं**	13. व्यापक सतत आंतरिक मूल्यांकन(सीसीए) की सम्पूर्ण संरचना जिसमें विषयवस्तु, प्रारूप, परीक्षा के विभिन्न संघटकों का समय एवं अवधि तथा मूल्यांकन से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन भी सम्मिलित है, अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित की जायेगी।
14. अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित परीक्षा एवं मूल्यांकन की सम्पूर्ण संरचना के तहत सीसीए के विभिन्न संघटकों की विषयवस्तु, प्रारूप एवं अवधि संबंधित शिक्षकों द्वारा तय की जायेगी एवं पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने के समय दी जाने वाली पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा के साथ इसकी सूचना विद्यार्थियों को दी जायेगी।		14. अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित परीक्षा एवं मूल्यांकन की सम्पूर्ण संरचना के तहत सीसीए के विभिन्न संघटकों की विषय वस्तु, प्रारूप एवं अवधि संबंधित शिक्षकों द्वारा तय की जायेगी एवं पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने के समय दी जाने वाली पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा के साथ इसकी सूचना विद्यार्थियों को दी जायेगी।
15. विश्वविद्यालय में चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) एवं सीसीए लागू होने के कारण पाठ्यक्रम की मिडटर्म एवं आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के प्रश्न–पत्र पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षक ही तैयार करेंगे, साथ ही वे ही मूल्यांकनकर्त्ता भी होंगे।		15. विश्वविद्यालय में चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) एवं सीसीए लागू होने के कारण पाठ्यक्रम की मिडटर्म एवं आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के प्रश्न–पत्र पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षक ही तैयार करेंगे, साथ ही वे ही मूल्यांकनकर्त्ता भी होंगे।
16. एंड–सेमेस्टर का प्रश्न–पत्र इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि मुख्य पाठ्यक्रम के प्रश्न–पत्रों का 50 प्रतिशत बाह्य परीक्षकों द्वारा तैयार एवं मूल्यांकित हो। परन्तु, किसी भी कार्यक्रम (प्रोग्राम) के अंतिम सेमेस्टर की एंड–सेमेस्टर परीक्षा के सैद्धान्तिक प्रश्न–पत्र आंतरिक रूप से तैयार किए जायेंगे।		16. एंड–सेमेस्टर का प्रश्न–पत्र इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि मुख्य पाठ्यक्रम के प्रश्न–पत्रों का 50 प्रतिशत बाह्य परीक्षकों द्वारा तैयार एवं मूल्यांकित हो। परन्तु, किसी भी कार्यक्रम (प्रोग्राम) के अंतिम सेमेस्टर की एंड–सेमेस्टर परीक्षा के सैद्धान्तिक प्रश्न–पत्र आंतरिक रूप से तैयार किए जायेंगे।
17. विभाग/केन्द्र द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में मौखिकी परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा इत्यादि शामिल हो तो उसका मूल्यांकन संबधित अध्ययन मंडल द्वारा संस्तुत पैनल में से संबंधित अधिष्ठाता द्वारा नियुक्त एक बाह्य परीक्षक एवं संबंधित शिक्षक के पैनल द्वारा किया जायेगा। हालाँकि, किसी भी कार्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर की एंड–समेस्टर परीक्षा दो आंतरिक परीक्षकों द्वारा संचालित की जायेगी।		17. विभाग/केन्द्र द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में मौखिकी परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा इत्यादि शामिल हो तो उसका मूल्यांकन संबधित अध्ययन मंडल द्वारा संस्तुत पैनल में से संबंधित अधिष्ठाता द्वारा नियुक्त एक बाह्य परीक्षक एवं संबंधित शिक्षक के पैनल द्वारा किया जायेगा। हालाँकि, किसी भी कार्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर की एंड–समेस्टर परीक्षा दो आंतरिक परीक्षकों द्वारा संचालित की जायेगी।
18. परियोजना कार्य/परियोजना रिपोर्ट/लघु शोधप्रबंध/क्षेत्र कार्य रिपोर्ट/प्रशिक्षण रिपोर्ट इत्यादि का मूल्यांकन संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा संस्तुत पैनल में से संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता द्वारा नियुक्त बाह्य मूल्यांकन कर्त्ता द्वारा किया जायेगा। परन्तु परियोजना कार्य/परियोजना रिपोर्ट/लघु शोधप्रबंध/क्षेत्र कार्य रिपोर्ट/ प्रशिक्षण रिपोर्ट इत्यादि पर आधारित मौखिक परीक्षा (viva-voce) का मूल्यांकन संबंधित परामर्शदाता एवं बाह्य मूल्यांकनकर्त्ता की समिति द्वारा किया जायेगा।		18. परियोजना कार्य/परियोजना रिपोर्ट/लघु शोधप्रबंध/क्षेत्र कार्य रिपोर्ट/प्रशिक्षण रिपोर्ट इत्यादि का मूल्यांकन संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा संस्तुत पैनल में से संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता द्वारा नियुक्त बाह्य मूल्यांकन कर्त्ता द्वारा किया जायेगा। परन्तु परियोजना कार्य/परियोजना रिपोर्ट/लघु शोधप्रबंध/क्षेत्र कार्य रिपोर्ट/ प्रशिक्षण रिपोर्ट इत्यादि पर आधारित मौखिक परीक्षा (viva-voce) का मूल्यांकन संबंधित परामर्शदाता एवं बाह्य मूल्यांकनकर्त्ता की समिति द्वारा किया जायेगा।
19. प्रश्न–पत्र तैयार करना, मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा सहित एंड–सेमेस्टर परीक्षा हेतु बाह्य एवं आंतरिक दोनों परीक्षकों को पारिश्रमिक देय होगा। पारिश्रमिक विद्यापरिषद द्वारा समय–समय पर तय किया जायेगा।		19. प्रश्न–पत्र तैयार करना, मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा सहित एंड–सेमेस्टर परीक्षा हेतु बाह्य एवं आंतरिक दोनों परीक्षकों को पारिश्रमिक देय होगा। पारिश्रमिक विद्यापरिषद द्वारा समय–समय पर तय किया जायेगा।

IndiaCode

प्रश्न–पत्र तैयार करने हेतु दिशानिर्देश : 20. मिड–सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न–पत्र सेमेस्टर हेतु विहित पाठ्यक्रम के कम से कम 50 प्रतिशत पर आधारित होंगे। 21. एंड–सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न–पत्र सेमेस्टर हेतु विहित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। 22. प्राश्निक मिड–टर्म परीक्षा के प्रश्न–पत्र तैयार कर उसकी पर्याप्त प्रतियाँ गोपनीय लिखे हुए मुहरबंद लिफाफे में रखकर विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक के पास मिड–टर्म परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम पाँच दिन पूर्व जमा करेंगे। 23. प्रत्येक प्रश्न–पत्र तैयार करने वाला अपने द्वारा तैयार प्रश्न–पत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा। 24. विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक मिड–टर्म परीक्षा के लिए प्रश्न–पत्र तैयारकर्त्ता से प्राप्त प्रश्न–पत्र को परीक्षा के दिन तक संरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे तथा परीक्षा की तिथि को संबंधित वीक्षक को जारी करेंगे। 25. प्राश्निक एंड–सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न–पत्र निर्धारित प्रारूप में तैयार कर गोपनीय लिखे हुए मुहरबंद लिफाफे में परीक्षा नियंत्रक के पास एंड–सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ होने के कम–से–कम पंद्रह दिन पूर्व जमा करेंगे। 26. प्रशासनिकों द्वारा तैयार प्रश्न–पत्रों की समीक्षा संबंधित विभाग/केन्द्र के अध्ययन मंडल की परीक्षा समिति की परीक्षा–पूर्व आयोजित बैठक में की जायेगी।	**कोई परिवर्तन नहीं**	**प्रश्न–पत्र तैयार करने हेतु दिशानिर्देश :** 20. मिड–सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न–पत्र सेमेस्टर हेतु विहित पाठ्यक्रम के कम से कम 50 प्रतिशत पर आधारित होंगे। 21. एंड–सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न–पत्र सेमेस्टर हेतु विहित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। 22. प्राश्निक मिड–टर्म परीक्षा के प्रश्न–पत्र तैयार कर उसकी पर्याप्त प्रतियाँ गोपनीय लिखे हुए मुहरबंद लिफाफे में रखकर विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक के पास मिड–टर्म परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम पाँच दिन पूर्व जमा करेंगे। 23. प्रत्येक प्रश्न–पत्र तैयार करने वाला अपने द्वारा तैयार प्रश्न–पत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा। 24. विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक मिड–टर्म परीक्षा के लिए प्रश्न–पत्र तैयारकर्त्ता से प्राप्त प्रश्न–पत्र को परीक्षा के दिन तक संरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे तथा परीक्षा की तिथि को संबंधित वीक्षक को जारी करेंगे। 25. प्राश्निक एंड–सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न–पत्र निर्धारित प्रारूप में तैयार कर गोपनीय लिखे हुए मुहरबंद लिफाफे में परीक्षा नियंत्रक के पास एंड–सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ होने के कम–से–कम पंद्रह दिन पूर्व जमा करेंगे। 26. प्रशासनिकों द्वारा तैयार प्रश्न–पत्रों की समीक्षा संबंधित विभाग/केन्द्र के अध्ययन मंडल की परीक्षा समिति की परीक्षा–पूर्व आयोजित बैठक में की जायेगी।
मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश : 27. यह संबंधित शिक्षक का बाध्यकारी कर्त्तव्य होगा कि वे समस्त समनुदेशन (असाइन्मेंट) व्यापक सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीसीए) एवं मिड–टर्म परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाओं की जाँच कर उन्हें उस परीक्षा तिथि के एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थियों को दिखाएँ और विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अंक/ग्रेड संबंधित विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक के पास जमा करें। 28. प्रत्येक परीक्षक को एंड–सेमेस्टर परीक्षा की उत्तर–पुस्तिकायें परीक्षा तिथि के 15 दिन के भीतर मूल्यांकित उत्तर–पुस्तिकायें प्राप्तांक सूची के साथ परीक्षा नियंत्रक को वापस करनी होंगी। 29. संबंधित विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक विभाग द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं मिड–टर्म परीक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अंकों/ ग्रेडों की समेकित प्राप्तांक सूची परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित करेंगे।	**कोई परिवर्तन नहीं**	**मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश :** 27. यह संबंधित शिक्षक का बाध्यकारी कर्त्तव्य होगा कि वे समस्त समनुदेशन (असाइन्मेंट) व्यापक सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीसीए) एवं मिड–टर्म परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाओं की जाँच कर उन्हें उस परीक्षा तिथि के एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थियों को दिखाएँ और विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अंक/ग्रेड संबंधित विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक के पास जमा करें। 28. प्रत्येक परीक्षक को एंड–सेमेस्टर परीक्षा की उत्तर–पुस्तिकायें परीक्षा तिथि के 15 दिन के भीतर मूल्यांकित उत्तर–पुस्तिकायें प्राप्तांक सूची के साथ परीक्षा नियंत्रक को वापस करनी होंगी। 29. संबंधित विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक विभाग द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं मिड–टर्म परीक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अंकों/ ग्रेडों की समेकित प्राप्तांक सूची परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित करेंगे।

IndiaCode

उत्तर–पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन : 30. उत्तर–पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है। परन्तु, असंतुष्ट विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में उल्लेखित शुल्क के साथ अपनी उत्तर–पुस्तिकाओं की पुनर्गणना हेतु परिणामों की घोषणा के 07 कार्यदिवस के भीतर परीक्षा नियंत्रक को आवेदन कर सकते हैं। 31. उत्तर–पुस्तिका की पुनर्गणना परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्त दो सदस्यीय बोर्ड द्वारा की जायेगी।	**कोई परिवर्तन नहीं**	**उत्तर–पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन :** 30. उत्तर–पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है। परन्तु, असंतुष्ट विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में उल्लेखित शुल्क के साथ अपनी उत्तर–पुस्तिकाओं की पुनर्गणना हेतु परिणामों की घोषणा के 07 कार्यदिवस के भीतर परीक्षा नियंत्रक को आवेदन कर सकते हैं। 31. उत्तर–पुस्तिका की पुनर्गणना परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्त दो सदस्यीय बोर्ड द्वारा की जायेगी।
परीक्षा का आयोजन : 32. विश्वविद्यालय की सभी परीक्षायें (विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा के अतिरिक्त) विश्वविद्यालय परिसर में ही आयोजित की जायेंगी। 33. मिड–टर्म एवं एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथियों की अधिसूचना विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक/अध्ययनशाला अधिष्ठाताओं द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने के कम–से–कम पंद्रह दिन पूर्व जारी की जायेगी। 34. मिड–टर्म एवं एंड–सेमेस्टर परीक्षायें विभागाध्यक्ष के सामान्य पर्यवेक्षण में आयोजित होंगी; वे अपने विभाग के पाठ्यक्रमों की समस्त परीक्षाओं के लिए केन्द्र अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। वे शिक्षकों में से वीक्षण दायित्वों की व्यवस्था करेंगे और परीक्षाओं के सुचारू एवं व्यवस्थित आयोजन हेतु जिम्मेदार होंगे।	**कोई परिवर्तन नहीं**	**परीक्षा का आयोजन :** 32. विश्वविद्यालय की सभी परीक्षायें (विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा के अतिरिक्त) विश्वविद्यालय परिसर में ही आयोजित की जायेंगी। 33. मिड–टर्म एवं एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथियों की अधिसूचना विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक/अध्ययनशाला अधिष्ठाताओं द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने के कम–से–कम पंद्रह दिन पूर्व जारी की जायेगी। 34. मिड–टर्म एवं एंड–सेमेस्टर परीक्षायें विभागाध्यक्ष के सामान्य पर्यवेक्षण में आयोजित होंगी; वे अपने विभाग के पाठ्यक्रमों की समस्त परीक्षाओं के लिए केन्द्र अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। वे शिक्षकों में से वीक्षण दायित्वों की व्यवस्था करेंगे और परीक्षाओं के सुचारू एवं व्यवस्थित आयोजन हेतु जिम्मेदार होंगे।
परीक्षा में अनुशासनहीनता एवं अनुचित साधन 35. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग एवं अनुचित कार्यकलापों के प्रति शून्य सहन–शीलता (जीरो टॉलरेन्स) रहेगी तथा प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। निर्देशों का पालन ना करने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। 36. अनुचित साधनों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। किसी के भी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। परीक्षा के संबंध में अनुचित साधनों एवं अनुचित कार्यकलापों के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएँ शामिल हैं : (i) परीक्षा तिथियों एवं समय को बदलने एवं स्थगित करने हेतु दबाव बनाना, अवपीड़न और अनुचित प्रभाव डालना। (ii) वीक्षक को धमकाने या वीक्षक/केन्द्र अधीक्षक की रपट के अनुसार अनधीनता व्यक्त करने वाले अन्य व्यवहार। (iii) परीक्षकों, प्राश्निकों, मूल्यांककों, वीक्षकों, सह–परीक्षार्थियों या विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को धमकाना एवं/या	**कोई परिवर्तन नहीं**	**परीक्षा में अनुशासनहीनता एवं अनुचित साधन** 35. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग एवं अनुचित कार्यकलापों के प्रति शून्य सहन–शीलता (जीरो टॉलरेन्स) रहेगी तथा प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। निर्देशों का पालन ना करने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। 36. अनुचित साधनों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। किसी के भी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। परीक्षा के संबंध में अनुचित साधनों एवं अनुचित कार्यकलापों के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएँ शामिल हैं : (i) परीक्षा तिथियों एवं समय को बदलने एवं स्थगित करने हेतु दबाव बनाना, अवपीड़न और अनुचित प्रभाव डालना। (ii) वीक्षक को धमकाने या वीक्षक/केन्द्र अधीक्षक की रपट के अनुसार अनधीनता व्यक्त करने वाले अन्य व्यवहार। (iii) परीक्षकों, प्राश्निकों, मूल्यांककों, वीक्षकों, सह–परीक्षार्थियों या विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को धमकाना

IndiaCode

अनुचित सहयोग की अपेक्षा करना।		एवं/या अनुचित सहयोग की अपेक्षा करना।
(iv) परीक्षा के दौरान विशेष रूप से निषिद्ध गतिविधियों एवं कार्यकलापों में संलिप्त होना।		(iv) परीक्षा के दौरान विशेष रूप से निषिद्ध गतिविधियों एवं कार्यकलापों में संलिप्त होना।
(v) संबंधित परीक्षा के विषय से जुड़ी किसी भी प्रकार की सामग्री (इसमें मोबाइल/सेलफोन/इलैक्ट्रॉनिक उपकरण भी सम्मिलित हैं जबतक कि इन्हें परीक्षा के संघटक के रूप में अलग से अनुमति ना दी गयी हो) रखने और/या अपने पास रखी सामग्री या परीक्षा कक्ष के अंदर या बाहर किसी व्यक्ति से नकल करना या नकल करने का प्रयास करना।		(v) संबंधित परीक्षा के विषय से जुड़ी किसी भी प्रकार की सामग्री (इसमें मोबाइल/सेलफोन/इलैक्ट्रॉनिक उपकरण भी सम्मिलित हैं जबतक कि इन्हें परीक्षा के संघटक के रूप में अलग से अनुमति ना दी गयी हो) रखने और/या अपने पास रखी सामग्री या परीक्षा कक्ष के अंदर या बाहर किसी व्यक्ति से नकल करना या नकल करने का प्रयास करना।
(vi) नोट्स का लेन–देन, आपस में उत्तर–पुस्तिकायें बदलना, अन्य परीक्षार्थियों की मदद करना, अन्य परीक्षार्थी या परीक्षा कक्ष के अंदर या बाहर किसी अन्य व्यक्ति से सहयोग लेना या परामर्श लेना।		(vi) नोट्स का लेन–देन, आपस में उत्तर–पुस्तिकायें बदलना, अन्य परीक्षार्थियों की मदद करना, अन्य परीक्षार्थी या परीक्षा कक्ष के अंदर या बाहर किसी अन्य व्यक्ति से सहयोग लेना या परामर्श लेना।
(vii) परीक्षा के दौरान छद्मरूपण का प्रयास करना जिसमें उत्तर–पुस्तिका पर किसी अन्य परीक्षार्थी का पंजीयन संख्या/अनुक्रमांक लिखना भी सम्मिलित है एवं/या उत्तर–पुस्तिकायें या अन्य सामग्री बदलना या बदलने का प्रयास करना।		(vii) परीक्षा के दौरान छद्मरूपण का प्रयास करना जिसमें उत्तर–पुस्तिका पर किसी अन्य परीक्षार्थी का पंजीयन संख्या/अनुक्रमांक लिखना भी सम्मिलित है एवं/या उत्तर–पुस्तिकायें या अन्य सामग्री बदलना या बदलने का प्रयास करना।
(viii) परीक्षा के दौरान वीक्षक की अनुमति के बिना अभ्यर्थी को आबंटित सीट के बजाय अन्य सीट पर बैठना या सीट बदलना।		(viii) परीक्षा के दौरान वीक्षक की अनुमति के बिना अभ्यर्थी को आबंटित सीट के बजाय अन्य सीट पर बैठना या सीट बदलना।
(ix) परीक्षा का बहिष्कार करना/परीक्षा छोड़कर चले जाना या परीक्षा आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना।		(ix) परीक्षा का बहिष्कार करना/परीक्षा छोड़कर चले जाना या परीक्षा आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना।
(x) कार्यपरिषद द्वारा समय–समय पर किसी या सभी परीक्षाओं हेतु अनुचित साधनों के संबंध में अन्य कार्य का लोप अथवा कारित करना घोषित किया जा सकता है।		(x) कार्यपरिषद द्वारा समय–समय पर किसी या सभी परीक्षाओं हेतु अनुचित साधनों के संबंध में अन्य कार्य का लोप अथवा ˆकारित करना घोषित किया जा सकता है।
37. संबंधित वीक्षक परीक्षा के दौरान पाये गए अनुचित साधनों, अनुशासनहीनता एवं व्यवधान की सूचना लिखित में केन्द्र अधीक्षक को देंगे।		37. संबंधित वीक्षक परीक्षा के दौरान पाये गए अनुचित साधनों, अनुशासनहीनता एवं व्यवधान की सूचना लिखित में केन्द्र अधीक्षक को देंगे।
38. केन्द्र अधीक्षक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/आरोप के प्रत्येक मामले की पुष्टि में साक्ष्यों का पूर्ण विवरण तथा संबंधित परीक्षार्थी के अभिकथित कथन, यदि कोई हों, सहित परीक्षा नियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र पर बिना देरी किए परीक्षा नियंत्रक को रिपोर्ट करेंगे।		38. केन्द्र अधीक्षक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/आरोप के प्रत्येक मामले की पुष्टि में साक्ष्यों का पूर्ण विवरण तथा संबंधित परीक्षार्थी के अभिकथित कथन, यदि कोई हों, सहित परीक्षा नियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र पर बिना देरी किए परीक्षा नियंत्रक को रिपोर्ट करेंगे।
39. यदि अनुचित साधनों का परीक्षा में प्रयोग करते हुए पाया गया अभ्यर्थी अपना कथन करने तथा उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो वीक्षक घटना का विवरण रिकार्ड कर केन्द्र अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित करवायेंगे।		39. यदि अनुचित साधनों का परीक्षा में प्रयोग करते हुए पाया गया अभ्यर्थी अपना कथन करने तथा उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो वीक्षक घटना का विवरण रिकार्ड कर केन्द्र अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित करवायेंगे।
40. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी की उत्तर–पुस्तिका को जब्त कर लिया जायेगा और अभ्यर्थी को पृथक उत्तर–पुस्तिका जारी कर उन्हें अपनी परीक्षा के शेष भाग को लिखने की अनुमति दी जा सकती है। केन्द्र अधीक्षक अपनी		40. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी की उत्तर–पुस्तिका को जब्त कर लिया जायेगा और अभ्यर्थी को पृथक उत्तर–पुस्तिका जारी कर उन्हें अपनी परीक्षा के शेष भाग को लिखने की अनुमति दी जा सकती

IndiaCode

रिपोर्ट के साथ दोनों उत्तर–पुस्तिकायें परीक्षा नियंत्रक को भेजेंगे।		है। केन्द्र अधीक्षक अपनी रिपोर्ट के साथ दोनों उत्तर–पुस्तिकायें परीक्षा नियंत्रक को भेजेंगे।
41. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के प्रत्येक प्रकरण को परीक्षा अनुशासन समिति को भेजा जायेगा। परन्तु यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर बड़े पैमाने पर अनुचित साधनों का प्रयोग पाये जाने पर कुलपति संबंधित केन्द्र के सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा निरस्त कर सकते हैं और पुनर्परीक्षा के आदेश एवं सर्वसंबंधितों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकते हैं।		41. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के प्रत्येक प्रकरण को परीक्षा अनुशासन समिति को भेजा जायेगा। परन्तु यदि कसी परीक्षा केन्द्र पर बड़े पैमाने पर अनुचित साधनों का प्रयोग पाये जाने पर कुलपति संबंधित केन्द्र के सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा निरस्त कर सकते हैं और पुनर्परीक्षा के आदेश एवं सर्वसंबंधितों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकते हैं।
परीक्षा अनुशासन समिति : 42. परीक्षा अनुशासन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे : (i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण – अध्यक्ष (ii) कुलानुशासक (iii) कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक (iv) परीक्षा–नियंत्रक – सदस्य–सचिव	**कोई परिवर्तन नहीं**	**परीक्षा अनुशासन समिति :** 42. परीक्षा अनुशासन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे : (i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण – अध्यक्ष (ii) कुलानुशासक (iii) कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक (iv) परीक्षा–नियंत्रक – सदस्य–सचिव
43. पदेन सदस्यों को छोड़कर परीक्षा अनुशासन समिति के अन्य सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति तिथि से एक वर्ष का होगा। समिति की गणपूर्ति तीन सदस्यों से पूरी होगी।	**कोई परिवर्तन नहीं**	43. पदेन सदस्यों को छोड़कर परीक्षा अनुशासन समिति के अन्य सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति तिथि से एक वर्ष का होगा। समिति की गणपूर्ति तीन सदस्यों से पूरी होगी।
44. अनुचित साधनों के प्रयोग की सीमा एवं गंभीरता के आधार पर निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं : (i) जिस परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया उसमें ''आई'' ग्रेड/''एफ'' ग्रेड दिया जाना; (ii) परीक्षार्थी द्वारा सेमेस्टर के दौरान दी गयी सभी परीक्षाओं में ''आई'' ग्रेड/''एफ'' ग्रेड दिया जाना; (iii) कुछ विशिष्ट संख्या के सेमेस्टरों में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित करना; (iv) विश्वविद्यालय से प्रवेश निरस्त करना; (v) अभ्यर्थी के विश्वविद्यालय से निष्कासन एवं एक निश्चित अवधि हेतु वि''वविद्यालय के किसी अध्ययन कार्यक्रम में उन पर प्रवेश–प्रतिबंध लगाना; एवं	**कोई परिवर्तन नहीं**	44. अनुचित साधनों के प्रयोग की सीमा एवं गंभीरता के आधार पर निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं : (i) जिस परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया उसमें ''आई'' ग्रेड/''एफ'' ग्रेड दिया जाना; (ii) परीक्षार्थी द्वारा सेमेस्टर के दौरान दी गयी सभी परीक्षाओं में ''आई'' ग्रेड/''एफ'' ग्रेड दिया जाना; (iii) कुछ विशिष्ट संख्या के सेमेस्टरों में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित करना; (iv) विश्वविद्यालय से प्रवेश निरस्त करना; (v) अभ्यर्थी के विश्वविद्यालय से निष्कासन एवं एक निश्चित अवधि हेतु वि''वविद्यालय के किसी अध्ययन कार्यक्रम में उन पर प्रवेश–प्रतिबंध लगाना; एवं
(vi) अभ्यर्थी के विश्वविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन कार्यक्रम में उन पर सदैव के लिए प्रवेश–प्रतिबंध लगाना।		(vi) अभ्यर्थी के विश्वविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन कार्यक्रम में उन पर सदैव के लिए प्रवेश–प्रतिबंध लगाना।
45. परीक्षा अनुशासन समिति परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों की प्रकृति एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित दंड की प्रकृति एवं दायरा तय करेगी तथा यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित दंड किए गए अपराध के अनुरूप एवं	**कोई परिवर्तन नहीं**	45. परीक्षा अनुशासन समिति परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों की प्रकृति एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित दंड की प्रकृति एवं दायरा तय करेगी तथा यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित दंड किए गए

IndiaCode

नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार है; 46. समिति द्वारा लिए गए समस्त निर्णय अनुमोदन हेतु कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे। 47. परीक्षा अनुशासन समिति द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के दोषी पाए गए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के निर्णय की प्राप्ति से एक माह के भीतर कुलपति के समक्ष लिखित में आवेदन कर सकते हैं और यदि कुलपति संतुष्ट हैं कि अभ्यावेदन विचार करने योग्य है तो वे प्रकरण को पुनर्विचार हेतु परीक्षा अनुशासन समिति के पास वापस भेज सकते हैं।		अपराध के अनुरूप एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार है; 46. समिति द्वारा लिए गए समस्त निर्णय अनुमोदन हेतु कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे। 47. परीक्षा अनुशासन समिति द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के दोषी पाए गए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के निर्णय की प्राप्ति से एक माह के भीतर कुलपति के समक्ष लिखित में आवेदन कर सकते हैं और यदि कुलपति संतुष्ट हैं कि अभ्यावेदन विचार करने योग्य है तो वे प्रकरण को पुनर्विचार हेतु परीक्षा अनुशासन समिति के पास वापस भेज सकते हैं।
प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए विशिष्ट प्रावधान : 48. सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए प्राश्निकों की नियुक्ति कुलपति करेंगे। 49. सामान्य प्रवेश परीक्षा संबंधी समग्र प्रशासन, आयोजन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का समस्त उत्तरदायित्व परीक्षा नियंत्रक का है। कुलपति के अनुमोदन से वे निम्नलिखित व्यवस्थाएँ करेंगे : (i) कुलपति द्वारा नियुक्त प्राश्निकों से सामान्य प्रवेश परीक्षा के प्रश्न–पत्र प्राप्त करना; (ii) सामान्य प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न–पत्रों का गोपनीय मुद्रण; (iii) प्रत्येक परीक्षा केन्द्र हेतु केन्द्र अधीक्षक नियुक्त करना; (iv) सभी परीक्षा केन्द्रों पर सामान्य प्रवेश परीक्षा का सुचारु संचालन तथा सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण; और (v) उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं प्रवीणता सूची तैयार करना। 50. परीक्षा नियंत्रक की अनुपस्थिति में या परिस्थितियों की माँग के अनुसार कुलपति सामान्य प्रवेश परीक्षा के समन्वयक की नियुक्ति कर सकते हैं जो पूर्ववर्ती खंड में वर्णित कार्यो का निर्वहन करेंगे। 51. सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय की विवरणिका में अधिसूचित परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। 52. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र का प्रभार एक केन्द्र अधीक्षक के पास होगा जो सामान्य प्रवेश परीक्षा का सुचारु एवं निष्पक्ष आयोजन सुनिश्चित करेगा। 53. प्रवेश परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थी केन्द्र अधीक्षक के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। परीक्षा आयोजन के संबंध में उसके निर्देश अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी निर्देशों का	**कोई परिवर्तन नहीं**	**प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए विशिष्ट प्रावधान :** 48. सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए प्राश्निकों की नियुक्ति कुलपति करेंगे। 49. सामान्य प्रवेश परीक्षा संबंधी समग्र प्रशासन, आयोजन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का समस्त उत्तरदायित्व परीक्षा नियंत्रक का है। कुलपति के अनुमोदन से वे निम्नलिखित व्यवस्थाएँ करेंगे : (i) कुलपति द्वारा नियुक्त प्राश्निकों से सामान्य प्रवेश परीक्षा के प्रश्न–पत्र प्राप्त करना; (ii) सामान्य प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न–पत्रों का गोपनीय मुद्रण; (iii) प्रत्येक परीक्षा केन्द्र हेतु केन्द्र अधीक्षक नियुक्त करना; (iv) सभी परीक्षा केन्द्रों पर सामान्य प्रवेश परीक्षा का सुचारु संचालन तथा सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण; और (v) उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं प्रवीणता सूची तैयार करना। 50. परीक्षा नियंत्रक की अनुपस्थिति में या परिस्थितियों की माँग के अनुसार कुलपति सामान्य प्रवेश परीक्षा के समन्वयक की नियुक्ति कर सकते हैं जो पूर्ववर्ती खंड में वर्णित कार्यो का निर्वहन करेंगे। 51. सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय की विवरणिका में अधिसूचित परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। 52. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र का प्रभार एक केन्द्र अधीक्षक के पास होगा जो सामान्य प्रवेश परीक्षा का सुचारु एवं निष्पक्ष आयोजन सुनिश्चित करेगा। 53. प्रवेश परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थी केन्द्र अधीक्षक के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। परीक्षा आयोजन के संबंध में उसके निर्देश अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी निर्देशों

IndiaCode

पालन नहीं करता है या केन्द्रअधीक्षक / पर्यवेक्षणए,कर्मचारियों / वीक्षकों / किसी अन्य स्टाफ / अन्य परीक्षार्थियों से अनुचित व्यवहार करता है तो उसे परीक्षा से तत्काल बाहर कर दिया जायेगा। 54. इन अध्यादेशों में कुछ भी होते हुए भी सामान्य प्रवेश परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर ऐसे सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी और परिणामतः मूल्यांकन तथा प्रवीणता सूची की तैयारी में उनकी उत्तर–पुस्तिकाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।		का पालन नहीं करता है या केन्द्रअधीक्षक / पर्यवेक्षणए,कर्मचारियों / वीक्षकों / किसी अन्य स्टाफ / अन्य परीक्षार्थियों से अनुचित व्यवहार करता है तो उसे परीक्षा से तत्काल बाहर कर दिया जायेगा। 54. इन अध्यादेशों में कुछ भी होते हुए भी सामान्य प्रवेश परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर ऐसे सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी और परिणामतः मूल्यांकन तथा प्रवीणता सूची की तैयारी में उनकी उत्तर–पुस्तिकाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
ग्रेडिंग प्रणाली : 55. विश्वविद्यालय की **ग्रेडिंग प्रणाली** अंक, ग्रेड अंक, अक्षर ग्रेड तथा श्रेणी के रूप में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के **दस (10) अंक ग्रेड पैमाने** पर आधारित होगी। 56. किसी सेमेस्टर में विद्यार्थी का सम्पूर्ण प्रदर्शन निम्नलिखित ग्रेड पद्धति द्वारा दर्शाया जायेगा। (क) सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज (एसजीपीए); एवं वेटेड एवरेज मार्क्स(डब्ल्यूएएम); किसी कार्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर भी सम्मिलित होगा; (ख) एसजीपीए एवं सीजीपीए को 02 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया जायेगा और ग्रेड सीट पर दर्शाया जायेगा (i) क्यूम्यूलेटिव ग्रेड प्वाइंट एवरेज (सीजीपीए); एवं (ii) ओवरऑल वेटेड परसेंटेज मार्क्स (ओडब्ल्यूपीएम)। सीजीपीए एवं ओडब्ल्यूपीएम विद्यार्थियों के वास्तविक प्रदर्शन का संकेतक है। इनकी गणना निम्नानुसार की जायेगी : एसजीपीए = $(\Sigma Ci\ Gi)/(\Sigma\ Ci)$ डब्ल्यूएएम = $(\Sigma Ci\ Mi)/(\Sigma\ Ci)$ % सीजीपीए = $(\Sigma\ \Sigma\ Cni\ Gni)/(\Sigma\ \Sigma\ Ci)$ ओडब्ल्यूपीएम = $(\Sigma\ \Sigma\ Cni\ Mni)/(\Sigma\ \Sigma\ Cni)$% **जहाँ** Ci = iवें पाठ्यक्रम में क्रेडिटों की संख्या Mi = iवें पाठ्यक्रम में अर्जित अंक Gi = iवें पाठ्यक्रम में अर्जित ग्रेड प्वाइंट Cni = nवें सेमेस्टर के iवें पाठ्यक्रम में क्रेडिटों की संख्या Mni = nवें सेमेस्टर के iवें पाठ्यक्रम के अंक Gni = nवें सेमेस्टर के iवें पाठ्यक्रम के ग्रेड प्वाइंट	**कोई परिवर्तन नहीं**	**ग्रेडिंग प्रणाली :** 55. विश्वविद्यालय की **ग्रेडिंग प्रणाली** अंक, ग्रेड अंक, अक्षर ग्रेड तथा श्रेणी के रूप में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के **दस (10) अंक ग्रेड पैमाने** पर आधारित होगी। 56. किसी सेमेस्टर में विद्यार्थी का सम्पूर्ण प्रदर्शन निम्नलिखित ग्रेड पद्धति द्वारा दर्शाया जायेगा। (क) सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज (एसजीपीए); एवं वेटेड एवरेज मार्क्स(डब्ल्यूएएम); किसी कार्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर भी सम्मिलित होगा; (ख) एसजीपीए एवं सीजीपीए को 02 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया जायेगा और ग्रेड सीट पर दर्शाया जायेगा (i) क्यूम्यूलेटिव ग्रेड प्वाइंट एवरेज (सीजीपीए); एवं (ii) ओवरऑल वेटेड परसेंटेज मार्क्स (ओडब्ल्यूपीएम)। सीजीपीए एवं ओडब्ल्यूपीएम विद्यार्थियों के वास्तविक प्रदर्शन का संकेतक है। इनकी गणना निम्नानुसार की जायेगी : एसजीपीए = $(\Sigma Ci\ Gi)/(\Sigma\ Ci)$ डब्ल्यूएएम = $(\Sigma Ci\ Mi)/(\Sigma\ Ci)$ % सीजीपीए = $(\Sigma\ \Sigma\ Cni\ Gni)/(\Sigma\ \Sigma\ Ci)$ ओडब्ल्यूपीएम = $(\Sigma\ \Sigma\ Cni\ Mni)/(\Sigma\ \Sigma\ Cni)$% **जहाँ** Ci = iवें पाठ्यक्रम में क्रेडिटों की संख्या Mi = iवें पाठ्यक्रम में अर्जित अंक Gi = iवें पाठ्यक्रम में अर्जित ग्रेड प्वाइंट Cni = nवें सेमेस्टर के iवें पाठ्यक्रम में क्रेडिटों की संख्या Mni = nवें सेमेस्टर के iवें पाठ्यक्रम के अंक Gni = nवें सेमेस्टर के iवें पाठ्यक्रम के ग्रेड प्वाइंट

IndiaCode

पाठ्यक्रमवार अक्षर ग्रेड एवं ग्रेड प्वाइंट :

57. तद्नुसार, किसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों के प्रतिशत को दस (10) अंक पैमाने पर एक ग्रेड प्वाइंट एवं अक्षर ग्रेड द्वारा निम्नानुसार दर्शाया जायेगा :

अंकों का प्रतिशत	ग्रेड प्वाइंट	अक्षर ग्रेड
91—100	10	ओ (अत्यंत उत्कृष्ट)
75—90	09	ए$^{+}$ (उत्कृष्ट)
65—74	08	ए (बहुत अच्छा))
55—64	07	बी$^{+}$ (अच्छा)
50—54	06	बी (औसत से ऊपर)
45—49	05	सी (औसत)
40—44	04	पी (उत्तीर्ण)
0—39	00	एफ (अनुत्तीर्ण)
अनुपस्थित	00	एबी (अनुपस्थित)

कोई परिवर्तन नहीं

पाठ्यक्रमवार अक्षर ग्रेड एवं ग्रेड प्वाइंट :

57. तद्नुसार, किसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों के प्रतिशत को दस (10) अंक पैमाने पर एक ग्रेड प्वाइंट एवं अक्षर ग्रेड द्वारा निम्नानुसार दर्शाया जायेगा :

अंकों का प्रतिशत	ग्रेड प्वाइंट	अक्षर ग्रेड
91—100	10	ओ (अत्यंत उत्कृष्ट)
75—90	09	ए$^{+}$ (उत्कृष्ट)
65—74	08	ए (बहुत अच्छा)
55—64	07	बी$^{+}$ (अच्छा)
50—54	06	बी (औसत से ऊपर)
45—49	05	सी (औसत)
40—44	04	पी (उत्तीर्ण)
0—39	00	एफ (अनुत्तीर्ण)
अनुपस्थित	00	एबी (अनुपस्थित)

58. एफ ग्रेड अर्जित करने वाले विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण समझा जायेगा एवं उसे परीक्षा में पुनः सम्मिलित होना होगा।

59. गैर—क्रेडिट पाठ्यक्रमों हेतु अक्षर ग्रेड के स्थान पर 'संतोषजनक' या 'असंतोषजनक' दर्शाया जायेगा एवं इसकी गणना एसजीपीए/सीजीपीए के लिए नहीं की जायेगी।

58. एफ ग्रेड अर्जित करने वाले विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण समझा जायेगा एवं उसे परीक्षा में पुनः सम्मिलित होना होगा।

59. गैर—क्रेडिट पाठ्यक्रमों हेतु अक्षर ग्रेड के स्थान पर 'संतोषजनक' या 'असंतोषजनक' दर्शाया जायेगा एवं इसकी गणना एसजीपीए/सीजीपीए के लिए नहीं की जायेगी।

सीजीपीए, समग्र अक्षर ग्रेड एवं श्रेणी :

60. विद्यार्थी का समग्र संचयी प्रदर्शन संचयी ग्रेड प्वाईट औसत (सीजीपीए) द्वारा दर्शाया जायेगा।

61. अध्ययन कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु निर्धारित अधिकतम क्रेडिट अंकों में से पाठ्यक्रम में अर्जित अंकों एवं ग्रेड को समग्र अक्षर ग्रेड एवं श्रेणी सहित ओडब्ल्यूपीएम की गणना में निम्नानुसार सम्मिलित किया जायेगा :

ओडब्ल्यूपीएम	अक्षर ग्रेड	श्रेणी
91—100	**ओ (अत्यंत उत्कृष्ट)**	प्रथम श्रेणी
75—90	ए$^{+}$(उत्कृष्ट)	प्रथम श्रेणी
65—74	ए (बहुत अच्छा)	प्रथम श्रेणी
55—64	बी$^{+}$ (अच्छा)	द्वितीय श्रेणी
50—54	**बी (औसत से ऊपर)**	द्वितीय श्रेणी
45—49	सी (औसत)	तृतीय श्रेणी
40—44	पी (उत्तीर्ण)	उत्तीर्ण श्रेणी

कोई परिवर्तन नहीं

सीजीपीए, समग्र अक्षर ग्रेड एवं श्रेणी :

60. विद्यार्थी का समग्र संचयी प्रदर्शन संचयी ग्रेड प्वाईट औसत (सीजीपीए) द्वारा दर्शाया जायेगा।

61. अध्ययन कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु निर्धारित अधिकतम क्रेडिट अंकों में से पाठ्यक्रम में अर्जित अंकों एवं ग्रेड को समग्र अक्षर ग्रेड एवं श्रेणी सहित ओडब्ल्यूपीएम की गणना में निम्नानुसार सम्मिलित किया जायेगा :

ओडब्ल्यूपीएम	अक्षर ग्रेड	श्रेणी
91—100	**ओ (अत्यंत उत्कृष्ट)**	प्रथम श्रेणी
75—90	ए$^{+}$(उत्कृष्ट)	प्रथम श्रेणी
65—74	ए (बहुत अच्छा)	प्रथम श्रेणी
55—64	बी$^{+}$(अच्छा)	द्वितीय श्रेणी
50—54	**बी (औसत से ऊपर)**	द्वितीय श्रेणी

IndiaCode

62. विस्तृत चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के तहत न्यूनतम निर्धारित क्रेडिट संख्या अर्जित कर समस्त पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थी को अध्ययन कार्यक्रम पूर्ण करने वाला समझा जायेगा।		<table><tr><td>45–49</td><td>सी (औसत)</td><td>तृतीय श्रेणी</td></tr><tr><td>40–44</td><td>पी (उत्तीर्ण)</td><td>उत्तीर्ण श्रेणी</td></tr></table> 62. विस्तृत चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के तहत न्यूनतम निर्धारित क्रेडिट संख्या अर्जित कर समस्त पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थी को अध्ययन कार्यक्रम पूर्ण करने वाला समझा जायेगा।
विद्यार्थियों की रैंकिंग : 63. प्रत्येक अध्ययन कार्यक्रम में प्रथम तीन रैंक ओडब्ल्यूपीएम के आधार पर तय किये जायेंगे। प्रत्येक अध्ययन कार्यक्रम के समस्त रैंक धारकों को योग्यता/प्रवीणता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा बशर्ते वे अधोलिखित योग्यतायें पूरी करते हों : क. 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया हो (ओडब्ल्यूपीएम); ख. अध्ययन कार्यक्रम के समस्त सेमेस्टर बिना किसी व्यवधान के उत्तीर्ण किए हों; ग. अध्ययन कार्यक्रम के समस्त पाठ्यक्रम बैकलॉग के बिना उत्तीर्ण किए हों अर्थात् उसे किसी भी पाठ्यक्रम में 'एफ' या 'आई' ग्रेड ना मिला हो; और घ. अध्ययन कार्यक्रम अवधि के दौरान अच्छे आचरण एवं चरित्र का प्रदर्शन किया हो।	**कोई परिवर्तन नहीं**	**विद्यार्थियों की रैंकिंग :** 63. प्रत्येक अध्ययन कार्यक्रम में प्रथम तीन रैंक ओडब्ल्यूपीएम के आधार पर तय किये जायेंगे। प्रत्येक अध्ययन कार्यक्रम के समस्त रैंक धारकों को योग्यता/प्रवीणता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा बशर्ते वे अधोलिखित योग्यतायें पूरी करते हों : क. 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया हो (ओडब्ल्यूपीएम); ख. अध्ययन कार्यक्रम के समस्त सेमेस्टर बिना किसी व्यवधान के उत्तीर्ण किए हों; ग. अध्ययन कार्यक्रम के समस्त पाठ्यक्रम बैकलॉग के बिना उत्तीर्ण किए हों अर्थात् उसे किसी भी पाठ्यक्रम में 'एफ' या 'आई' ग्रेड ना मिला हो; और घ. अध्ययन कार्यक्रम अवधि के दौरान अच्छे आचरण एवं चरित्र का प्रदर्शन किया हो।
उपस्थिति : 64. 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को उस पाठ्यक्रम की एंड सेमेस्टर परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा। 65. किसी पाठ्यक्रम में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों का उपस्थिति–रिकार्ड रखने एवं प्रत्येक विद्यार्थी के माहवार उपस्थिति का रिकार्ड विभाग के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षक का होगा। 66. सभी शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों, जिनकी एक या अधिक पाठ्यक्रमों में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है, का विवरण विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक को सेमेस्टर की अंतिम कक्षा के दिन से कम–से–कम 07 कैलेण्डर दिन पूर्व देंगे। 67. विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक विभिन्न पाठ्यक्रमों की एंड–सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने की योग्यता पूरी ना कर सकने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची विभाग के सूचना पट्ट पर चस्पा करायेंगे तथा उसकी एक प्रति संबधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता को प्रेषित करेंगे।	**कोई परिवर्तन नहीं**	**उपस्थिति :** 64. 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को उस पाठ्यक्रम की एंड सेमेस्टर परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा। 65. किसी पाठ्यक्रम में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों का उपस्थिति–रिकार्ड रखने एवं प्रत्येक विद्यार्थी के माहवार उपस्थिति का रिकार्ड विभाग के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षक का होगा। 66. सभी शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों, जिनकी एक या अधिक पाठ्यक्रमों में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है, का विवरण विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक को सेमेस्टर की अंतिम कक्षा के दिन से कम–से–कम 07 कैलेण्डर दिन पूर्व देंगे। 67. विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक विभिन्न पाठ्यक्रमों की एंड–सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने की योग्यता पूरी ना कर सकने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची विभाग के सूचना पट्ट पर चस्पा करायेंगे तथा उसकी एक प्रति संबधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता को प्रेषित करेंगे। 68. संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता वैध कारणों से 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज ना करा

IndiaCode

68. संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता वैध कारणों से 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज ना करा पाने वाले विद्यार्थी को छूट प्रदान कर सकते हैं। परन्तु किसी भी परिस्थिति में ऐसी छूट भी 65 प्रतिशत उपस्थिति से कम उपस्थिति वाले अभ्यर्थी को प्रदान नहीं की जायेगी।		पाने वाले विद्यार्थी को छूट प्रदान कर सकते हैं। परन्तु किसी भी परिस्थिति में ऐसी छूट भी 65 प्रतिशत उपस्थिति से कम उपस्थिति वाले अभ्यर्थी को प्रदान नहीं की जायेगी।
प्रोन्नति एवं प्रगति : 69. विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा में तय मिड–टर्म परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना होगा ऐसा ना होने पर उन्हें पाठ्यक्रम **पूर्ण नहीं** करने वाला माना जायेगा एवं **'I' ग्रेड** प्रदान किया जायेगा। पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति की शर्तें पूरी ना होने के कारण पाठ्यक्रम की एंड–सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु '**अनर्ह** घोषित किए गए अभ्यर्थी को भी **'I' ग्रेड** प्रदान किया जायेगा। 70. **'I' ग्रेड** अर्जित करने वाले विद्यार्थी को अगले सेमेस्टरों में उसी पाठ्यक्रम में, जब यह पाठ्यक्रम प्रदान किया जाये, पुनर्पंजीयन कराना होगा या व्यापक चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के अंतर्गत क्रेडिट संचयन की समग्र रूपरेखा के तहत किसी अन्य पाठ्यक्रम में पंजीयन कराना होगा ताकि अध्ययन कार्यक्रम को पूरा करने हेतु विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। 71. **'I' ग्रेड** या **एफ** ग्रेड प्राप्त करने वालों के अलावा प्रत्येक विद्यार्थी को सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने वाला समझा जायेगा। 72. पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर चुके विद्यार्थियों को ग्रेड सुधार हेतु पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। 73. चयनित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु अभ्यर्थी को उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे। ऐसा करने में असफल होने पर उन्हें उस पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण समझा जायेगा एवं **'एफ'** ग्रेड प्रदान किया जायेगा। 74. एक बार **'एफ'** ग्रेड प्राप्त होने पर ये विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर रहेगा जो बाद में पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर भी हटाया नहीं जायेगा। विद्यार्थी द्वारा बाद में अर्जित ग्रेड को उस उत्तरवर्ती सेमेस्टर, जिसमें वह अपना शेष पूरा करने हेतु सम्मिलित हुआ था, की ग्रेड शीट में अंकित किया जायेगा। 75. **'एफ'** ग्रेड अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को केवल एंड– सेमेस्टर परीक्षा की पुनरावृत्ति करनी होगी अर्थात् उन्हें उसी पाठ्यक्रम की अगले सत्र की एंड–सेमेस्टर परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की आवश्यकता है। विद्यार्थी को सतत आंतरिक	**कोई परिवर्तन नहीं**	**प्रोन्नति एवं प्रगति :** 69. विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा में तय मिड–टर्म परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना होगा ऐसा ना होने पर उन्हें पाठ्यक्रम **पूर्ण नहीं** करने वाला माना जायेगा एवं **'I' ग्रेड** प्रदान किया जायेगा। पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति की शर्तें पूरी ना होने के कारण पाठ्यक्रम की एंड–सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु '**अनर्ह** घोषित किए गए अभ्यर्थी को भी **'I' ग्रेड** प्रदान किया जायेगा। 70. **'I' ग्रेड** अर्जित करने वाले विद्यार्थी को अगले सेमेस्टरों में उसी पाठ्यक्रम में, जब यह पाठ्यक्रम प्रदान किया जाये, पुनर्पंजीयन कराना होगा या व्यापक चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के अंतर्गत क्रेडिट संचयन की समग्र रूपरेखा के तहत किसी अन्य पाठ्यक्रम में पंजीयन कराना होगा ताकि अध्ययन कार्यक्रम को पूरा करने हेतु विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। 71. **'I' ग्रेड** या **एफ** ग्रेड प्राप्त करने वालों के अलावा प्रत्येक विद्यार्थी को सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने वाला समझा जायेगा। 72. पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर चुके विद्यार्थियों को ग्रेड सुधार हेतु पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। 73. चयनित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु अभ्यर्थी को उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे। ऐसा करने में असफल होने पर उन्हें उस पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण समझा जायेगा एवं **'एफ'** ग्रेड प्रदान किया जायेगा। 74. एक बार **'एफ'** ग्रेड प्राप्त होने पर ये विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर रहेगा जो बाद में पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर भी हटाया नहीं जायेगा। विद्यार्थी द्वारा बाद में अर्जित ग्रेड को उस उत्तरवर्ती सेमेस्टर, जिसमें वह अपना शेष पूरा करने हेतु सम्मिलित हुआ था, की ग्रेड शीट में अंकित किया जायेगा। 75. **'एफ'** ग्रेड अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को केवल एंड– सेमेस्टर परीक्षा की पुनरावृत्ति करनी होगी अर्थात् उन्हें उसी पाठ्यक्रम की अगले सत्र की एंड–सेमेस्टर परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की आवश्यकता है। विद्यार्थी को सतत आंतरिक मूल्यांकन और/या मिड–टर्म परीक्षा की पुनरावृत्ति/पुनः सम्मिलित होने की अनुमति

IndiaCode

मूल्यांकन और/या मिड–टर्म परीक्षा की पुनरावृत्ति/पुनः सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। उनके द्वारा सतत आंतरिक मूल्यांकन और/या मिड–टर्म परीक्षा में अर्जित अंक परिणाम की घोषणा हेतु अग्रेनीत होंगे। 76. किसी पाठ्यक्रम में **'एफ'** ग्रेड अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को उत्तरवर्ती एंड–सेमेस्टर परीक्षा के साथ–साथ उस पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि तक की एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं की पुनरावृत्ति करने/पुनः सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी। 77. यदि कोई विद्यार्थी परियोजना कार्य/प्रोजेक्ट रिपोर्ट/लघु शोधप्रबंध/ क्षेत्र कार्य रिपोर्ट/प्रशिक्षण रिपोर्ट इत्यादि में **'एफ'** ग्रेड अर्जित करता है तो उसे मूल्यांक की आवश्यकतानुसार परिशोधित परियोजना कार्य /प्रोजेक्ट रिपोर्ट/लघु शोध–प्रबंध/क्षेत्र कार्य रिपोर्ट/प्रशिक्षण रिपोर्ट इत्यादि पुनः जमा करना होगा। परन्तु किसी विद्यार्थी को परियोजना कार्य/प्रोजेक्ट रिपोर्ट/लघु शोधप्रबंध/क्षेत्र कार्य रिपोर्ट/प्रशिक्षण रिपोर्ट इत्यादि अधिकतम तीन बार(प्रथम बार जमा करने सहित) पुनः जमा करने की अनुमति होगी। 78. उपपूरक/पूरक परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होगी। 79. विषम(Odd) सेमेस्टर में प्रवेशित सभी विद्यार्थी सम (Even) सेमेस्टर में प्रोन्नति हेतु अर्ह हैं। सम सेमेस्टर से विषम में प्रोन्नति हेतु विद्यार्थी को पंजीकृत सभी पाठ्यक्रमों का कम–से–कम 50 प्रतिशत सफलतापूर्वक पूर्ण करने की आवश्यकता है। अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति प्राप्त ना कर सकने वाले समस्त विद्यार्थियों को तब तक पूरा–छात्र माना जायेगा जब तक कि वे अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति हेतु योग्य नहीं हो जाते।		प्रदान नहीं की जायेगी। उनके द्वारा सतत आंतरिक मूल्यांकन और/या मिड–टर्म परीक्षा में अर्जित अंक परिणाम की घोषणा हेतु अग्रेनीत होंगे। 76. किसी पाठ्यक्रम में **'एफ'** ग्रेड अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को उत्तरवर्ती एंड–सेमेस्टर परीक्षा के साथ–साथ उस पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि तक की एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं की पुनरावृत्ति करने/पुनः सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी। 77. यदि कोई विद्यार्थी परियोजना कार्य/प्रोजेक्ट रिपोर्ट/ लघु शोधप्रबंध/ क्षेत्र कार्य रिपोर्ट/प्रशिक्षण रिपोर्ट इत्यादि में **'एफ'** ग्रेड अर्जित करता है तो उसे मूल्यांक की आवश्यकतानुसार परिशोधित परियोजना कार्य/प्रोजेक्ट रिपोर्ट/लघु शोध–प्रबंध/क्षेत्र कार्य रिपोर्ट/प्रशिक्षण रिपोर्ट इत्यादि पुनः जमा करना होगा। परन्तु किसी विद्यार्थी को परियोजना कार्य/प्रोजेक्ट रिपोर्ट/लघु शोधप्रबंध/क्षेत्र कार्य रिपोर्ट/प्रशिक्षण रिपोर्ट इत्यादि अधिकतम तीन बार(प्रथम बार जमा करने सहित) पुनः जमा करने की अनुमति होगी। 78. उपपूरक/पूरक परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होगी। 79. विषम(Odd) सेमेस्टर में प्रवेशित सभी विद्यार्थी सम (Even) सेमेस्टर में प्रोन्नति हेतु अर्ह हैं। सम सेमेस्टर से विषम में प्रोन्नति हेतु विद्यार्थी को पंजीकृत सभी पाठ्यक्रमों का कम–से–कम 50 प्रतिशत सफलतापूर्वक पूर्ण करने की आवश्यकता है। अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति प्राप्त ना कर सकने वाले समस्त विद्यार्थियों को तब तक पूरा–छात्र माना जायेगा जब तक कि वे अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति हेतु योग्य नहीं हो जाते।
किसी कार्यक्रम(प्रोग्राम) के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों हेतु विशेष प्रावधान : 80. किसी कार्यक्रम(प्रोग्राम) के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों (बहिर्गामी विद्यार्थियों) हेतु केवल विषम सेमेस्टर की विशष एंड–सेमेस्टर परीक्षायें आयोजित की जायेंगी। बहिर्गामी विद्यार्थियों हेतु प्रश्न–पत्र आंतरिक स्तर पर ही तैयार एवं मूल्यांकित किए जायेंगे। 81. परन्तु यह कि यदि किसी अध्ययन कार्यक्रम (प्रोग्राम) के अंतिम सेमेस्टर के किसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी **'एफ'** ग्रेड प्राप्त करता है तो विश्वविद्यालय केवल उस पाठ्यक्रम की विशेष एंड–टर्म परीक्षाओं को उस अध्ययन कार्यक्रम (प्रोग्राम) की अंतिम सेमेस्टर के परिणामों की घोषणा के एक माह के भीतर कराने की व्यवस्था करेगा। परन्तु असाधारण तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अकादमिक कार्यक्रम समिति विशेष एंड–सेमेस्टर परीक्षा के आयोजन का निर्णय ले सकती है।	**कोई परिवर्तन नहीं**	**किसी कार्यक्रम(प्रोग्राम) के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों हेतु विशेष प्रावधान :** 80. किसी कार्यक्रम(प्रोग्राम) के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों (बहिर्गामी विद्यार्थियों) हेतु केवल विषम सेमेस्टर की विशष एंड–सेमेस्टर परीक्षायें आयोजित की जायेंगी। बहिर्गामी विद्यार्थियों हेतु प्रश्न–पत्र आंतरिक स्तर पर ही तैयार एवं मूल्यांकित किए जायेंगे। 81. परन्तु यह कि यदि किसी अध्ययन कार्यक्रम (प्रोग्राम) के अंतिम सेमेस्टर के किसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी **'एफ'** ग्रेड प्राप्त करता है तो विश्वविद्यालय केवल उस पाठ्यक्रम की विशेष एंड–टर्म परीक्षाओं को उस अध्ययन कार्यक्रम (प्रोग्राम) की अंतिम सेमेस्टर के परिणामों की घोषणा के एक माह के भीतर कराने की व्यवस्था करेगा। परन्तु असाधारण तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अकादमिक कार्यक्रम समिति विशेष एंड–सेमेस्टर परीक्षा के आयोजन का निर्णय ले सकती है।

IndiaCode

अनुत्तीर्ण पाठ्यक्रमों में पुनर्पंजीयन : 82. **'एफ'** ग्रेड प्राप्त ऐसे विद्यार्थी जो पुनर्पंजीयन के माध्यम से पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं तो उसे निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इसकी अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में विद्यार्थी को एंड–सेमेस्टर परीक्षा के अतिरिक्त मिड–सेमेस्टर एवं सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होने की अनुमति है।	**कोई परिवर्तन नहीं**	**अनुत्तीर्ण पाठ्यक्रमों में पुनर्पंजीयन :** 82. **'एफ'** ग्रेड प्राप्त ऐसे विद्यार्थी जो पुनर्पंजीयन के माध्यम से पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं तो उसे निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इसकी अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में विद्यार्थी को एंड–सेमेस्टर परीक्षा के अतिरिक्त मिड–सेमेस्टर एवं सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होने की अनुमति है।
ग्रेड कार्ड : 83. सेमेस्टर के अंत में प्रत्येक विद्यार्थी को जारी किए जाने वाले ग्रेड कार्ड में निम्नलिखित दर्शाए जायेंगे : (i) सेमेस्टर में पंजीकृत प्रत्येक पाठ्यक्रम में अर्जित अंक (ii) उस सेमेस्टर में पंजीकृत प्रत्येक पाठ्यक्रम में अर्जित ग्रेड (iii) प्रत्येक पाठ्यक्रम में अक्षर ग्रेड के माध्यम से दर्शाया गया प्रदर्शन (iv) उस सेमेस्टर हेतु पंजीकृत सभी पाठ्यक्रमों का सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत(एसजीपीए) (v) उस सेमेस्टर हेतु पंजीकृत सभी पाठ्यक्रमों का वेटेड एवरेज मार्क्स (डब्ल्यूएएम) (vi) क्यूम्यूलेटिव ग्रेड प्वाइंट एवरेज(सीजीपीए) (vii) ओवरऑल वेटेड परसेंटेज ऑफ मार्क्स (ओडब्ल्यूपीएम) (viii) कार्यक्रम(प्रोग्राम) पूर्ण करने के बाद समस्त पाठ्यक्रमों की श्रेणी एवं ग्रेड 84. इन अध्यादेशों में कुछ होते हुये भी अभ्यर्थियों से जुड़े सभी मामले विद्यापरिषद द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं, जो उस समय प्रभावी हैं, द्वारा शासित होंगे। 85. इन अध्यादेशों के प्रभावी होने की तिथि से इस संबंध में पूर्व के समस्त अध्यादेश निष्प्रभावी हो जायेंगे। परंतु यह प्रतिसंहरण इस प्रकार प्रतिसंहरित पिछले अध्यादेशों को *या* इस प्रकार प्रतिसंहरित पिछले अध्यादेशों के तहत कुछ भी किये गये *या* भुक्ते गए *या* इस प्रकार प्रतिसंहरित किसी अध्यादेश के तहत अर्जित, प्राप्त *या* आगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा। 86. इन अध्यादेशों की व्याख्या के संबंध में कोई भी संदेह या विवाद विचारार्थ कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा; विद्यापरिषद के अध्यक्ष के रूप में उनका निर्णय अंतिम होगा। कुलपति शोध में उत्कृष्टता के अनुसरण में इन अध्यादेशों में दिए गए किन्हीं खंडों को परिवर्तित, संशोधित एवं/या हटा या जोड़ सकते हैं। परंतु यह भी कि इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन, संशोधन,	**कोई परिवर्तन नहीं**	**ग्रेड कार्ड :** 83. सेमेस्टर के अंत में प्रत्येक विद्यार्थी को जारी किए जाने वाले ग्रेड कार्ड में निम्नलिखित दर्शाए जायेंगे : (i) सेमेस्टर में पंजीकृत प्रत्येक पाठ्यक्रम में अर्जित अंक (ii) उस सेमेस्टर में पंजीकृत प्रत्येक पाठ्यक्रम में अर्जित ग्रेड (iii) प्रत्येक पाठ्यक्रम में अक्षर ग्रेड के माध्यम से दर्शाया गया प्रदर्शन (iv)उस सेमेस्टर हेतु पंजीकृत सभी पाठ्यक्रमों का सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत(एसजीपीए) (v) उस सेमेस्टर हेतु पंजीकृत सभी पाठ्यक्रमों का वेटेड एवरेज मार्क्स (डब्ल्यूएएम) (vi) क्यूम्यूलेटिव ग्रेड प्वाइंट एवरेज(सीजीपीए) (vii) ओवरऑल वेटेड परसेंटेज ऑफ मार्क्स (ओडब्ल्यूपीएम) (viii) कार्यक्रम(प्रोग्राम) पूर्ण करने के बाद समस्त पाठ्यक्रमों की श्रेणी एवं ग्रेड 84. इन अध्यादेशों में कुछ होते हुये भी अभ्यर्थियों से जुड़े सभी मामले विद्यापरिषद द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं, जो उस समय प्रभावी हैं, द्वारा शासित होंगे। 85. इन अध्यादेशों के प्रभावी होने की तिथि से इस संबंध में पूर्व के समस्त अध्यादेश निष्प्रभावी हो जायेंगे। परंतु यह प्रतिसंहरण इस प्रकार प्रतिसंहरित पिछले अध्यादेशों को *या* इस प्रकार प्रतिसंहरित पिछले अध्यादेशों के तहत कुछ भी किये गये *या* भुक्ते गए *या* इस प्रकार प्रतिसंहरित किसी अध्यादेश के तहत अर्जित, प्राप्त *या* आगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा। 86. इन अध्यादेशों की व्याख्या के संबंध में कोई भी संदेह या विवाद विचारार्थ कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा; विद्यापरिषद के अध्यक्ष के रूप में उनका निर्णय अंतिम होगा। कुलपति शोध में उत्कृष्टता के अनुसरण में इन अध्यादेशों में दिए गए किन्हीं खंडों को परिवर्तित, संशोधित एवं/या हटा या जोड़ सकते हैं। परंतु

IndiaCode

हटाने एवं जोड़ने को विद्यापरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ रिपोर्ट किया जायेगा।		यह भी कि इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन, संशोधन, हटाने एवं जोड़ने को विद्यापरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ रिपोर्ट किया जायेगा।

अध्यादेश– 22(ब)**

पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन कार्यक्रम(प्रोग्राम) तथा उपाधि, डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु शर्तें

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28(1)(बी), 28(1)(सी) एवं 28(1)(जी) के तहत)

पाठ्यक्रम संरचना :

1. डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर की पाठ्यक्रम संरचना शिक्षार्थी–केन्द्रित एवं उच्चतर शिक्षा के प्रति संपूर्णतावादी दृष्टिकोण पर आधारित होगी। गहन अध्ययन पर केन्द्रित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या (स्लैबस) शोध एवं शोधवृत्ति से जुड़ी होगी तथा प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन के आधार पर सतत् पुनरीक्षित एवं अद्यतनीकृत होगी।
2. शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया (कक्षा गतिविधियाँ, स्वय–सीखना, कार्य–स्थापन एवं मूल्यांकन) का लक्ष्य निम्नलिखित को पोषित एवं विकसित करना होगा :
 क. *ज्ञान एवं बोध* – सामान्य, विशिष्ट ज्ञानक्षेत्र, विषिष्ट विद्या, विशिष्ट–संगठन, अनुप्रयोग–उन्मुखीकरण;
 ख. *योग्यताएँ एवं कौशल* – मौखिक, आंकिक, संशिलष्ट, विश्लेषणात्मक, बुनियादी कौशल, उद्यमिता कौशल, नेतृत्व, टीम वर्क; तथा
 ग. *मूल्य एवं अभिवृत्ति* – मानव मूल्य, कार्य नैतिकता, कार्य संस्कृति, सकारात्मक सोच, संवेदना, भावनात्मक प्रज्ञा।
3. समस्त अध्ययन कार्यक्रम के पाठ्यक्रम एवं शिक्षण–पद्धति का लक्ष्य :
 क. वर्तमान एवं उदीयमान ज्ञान, सिद्धान्त एवं प्रयोग से परिचय समाविष्ट कराना
 ख. परियोजना कार्य, साहित्य सर्वेक्षण, आँकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या एवं अनुमान के माध्यम से शोध अभिरूचि विकसित करना
 ग. तार्किक चिंतन एवं ज्ञान पिपासा विकसित करना; तथा
 घ. मूल्यनिरूपण, मूल्यांकन एवं समस्या समाधान हेतु ज्ञान का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना।
4. अंतर्भूत जिज्ञासा एवं विषय की पारंगता द्वारा प्रचालित ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु पाठ्यक्रम में पढ़ायी जाने वाली विषयवस्तु एवं विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र अधिगम के बीच संतुलन बनाने का प्रयास होगा।
5. रट्टामार अधिगम को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से समस्त अध्ययन कार्यक्रमों (प्रोग्रामों) के पाठ्यक्रम का लक्ष्य विद्यार्थियों का प्रदर्शन ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण एवं संश्लेषण के रूप में आँक कर कुल अधिगम परिणाम (टीएलओ) का निर्धारण करना होगा।
6. विद्यार्थियों का आकलन एवं मूल्यांकन कुल विद्यार्थी प्रयास (टीएसई) के आधार पर होगा। इस प्रकार इसमें विद्यार्थियों की उपलब्धियों की गणना में कुल कार्यभार को भी ध्यान में रखा जायेगा। कार्यभार में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :
 क. संपर्क घंटे / व्यवस्थित कक्षा गतिविधियाँ;
 ख. प्रयोग / प्रयोगशाला कार्य / ट्यूटोरियल / शिक्षक गतिविधियाँ;
 ग. व्यक्तिगत / सामूहिक कार्य;
 घ. अनिवार्य / वैकल्पिक कार्य पर लगाना;
 ङ. साहित्य सर्वेक्षण / पुस्तकालय कार्य;
 च. आँकडा संग्रहण / क्षेत्र कार्य / परियोजना कार्य;
 छ. शोध–पत्र / परियोजना / लघु शोधप्रबंध / शोधप्रबंध / सेमीनार;
 ज. असाइनमेंट / क्विज / मिड–टर्म; एवं
 झ. एंड–सेमेस्टर परीक्षा।

सेमेस्टर प्रणाली :

7. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त अध्ययन कार्यक्रम (प्रोग्रामों) सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित होंगे। तद्नुसार, विश्वविद्यालय का अकादमिक कैलेण्डर दो सत्र में विभक्त होगा– (क) मानसून सेमेस्टर (विषम सेमेस्टर)– जुलाई से दिसम्बर तक विस्तारित; एवं (ख) बसंत सेमेस्टर (सम सेमेस्टर)– जनवरी से जून तक विस्तारित। प्रत्येक सेमेस्टर में 18 सप्ताह के दौरान न्यूनतम 90 दिन शिक्षण होगा।

चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) :

8. विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययन कार्यक्रम (प्रोग्रामों) व्यापक चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) पर आधारित होंगे।
9. अध्ययन कार्यक्रम की पाठ्यचर्या विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम, विषयवस्तु, अधिगम का ढ़ंग एवं गति के रूप में अत्यधिक विकल्प उपलब्ध करायेगा तथा विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों का अपना समुच्चय चुनने एवं सीखने का अपना मार्ग एवं गति चुनने हेतु प्रेरित करेगा।

10. विद्यार्थियों को प्रत्येक सेमेस्टर में अपना मार्ग एवं पाठ्यक्रमों का समुच्चय बनाने में समर्थ बनाने के लिए सहयोग हेतु **शिक्षक सलाहकार** होंगे जो उन्हें अपनी पसंद चुनने हेतु मार्गदर्शन देंगे।

11. अध्ययनशाला मंडल शैक्षणिक घटकों, अधिगम परिणामों एवं कार्यभार को पहले से विनिर्दिष्ट करके व्यापक संरचना, मानक एवं निर्देश चिह्न तय करेंगे जिसका अनुसरण विभाग पाठ्यक्रम डिजाइन एवं संचालित करने में करेंगे।

पाठ्यक्रम सूची :

12. अध्ययन मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट व्यापक संरचना के भीतर अध्ययन मंडल नामपद्धति/शीर्षक, शैक्षणिक घटक, पूर्व—आवश्यक एवं सह—आवश्यक सहित पाठ्यक्रम—आवश्यकताएँ एवं क्रेडिट आदि निर्धारित की जायेंगी।
13. अध्ययन मंडल/अध्ययनशाला मंडल/विद्यापरिषद द्वारा विनिदिष्ट एवं अनुमोदित समस्त पाठ्यक्रम 'पाठ्यक्रम सूची' में दर्ज होंगे। सूची का सतत् पुनरीक्षण एवं अद्यतनीकरण होना चाहिए।
14. पाठ्यक्रम सूची विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/केन्द्रों/अध्ययनशालाओं द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की विस्तृत सूची एवं संक्षिप्त रूपरेखा उपलब्ध करायेगी।
15. पाठ्यक्रम सूची में दर्ज प्रत्येक पाठ्यक्रम अपने स्तर, पूर्व—आवश्यक एवं सह—आवश्यक, समय के रूप में अपेक्षाएँ, उस पाठ्यक्रम में पंजीकृत होने वाले विद्यार्थियों की ओर से प्रतिबद्धताओं एवं पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु आवश्यकताओं को दर्शित करेगा।

पाठ्यक्रम पंजीयन :

16. अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के बाद एवं प्रत्येक उत्तरवर्ती सेमेस्टर के प्रारम्भ होने पर विद्यार्थियों को सेमेस्टर के दौरान पढ़ने हेतु अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों में पंजीयन कराना होगा।
17. पाठ्यक्रम हेतु पंजीयन शिक्षक सलाहकार के परामर्श से निर्धारित प्रारूप पर किया जायेगा जिसे विद्यार्थी, शिक्षक सलाहकार एवं संबंधित विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जायेगा।
18. किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम में पंजीयन की तिथि से 07 दिवस के भीतर पाठ्यक्रम परिवर्तन, यदि लागू हो, की अनुमति दी जा सकती है।
19. किसी सेमेस्टर में क्रेडिटों की ऐसी न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या, जिसमें विद्यार्थी पंजीकृत हो सकते हैं, अध्ययन मंडल/अध्ययनशाला मंडल/विद्यापरिषद द्वारा निर्धारितानुसार होगी।

पाठ्यक्रम का ऑडिट (अंकेक्षण) :

20. पाठ्यक्रम को संभालने वाले शिक्षक की अनुमति से विद्यार्थी को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर बिना कोई क्रेडिट आवंटित किये अधिकतम दो पाठ्यक्रमों का पुनः निरीक्षण करने की अनुमति दी जा सकती है।

पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा :

21. कार्यक्रम (प्रोग्रामों) को गतिशील, लचीला, बहु—अनुशासनिक और अंतर—अनुशासनिक बनाने हेतु प्रत्येक संकाय सदस्य को उनके द्वारा किसी सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी होगी और प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ होने के समय पाठ्यक्रम में पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध करानी होगी।
22. पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा सर्वसमावेशी संरचना एवं अध्ययन मंडल/अध्ययनशाला मंडल/विद्यापरिषद द्वारा निर्धारित व्यापक दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की जायेगी तथा उसमें उस पाठ्यक्रम से संबंधित विशिष्ट विवरण जैसे पूर्ण करने हेतु आवश्यकताएँ, आंकलन मापदंड, इकाईवार पाठ्यक्रम विषयवस्तु, व्याख्यान योजना, निर्धारित पाठ, पठन सूची, विद्यार्थी केन्द्रित योजनाबद्ध गतिविधियाँ/शिक्षक द्वारा गतिविधियाँ इत्यादि, शामिल होगा।

क्रेडिट समनुदेशन :

23. किसी पाठ्यक्रम हेतु क्रेडिट समनुदेशन का निर्णय विशिष्ट अधिगम परिणामों, शैक्षणिक घटकों एवं कार्यभार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया जायेगा।

अध्ययन कार्यक्रम (प्रोग्राम) :

24. समस्त अध्ययन कार्यक्रम(प्रोग्राम) यूजीसी/राष्ट्रीय नियामक निकायों/वृत्तिक परिषदों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता शर्तें, अवधि, क्रेडिट आवश्यकताएँ एवं न्यूनतम मानकों की अन्य शर्तों के सामान्य अनुपालन में होंगे।

अध्ययन कार्यक्रम(प्रोग्राम) की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि :

25. यूजीसी/नियामक निकाय/संबंधित वृत्तिक परिषद की आवश्यकताओं के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किए गए एवं संचालित समस्त कार्यक्रमों(प्रोग्रामों) की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि वही होगी जो विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदित होगी।

न्यूनतम आवश्यक अर्हताएँ एवं प्रवेश हेतु चयन के मापदंड :

26. विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों (प्रोग्रामों) में प्रवेश हेतु प्रवेश हेतु अर्हताएँ, आयु सीमा एवं छूट, यदि कोई हो, सहित विद्यार्थियों के चयन के मापदंड एवं न्यूनतम अर्हता शर्तें विद्यापरिषद द्वारा निर्धारित एवं विवरणिका में अधिसूचित होंगी। (इस अध्यादेश की **अनुसूची—I** में यथोल्लिखित)

अध्ययन कार्यक्रम(प्रोग्राम) पूर्ण करने हेतु आवश्यक क्रेडिट :

27. यूजीसी/नियामक निकाय/संबंधित वृत्तिक परिषद की आवश्यकताओं के अनुसार, अध्ययन कार्यक्रम पूर्ण करने हेतु आवश्यक क्रेडिट वही होंगी जो विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद द्वारा निर्धारित की जायेंगी।(इस अध्यादेश की **अनुसूची–I** में यथोल्लिखित)

उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु शर्तें :

28. यूजीसी/नियामक निकाय/संबंधित वृत्तिक परिषद की आवश्यकताओं के अनुसार, उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु शर्तें वही होंगी जो विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद द्वारा निर्धारित की जायेंगी। (इस अध्यादेश की **अनुसूची–I** में यथोल्लिखित)

29. इन अध्यादेशों में कुछ होते हुये भी अभ्यर्थियों से जुड़े सभी मामले विद्यापरिषद द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं, जो उस समय प्रभावी हैं, द्वारा शासित होंगे।

30. इन अध्यादेशों के प्रचलन में आने की तिथि से इस संबंध में पूर्व के समस्त अध्यादेश निष्प्रभावी हो जायेंगे। परंतु यह प्रतिसंहरण इस प्रकार प्रतिसंहरित पिछले अध्यादेशों को *या* इसप्रकार प्रतिसंहरित पिछले अध्यादेशों के तहत कुछ भी किये गये *या* भुक्ते गए *या* इसप्रकार प्रतिसंहरित किसी अध्यादेश के तहत अर्जित, प्राप्त *या* आगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

31. इन अध्यादेशों की व्याख्या के संबंध में कोई भी संदेह या विवाद विचारार्थ कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, विद्यापरिषद के अध्यक्ष के रूप में उनका निर्णय अंतिम होगा। कुलपति शोध में उत्कृष्टता के अनुसरण में इन अध्यादेशों में दिए गए किन्हीं खंडों को आशोधित, संशोधित एवं/या हटा या जोड़ सकते हैं। परंतु यह भी कि इस प्रकार के किसी भी आशोधन, सुधार, हटाने एवं जोड़ने को विद्यापरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रेषित करना होगा।

MediaCode

अध्यादेश– 22(ब) की अनुसूची–I

चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के तहत कार्यक्रमों को शासित करने हेतु विनियम

व्याप्ति (कवरेज) :

सीबीसीएस विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदित समस्त पूर्णकालिक स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्र अध्ययन कार्यक्रमों में लागू है। यह विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदित अन्य अध्ययन कार्यक्रमों, जिनके द्वारा सीबीसीएस प्रणाली का पालन सुनिश्चित करना तय किया है, में भी लागू है।

क्रेडिट एवं संपर्क घंटे :

क. 18 सप्ताह के किसी सेमेस्टर में एक क्रेडिट से तात्पर्य प्रति सप्ताह थीअरि शिक्षण का एक संपर्क घंटा या प्रयोगशाला/प्रैक्टिकल के दो घंटों से है।

ख. किसी पाठ्यक्रम हेतु एक ट्यूटोरियल घंटे का अर्थ एक क्रेडिट होगा।

ग. क्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यचर्या से अनुबद्ध अध्ययन यात्रा (सीएसएसटी), जिसमें विद्यार्थी संकाय सदस्यों के साथ पूरा समय क्षेत्र में बिताते हैं, के सप्ताह को एक क्रेडिट समनुदेशित की जायेगी।

घ. संबंधित विभाग के अध्ययन मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी/संगठन/संस्थान में एक माह की प्रशिक्षुता/प्रशिक्षण को तीन क्रेडिट तक समनुदेशित किए जा सकते हैं।

सीबीसीएस के तहत पाठ्यक्रम की रूपरेखा :

क. **मुख्य पाठ्यक्रम (कोर कोर्स–सीसी)** : वह पाठ्यक्रम जिसे विद्यार्थी द्वारा मुख्य आवश्यकता के रूप में अनिवार्यतः पढ़ा जाना चाहिए उसे मुख्य पाठ्यक्रम कहा जायेगा।

ख. **ऐच्छिक पाठ्यक्रम (इलेक्टिव कोर्स)** : सामान्यतः ऐसा पाठ्यक्रम, जिसे पूल कोर्सेज में से चुना जाता है एवं जो बेहद विशिष्ट या विशेषज्ञतायुक्त या उन्नत या अनुशासन/विषय का सहयोगी या विस्तृत उपलब्ध कराने वाला हो या किसी अन्य अनुशासन/विषय/ज्ञानक्षेत्र से परिचय सुनिश्चित करे या अभ्यर्थी की प्रवीणता एवं कौशल को पोषित करता है, *ऐच्छिक पाठ्यक्रम* कहलाता है।

i. **अनुशासन विशेष ऐच्छिक (डीएसई) पाठ्यक्रम** : मुख्य अनुशासन/अध्ययन विषय द्वारा प्रस्तुत ऐच्छिक विष को अनुशासन *विशेष ऐच्छिक पाठ्यक्रम* कहा जाता है। विश्वविद्यालय/संस्थान (मुख्य अनुशासन/अध्यय विषय द्वारा प्रस्तुत किया जाये) अंतरअनुशासनिक प्रकृति के अनुशासन संबंधित ऐच्छिक विषय भी प्रस्तुत कर सकता है।

ii. **लघु शोध–प्रबंध/परियोजना** : विशेष/उन्नत ज्ञान अर्जित करने हेतु तैयार किया गया ऐच्छिक विषय जैसे–परियोजना कार्य का पूरक अध्ययन/सहयोगी अध्ययन, यदि अभ्यर्थी ऐसे किसी पाठ्यक्रम शिक्षक/संकाय सदस्य के परामर्शी सहयोग से स्वयं अध्ययन करता है तो उस पाठ्यक्रम को *लघु शोध–प्रबंध/परियोजना* कहा जायेगा।

iii. **मुक्त ऐच्छिक (ओई) पाठ्यक्रम** : नए ज्ञानक्षेत्र के परिचय की लालसा से मुक्त ऐच्छिक पाठ्यक्रम सामान्यतः गैर–संबंधित अनुशासन/विषय से चुना जाता है, तो ऐसे पाठ्यक्रम को जेनरिक ऐच्छिक या मुक्त ऐच्छिक पाठ्यक्रम कहा जाता है।

पुनश्च : किसी अनुशासन/विषय में प्रस्तुत मुख्य पाठ्यक्रम को अन्य अनुशासन/विषय द्वारा ऐच्छिक पाठ्यक्रम के रूप में एवं इसके विपरीत माना जा सकता है तथा ऐसे ऐच्छिक विषयों को जेनरिक ऐच्छिक के रूप में भी अभिनिर्देषित किया जा सकता है।

ख. **योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम (एईसी)** : योग्यता संवर्धन (एई) पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं : योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी) एवं कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी)। एईसीसी पाठ्यक्रम ज्ञान संवर्धन करने वाली विषयवस्तु पर आधारित पाठ्यक्रम– i. पर्यावरण अध्ययन एवं ii. अंग्रेजी/एमआईएल संप्रेषण– होते हैं। ये सभी अनुशासनों हेतु अनिवार्य हैं। एसईसी पाठ्यक्रम मूल्य आधारित एवं/व कौशल आधारित एवं प्रशिक्षण, सक्षमता, कौशल विकास इत्यादि केन्द्रित होते हैं।

i. योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी): पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी संप्रेषण/एमआईएल संप्रेषण।

ii. कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम(एसईसी): मूल्य आधारित एवं/व कौशल आधारित ज्ञान प्रदान करने हेतु तैयार किए गए पूल पाठ्यक्रमों में से चुना जा सकता है।

*स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शोध–संघटक समाविष्ट किये जा रहे हैं।

परियोजना कार्य/लघु शोध–प्रबंध को वास्तविक जीवन स्थिति/जटिल समस्याओं को हल करने/विश्लेषण करने/समन्वेषण करने में ज्ञान का अनुप्रयोग करने हेतु विशेष पाठ्यक्रम के रूप में मान्य किया जाता है। कोई परियोजना/लघु शोध–प्रबंध कार्य 06 क्रेडिट का होगा। परियोजना/लघु शोध–प्रबंध कार्य अनुशासन विशेष ऐच्छिक पाठ्यक्रम के बदले दिया जा सकता है।

पाठ्यक्रम के संघटक :

क. प्रत्येक प्रस्तावित पाठ्यक्रम के तीन संघटक हो सकते हैं :

i. व्याख्यान– एल ii. ट्यूटोरियल– टी iii. प्रैक्टिकल– पी

जहाँ, **एल** से तात्पर्य कक्षा व्याख्यान सत्र है। **टी** से तात्पर्य प्रतिभागितापूर्ण विचार–विमर्श/डेस्क वर्क/संक्षिप्त सेमीनार प्रस्तुतिकरण एवं ऐसे अन्य नवोन्मेषी विधियाँ से पूर्ण ट्यूटोरियल सत्र से है। **पी** से तात्पर्य प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) सत्र से है इसमें वास्तविक अनुभव/प्रयोगशाला अनुभव/क्षेत्र अध्ययन/प्रकरण अध्ययन इत्यादि सम्मिलित हैं।

ख. किसी पाठ्यक्रम में एक या दो या सभी तीन संघटक हो सकते हैं अर्थात् पाठ्यक्रम में केवल व्याख्यान संघटक (एल), या केवल प्रायोगिक संघटक (पी) या किन्हीं दो या सभी तीनों संघटकों (एल, टी, पी) का सम्मिलिन हो सकता है।

ग. किसी पाठ्यक्रम हेतु समनुदेषित क्रेडिट को इन्हीं तीनों संघटकों में बाँटा जा सकता है।

घ. संबंधित अध्ययन मंडल आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु उपयुक्त क्रेडिट पैटर्न का चयन करेगा।

विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट संरचना :

क. मुख्य, विषय एवं मुक्त ऐच्छिक पाठ्यक्रमों तथा परियोजना कार्य सहित किसी स्नातकोत्तर/मास्टर्स कार्यक्रम हेतु कुल क्रेडिट सारणी–1 के अनुसार होगी।

ख. विभिन्न पाठ्यक्रम प्रकारों(सीसी/एसई/ओई/परियोजना) हेतु क्रेडट का वितरण अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारितानुसार होगा।

ग. मुख्य पाठ्यक्रम के एवज में कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं लिया जा सकता। मुख्य पाठ्यक्रम सामान्यतः 05 क्रेडिट प्रति पाठ्यक्रम के होंगे। हालाँकि, पाठ्यचर्या की आवश्यकतानुसार मुख्य पाठ्यक्रम हेतु 02 से 05 क्रेडिट समनुदेशित की जा सकती हैं।

घ. किसी सेमेस्टर एवं पूरे स्नातकोत्तर कार्यक्रम में मुख्य पाठ्यक्रमों की संख्या संबंधित विभाग के अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित की जायेगी। हालाँकि, पूरे कार्यक्रम के मुख्य पाठ्यक्रमों हेतु कुल क्रेडिट सारणी–1 के अनुसार होंगी।

ङ. प्रत्येक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में ऐच्छिक पाठ्यक्रम चुनने हेतु विद्यार्थियों के समक्ष पर्याप्त विकल्प होंगे। आवश्यक होने पर किसी कार्यक्रम के ऐच्छिक पाठ्यक्रमों को शिक्षकों की विशेषज्ञता के अनुसार समूहबद्ध किया जा सकता है तथा विद्यार्थियों को प्रत्येक समूह से एक या दो पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प भी दिया जायेगा।

च. प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारम्भ होने के दो सप्ताह पूर्व, विभाग उपलब्ध ऐच्छिक पाठ्यक्रमों एवं संबंधित शिक्षकों के नाम सहित उपलब्ध सीटों की सूची अधिसूचित करेगा। हालाँकि, शिक्षक एवं प्रयोगशाला की बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए ऐच्छिक विषयों को सत्रवार क्रमावर्त भी किया जा सकता है।

छ. मुक्त ऐच्छिक विषय विश्वविद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम में संचालित किए जायेंगे। ओई पाठ्यक्रमों की सूची, पाठ्यक्रम की विस्तृत विषयवस्तु, प्रभारी शिक्षक एवं समय–सारणी की सूची विभाग के सूचनापट्ट एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

ज. प्रत्येक विद्यार्थी को वरीयता क्रम में समस्त मुक्त ऐच्छिक कार्यक्रमों में से तीन विकल्प सेमेस्टर के अंत के तीन सप्ताह पूर्व उस सेमेस्टर हेतु देने होंगे, जिसमें मुक्त ऐच्छिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

झ. प्रत्येक विद्यार्थी मुक्त ऐच्छिक पाठ्यक्रमों हेतु अपने विकल्प दो प्रतियों,–एक मूल विभाग के अध्यक्ष हेतु एवं दूसरी उस विभाग के अध्यक्ष हेतु जिसके विभाग के मुक्त ऐच्छिक पाठ्यक्रम का वह चयन कर रहा है, में उपलब्ध करायेगा।

ञ. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी विभाग/अध्ययन''ाला द्वारा संचालित चयन आधारित ऐच्छिक पाठ्यक्रम लेगा। हालाँकि, प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की सीमा (न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 50 विद्यार्थी) निर्धारित है।

ट. सीटों की उपलब्धता के आधार पर पाठ्यक्रम संचालित करने वाला विभाग सेमेस्टर प्रारम्भ होने के पूर्व चयनित विद्यार्थियों की सूची अधिसूचित करेगा।

सारणी 1 : विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट रु

श्रेणी	कार्यक्रम	क्रेडिट			कुल क्रेडिट	अधिकतम अवधि (वर्ष में)
		सीसी	एसई	ओई		
I.	एकवर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम	30	08	02	40	02
II.	द्विवर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम	60	16	04	80	04
III.	त्रिवर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम	90	24	06	120	05

राष्ट्रीय नियामक निकाय/वृत्तिक परिषद द्वारा शासित कार्यक्रमों में संबंधित नियामक निकाय/वृत्तिक परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों एवं क्रेडिट आवश्यकताओं का अनुपालन किया जायेगा।

*परियोजना कार्य, यदि हो, के लिए 08 क्रेडिट आरक्षित रखी जा सकती हैं।

**आवश्यक होने पर 2–4 क्रेडिट उद्यमिता/परियोजना/समूह कार्य इत्यादि के लिए समनुदेशित की जा सकती हैं।

विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट संरचना :

क. मुख्य, विषय एवं मुक्त ऐच्छिक पाठ्यक्रमों तथा परियोजना कार्य सहित किसी स्नातक कार्यक्रम हेतु कुल क्रेडिट सारणी 2 के अनुसार होगी।

ख. विभिन्न पाठ्यक्रम प्रकारों (सीसी/एसई/ओई/परियोजना) हेतु क्रेडट का वितरण अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारितानुसार होगा।

ग. मुख्य पाठ्यक्रम के एवज में कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं लिया जा सकता। मुख्य पाठ्यक्रम सामान्यतः 04–06 क्रेडिट प्रति पाठ्यक्रम होंगे। हालाँकि, पाठ्यचर्या की आवश्यकतानुसार मुख्य पाठ्यक्रम हेतु 02 से 05 क्रेडिट समनुदेशित की जा सकती हैं।

घ. किसी सेमेस्टर एवं पूरे स्नातक कार्यक्रम में मुख्य पाठ्यक्रमों की संख्या संबंधित विभाग के अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित की जायेगी। हालाँकि पूरे कार्यक्रम के मुख्य पाठ्यक्रमों हेतु कुल क्रेडिट सारणी 2 के अनुसार होंगी।

ङ. प्रत्येक प्रथम उपाधि स्नातक कार्यक्रम (जैसे–बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.एफ.ए. इत्यादि) में योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम के रूप में फाउण्डेशन पाठ्यक्रम होंगे।

च. प्रत्येक स्नातक कार्यक्रम में अनुशासन विशेष ऐच्छिक पाठ्यक्रम एवं कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम होंगे।

बी.एससी., बी.ए. एवं बी.कॉम पाठ्यक्रमों हेतु योजना :

1. **फाउण्डेशन पाठ्यक्रम (एफसी) :**
 ये पाठ्यक्रम योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम(एईसीसी) के रूप में जाने जायेंगे। इसमें दो पाठ्यक्रम होंगे प्रत्येक 02 क्रेडिट का होगा।
 i. अंग्रेजी/एमआईएल संप्रेषण – 02 क्रेडिट
 ii. पर्यावरण अध्ययन – 02 क्रेडिट
 ये पाठ्यक्रम कार्यक्रम के I एवं II सेमेस्टर में संचालित होंगे।

2. **मुख्य पाठ्यक्रम (कोर कोर्स– सीसी):**
 ये पाठ्यक्रम 05/10 के रूप में 06/03 क्रेडिट के रुचि के प्रत्येक 03 अनुशासनों (विषयों) से होंगे। हालाँकि, प्रयोग/परियोजना/क्षेत्र अध्ययन वाले अनुशासनों में पाठ्यक्रम में सिद्धांत एवं प्रायोगिक कक्षाओं के संयोजन हेतु 06/04/02 क्रेडिट हो सकते हैं।

IndiaCode

3. कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी) :

ये पाठ्यक्रम मूल्य आधारित एवं/या कौशल आधारित ज्ञान की प्रोन्नति हेतु तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के पूल में से चुने जा सकते हैं। विद्यार्थी को अपनी रुचि के किन्हीं तीन अनुशासनों में से 04 पाठ्यक्रम अवश्य चुनने होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम 02 क्रेडिट का होगा।

4. अनुशासन विशेष ऐच्छिक (डीएसई) पाठ्यक्रम :

विद्यार्थी प्रत्येक विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के पूल में से अनुशासन विशेष के ऐच्छिक पाठ्यक्रम का चयन इस प्रकार करेगा कि वह अपनी रुचि के प्रत्येक अनुशासन से एक पाठ्यक्रम चुने।

सारणी 2 : विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों हेतु न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट #

श्रेणी	कार्यक्रम	क्रेडिट				कुल क्रेडिट	अधिकतम अवधि (वर्ष में)
		एफसी	सीसी	एसईसी	डीएसई		
I.	त्रिवर्षीय स्नातक कार्यक्रम (बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम.)	04	90	08	18	120	05

राष्ट्रीय नियामक निकाय/वृत्तिक परिषद द्वारा शासित कार्यक्रमों में संबंधित नियामक निकाय/वृत्तिक परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों एवं क्रेडिट आवश्यकताओं का अनुपालन किया जायेगा।

*परियोजना कार्य, यदि हो, के लिए 08 क्रेडिट आरक्षित रखी जा सकती हैं।

**आवश्यक होने, 2—4 क्रेडिट उद्यमिता/परियोजना/समूह कार्य इत्यादि के लिए समनुदेशित की जा सकती हैं।

पाठ्यचर्या(सिलेबी) संरचना :

क. प्रत्येक पाठ्यक्रम को अनिवार्यतः बुनियादी पाठ्यक्रम (एफसी), मुख्य पाठ्यक्रम (सीसी), अनुशासन विशेष ऐच्छिक (डीएसई) एवं कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी) के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। परियोजना कार्य/सेमीनार/क्षेत्र कार्य/प्रशिक्षुता/प्रशिक्षण को मुख्य पाठ्यक्रम माना जायेगा।

ख. मुख्य पाठ्यक्रमों की प्रकृति मौलिक एवं आधारभूत तथा ऐच्छिक पाठ्यक्रमों की प्रकृति उन्नत एवं विशेषज्ञतापूर्ण होगी। मुक्त ऐच्छिक पाठ्यक्रम विद्यार्थियों का परिचय गैर—संबंधित अनुशासनों से कराने के उद्देश्य से तैयार किए जायेंगे।

ग. प्रत्येक पाठ्यक्रम का एक अक्षर कोड होगा जो निम्नलिखित को इंगित करेगा (i) विभाग का नाम (ii) संबंधित सेमेस्टर (iii) पाठ्यक्रम की प्रकृति (सीसीः मुख्य पाठ्यक्रम; डीएसईः अनुशासन विशेष ऐच्छिक; ओईः मुक्त ऐच्छिक) एवं (iv) पाठ्यक्रम संख्या।

घ. प्रत्येक स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम की पाठ्यक्रम संरचना एवं विस्तृत पाठ्यचर्या अध्ययन मंडल, अध्ययनशाला मंडल एवं विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदित की जायेगी।

ङ. शिक्षक द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक नये मुख्य या ऐच्छिक पाठ्यक्रम को पहले संबंधित विभाग के अध्ययन मंडल से अनुमोदित कराया जाना चाहिए एवं बाद में अनुमोदनार्थ अध्ययनशाला मंडल एवं विद्यापरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

च. विभाग की सुविधानुसार मुख्य एवं ऐच्छिक पाठ्यक्रमों को 04—06 इकाइयों में बाँटा जा सकता है।

सीबीसीएस के तहत पाठ्यक्रम में पंजीयन :

क. किसी कार्यक्रम में प्रवेश के बाद विद्यार्थी पाठ्यक्रमों हेतु अपना पंजीयन विभाग के शिक्षकों के परामर्श से निर्धारित पंजीयन कार्ड में करायेंगे। पंजीयन कार्ड का प्रारूप विनियमों में अधिसूचित किया जायेगा।

ख. विद्यार्थी को पाठ्यक्रमों एवं क्रेडिटों हेतु अपना पंजीयन सेमेस्टर के प्रथम सप्ताह में कराना होगा।

ग. प्रत्येक विभाग समस्त संचालित पाठ्यक्रमों(सीसी/एसईसी/ओई) के एल : टी : पी प्रारूप में क्रेडिटों का उल्लेख करते हुये सूची, पूर्व—आवश्यकताएँ एवं समय—सारणी विभाग के सूचनापट्ट पर अधिसूचित करेगा।

घ. प्रत्येक विद्यार्थी हेतु पंजीयन कार्ड की तीन प्रतियाँ बनायी जायेंगी, एक प्रति विभाग रखेगा तथा दूसरी अकादमिक अनुभाग(डोआ) भेजी जायेगी। पंजीयन कार्ड की एक प्रति विद्यार्थी एवं संबंधित मुक्त ऐच्छिक विभाग को दी जा सकती है।

ङ. प्रत्येक विभाग अपने विभाग में मुक्त ऐच्छिक हेतु पंजीकृत विद्यार्थियों की समेकित सूची तैयार करेगा। इसी प्रकार, विभाग अपने ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी तैयार करेगा, जो अन्य विभागों के मुक्त ऐच्छिक में पंजीकृत हैं।

च. विभाग अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर के दौरान पंजीकृत पाठ्यक्रमों की समेकित सूची भी तैयार करेगा।

छ. शिक्षक परामर्शदाता विद्यार्थी को विभाग में संचालित ऐच्छिक पाठ्यक्रम में पंजीयन हेतु परामर्श देगा।

ज. कक्षा एवं प्रयोगशाला को ध्यान में रखते हुये ऐच्छिक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या विभाग के अध्ययन मंडल द्वारा तय की जायेगी।

झ. मुक्त ऐच्छिक में पंजीयन पहले आओ–पहले पाओं के आधार पर किया जायेगा, बशर्ते विद्यार्थी पाठ्यक्रम की पूर्व–आवश्यकताएँ, यदि कोई हों, पूरी करते हों।

ञ. मुक्त ऐच्छिक हेतु परीक्षा का आयोजन एवं मूल्यांकन पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विभाग द्वारा किया जायेगा; हालाँकि, अभ्यर्थी की प्रदर्शन रिपोर्ट मूल विभाग को भेजी जायेगी।

अध्यादेश– 23(ब)***

विज्ञान वाचस्पति(डी.एससी.), साहित्य वारिधि(डी.लिट.), एवं विधि वाचस्पति(एलएल.डी.) की उपाधि प्रदान करना

विद्यमान	संशोधन	संशोधन उपरांत
1. अर्हता 1.1 विश्वविद्यालय के डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी.कार्यक्रम(प्रोग्राम) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों का संबंधित विषय में अत्यंत उत्कृष्ट शोधकार्य होना अनिवार्य है, साथ ही प्रवेश हेतु अधोलिखित न्यूनतम आवश्यक अर्हता होनी चाहिए : अभ्यर्थी आवेदन तिथि से कम–से–कम 05 (पाँच) अकादमिक वर्ष पूर्व इस विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी–एच.डी. या समकक्ष उपाधि धारक अवश्य होना चाहिए, अथवा आवेदन तिथि से कम–स–कम 05 (पाँच) अकादमिक वर्ष पूर्व अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी–एच.डी. या समकक्ष उपाधि धारक अवश्य होना चाहिए, अथवा आवेदन तिथि से पूर्व इस विश्वविद्यालय में कम–से–कम 05 (पाँच) वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके इस विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षक तथा इस या अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी.एच.डी. या समकक्ष उपाधि धारक अवश्य होना चाहिए।	**कोई परिवर्तन नहीं**	**1. अर्हता** 1.1 विश्वविद्यालय के डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम(प्रोग्राम) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों का संबंधित विषय में अत्यंत उत्कष्ट शोधकार्य होना अनिवार्य है, साथ ही प्रवेश हेतु अधोलिखित न्यूनतम आवश्यक अर्हता होनी चाहिए : अभ्यर्थी आवेदन तिथि से कम–से–कम 05 (पाँच) अकादमिक वर्ष पूर्व इस विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी–एच.डी. या समकक्ष उपाधि धारक अवश्य होना चाहिए, अथवा आवेदन तिथि से कम–स–कम 05 (पाँच) अकादमिक वर्ष पूर्व अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी–एच.डी. या समकक्ष उपाधि धारक अवश्य होना चाहिए, अथवा आवेदन तिथि से पूर्व इस विश्वविद्यालय में कम–से–कम 05 (पाँच) वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके इस विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षक तथा इस या अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी.एच.डी. या समकक्ष उपाधि धारक अवश्य होना चाहिए।
2. आवेदन 2.1 डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेश के इच्छुक एवं इन अध्यादेशों के उपनियम 1.1 के अनुसार अर्ह अभ्यर्थी को निम्नलिखित के साथ परीक्षा नियंत्रक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा : पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित जीवन परिचय जिसमें शैक्षणिक योग्यताओं, विशेषज्ञता का क्षेत्र, शोध अनुभव अकादमिक विशेष योग्यतायें इत्यादि का विवरण हो। *शोधप्रबंध का शीर्षक* जिस सुसंगत विषय में डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेश हेतु	**कोई परिवर्तन नहीं**	**2. आवेदन** 2.1 डी.एससी. / डी.लिट. / एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेश के इच्छुक एवं इन अध्यादेशों के उपनियम 1.1 के अनुसार अर्ह अभ्यर्थी को निम्नलिखित के साथ परीक्षा नियंत्रक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा : पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित जीवन परिचय जिसमें शैक्षणिक योग्यताओं, विशेषज्ञता का क्षेत्र, शोध अनुभव अकादमिक विशेष योग्यतायें इत्यादि का विवरण हो। *शोधप्रबंध का शीर्षक* जिस सुसंगत विषय में डी.एससी./डी.लिट./

IndiaCode

आवेदन किया है उससे संबंधित विषय पर लगभग 1000 शब्दों में अपने नवीन शोध कार्य का ऐसा संक्षिप्त विवरण जो कार्य के मौलिक होने एवं ज्ञान की प्रोन्नति में योगदान को प्रदर्शित करता हो। *प्रकाशनों की सूची* शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण—पत्रों की सत्यापित प्रति 2.2 किसी अकादमिक वर्ष में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 2.3 परीक्षा नियंत्रक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर आवेदक का आवेदन संबंधित अध्ययनशाला/ केन्द्र को प्रेषित करेंगे।		एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेश हेतु आवेदन किया है उससे संबंधित विष्य पर लगभग 1000 शब्दों में अपने नवीन शोध कार्य का ऐसा संक्षिप्त विवरण जो कार्य के मौलिक होने एवं ज्ञान की प्रोन्नति में योगदान को प्रदर्शित करता हो। *प्रकाशनों की सूची* शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण—पत्रों की सत्यापित प्रति 2.2 किसी अकादमिक वर्ष में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 2.3 परीक्षा नियंत्रक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर आवेदक का आवेदन संबंधित अध्ययनशाला/केन्द्र को प्रेषित करेंगे।
3. शोध—उपाधि समिति(आरडीसी) 3.1 विश्वविद्यालय के डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी.कार्यक्रम (प्रोग्राम) से संबंधित सभी मामले इन अध्यादेशों के अनुसार विद्यापरिषद के सामान्य पर्यवेक्षण में आरडीसी नामक समिति द्वारा देखे जायेंगे। परन्तु प्रदान की जाने वाली उपाधि का औपचारिक अनुमोदन केवल शोध—उपाधि समिति द्वारा किया जायेगा जिसका गठन निम्नानुसार होगा। 3.2 शोध—उपाधि समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे : कुलपति अध्यक्ष सम—कुलपति सदस्य संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता सदस्य संबंधित विभागाध्यक्ष सदस्य दो विशेषज्ञ सदस्य जिनमें से एक कुलपति द्वारा नामित एवं दूसरे संबंधित अभ्यर्थी के परामर्शदाता द्वारा नामित सदस्य कुलसचिव सचिव	**विलोपित करें**	**विलोपित किया**
4. प्रवेश 4.1 आरडीसी अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा कर प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के प्रवेश की अनुशंसा विश्वविद्यालय के अकादमिक अनुभाग को करेगी। आरडीसी अभ्यर्थियों के परामर्शदाताओं के नाम की सूची भी अकादमिक अनुभाग को संबंधित अभ्यर्थियों को संसूचित करने हेतु प्रेषित करेगी।	4.1 अध्ययन मंडल डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा करेगा। अध्ययन मंडल कम—से—कम एक बाह्य सदस्य के साथ चुने हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगा एवं अभ्यर्थियों की क्षमता का आंकलन करने के बाद अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा विश्वविद्यालय के	4.1 अध्ययन मंडल डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा करेगा। अध्ययन मंडल कम—से—कम एक बाह्य सदस्य के साथ चुने हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगा एवं अभ्यर्थियों की क्षमता का आंकलन करने के बाद अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा विश्वविद्यालय के अकादमिक मामलों के अनुभाग को करेगा।

IndiaCode

	अकादमिक मामलों के अनुभाग को करेगा।	
4.2 आरडीसी द्वारा अनुशंसित प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु पत्र कुलसचिव जारी करेगा।	4.2 अध्ययन मंडल अभ्यर्थियों के परामर्शदाताओं के नाम की सूची भी अकादमिक मामलों के अनुभाग को संबंधित अभ्यर्थियों को संसूचित करने हेतु प्रेषित करेगा।	4.2 अध्ययन मंडल अभ्यर्थियों के परामर्शदाताओं के नाम की सूची भी अकादमिक मामलों के अनुभाग को संबंधित अभ्यर्थियों को संसूचित करने हेतु प्रेषित करेगा।
4.3 प्रवेश हेतु पत्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर अभ्यर्थी विद्यापरिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर पंजीयन प्रपत्र भर कर संबंधित विभाग में पंजीयन करायेगा।	4.3 अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु पत्र कुलसचिव कुलपति के अनुमोदन के उपरान्त जारी करेंगे।	4.3 अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु पत्र कुलसचिव कुलपति के अनुमोदन के उपरान्त जारी करेंगे।
5. शोधप्रबंध प्रस्तुति		
5.1 इस अध्यादेश के उपनियम 4 के अनुसार डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेशित अभ्यर्थी को शोधप्रबंध जमा करने के पूर्व विभाग में प्री–सब्मिशन सेमीनार देना होगा। यह सेमीनार अभ्यर्थी के परामर्शदाता द्वारा विभाग/अध्ययशाला के शिक्षकों एवं अन्य शोधार्थियों को अभ्यर्थी का कार्य बताने के उद्देश्य से आयोजित किया जायेगा।	डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेशित अभ्यर्थी को शोधप्रबंध जमा करने के पूर्व विभाग में संबंधित विभाग के अध्ययन मंडल के समक्ष जिसमें अध्ययन मंडल का कम–से–कम एक बाह्य सदस्य अवश्य उपस्थित हो, प्री–सब्मिशन सेमीनार देना होगा। यह सेमीनार अभ्यर्थी के परामर्शदाता द्वारा आयोजित किया जायेगा। अध्ययन मंडल की अनुशंसा पर अभ्यर्थी को शोधप्रबंध जमा करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।	डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेशित अभ्यर्थी को शोधप्रबंध जमा करने के पूर्व विभाग में संबंधित विभाग के अध्ययन मंडल के समक्ष जिसमें अध्ययन मंडल का कम–से–कम एक बाह्य सदस्य अवश्य उपस्थित हो, प्री–सब्मिशन सेमीनार देना होगा। यह सेमीनार अभ्यर्थी के परामर्शदाता द्वारा आयोजित किया जायेगा। अध्ययन मंडल की अनुशंसा पर अभ्यर्थी को शोधप्रबंध जमा करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
5.2 अभ्यर्थी अपने प्रवेश तिथि के एक वर्ष के भीतर आरडीसी द्वारा अनुमोदित एवं उसके अध्यक्ष द्वारा विधिवत अग्रेषित शोधप्रबंध कुलसचिव को प्रेषित करेंगे।	अभ्यर्थी अपने प्रवेश की तिथि से दो वर्ष बाद शोधप्रबंध प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें अपने प्रवेश की तिथि से पाँच वर्ष के भीतर शोधप्रबंध अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।	5.2 अभ्यर्थी अपने प्रवेश की तिथि से दो वर्ष बाद शोधप्रबंध प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें अपने प्रवेश की तिथि से पाँच वर्ष के भीतर शोधप्रबंध अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
5.3 अभ्यर्थी निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अपना शोधप्रबंध प्रस्तुत करेगा : संलग्नक–क में दिए गए प्रारूप के अनुसार शोधप्रबंध की पाँच हार्डबाउंड प्रतियाँ शोधप्रबंध के शीर्षक पृष्ठ पर यह कथन होना चाहिए कि शोधप्रबंध संबंधित उपाधि हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमें अभ्यर्थी प्रवेशित है। संलग्नक–क में उल्लिखित शोधप्रबंध के सम्यक् सार की सॉफ्टकॉपी सीडी में संलग्नक–ख में दिए गए प्रारूप के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा यह घोषणा कि शोधप्रबंध अन्य	**कोई परिवर्तन नहीं**	5.3 अभ्यर्थी निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अपना शोधप्रबंध प्रस्तुत करेगा संलग्नक–क में दिए गए प्रारूप के अनुसार शोधप्रबंध की पाँच हार्डबाउंड प्रतियाँ शोधप्रबंध के शीर्षक पृष्ठ पर यह कथन होना चाहिए कि शोधप्रबंध संबंधित उपाधि हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमें अभ्यर्थी प्रवेशित है। संलग्नक–क में उल्लिखित शोधप्रबंध के सम्यक् सार की सॉफ्टकॉपी सीडी में संलग्नक–ख में दिए गए प्रारूप के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा यह घोषणा कि शोधप्रबंध अन्य

किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु प्रस्तुत नहीं किय गया है। संलग्नक–ग में दिए गए प्रारूप के अनुसार परामर्शदाता, विभागाध्यक्ष एवं अध्ययन''शाला के अधिष्ठाता का इस आशय का प्रमाण–पत्र कि शोधप्रबंध विश्वविद्यालय की संबंधित उपाधि प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। शोधप्रबंध अंग्रेजी या हिन्दी में होगा परन्तु यदि शोधप्रबंध का विषय ही भाषा है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के विकल्प पर शोधप्रबंध उस विशिष्ट भाषा में भी हो सकता है।		किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु प्रस्तुत नहीं किय गया है। संलग्नक–ग में दिए गए प्रारूप के अनुसार परामर्शदाता, विभागाध्यक्ष एवं अध्ययन''शाला के अधिष्ठाता का इस आशय का प्रमाण–पत्र कि शोधप्रबंध विश्वविद्यालय की संबंधित उपाधि प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। शोधप्रबंध अंग्रेजी या हिन्दी में होगा परन्तु यदि शोधप्रबंध का विषय ही भाषा है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के विकल्प पर शोधप्रबंध उस विशिष्ट भाषा में भी हो सकता है।
5.4 उपाधि प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी के कार्य में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन होना आवश्यक है: (क) यह आवश्यक रूप से एक सारवान कार्य हो जो उस विद्या के संबंधित विषय के ज्ञान में महत्त्वपूर्ण वृद्धि करता हो; (ख) यह मौलिक हो जो शोध के क्षेत्र में नया आयाम हो या पूर्व अन्वेषणों के परिणामों में चिन्हित अभिवृद्धि करता हो या पूर्व ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या करता हो; (ग) यह उच्च गुणवत्ता का विद्वत कार्य हो; (घ) यह शोधप्रबंध प्रस्तुत करने के पूर्व की पाँच वर्ष की अवधि में किया गया कार्य हो। (ङ) यह प्रतिष्ठित शोध जर्नल में शोधपत्र के रूप में प्रकाशित हो एवं/या पुस्तक/मोनोग्राफ के रूप में, पुस्तक/मोनोग्राफ के अध्याय के रूप में प्रकाशित हो जिनमें से कम–से–कम दो का अभ्यर्थी का अनन्य लेखक हो। (च) यह कार्य पूर्व में इस या अन्य विश्वविद्यालय में किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु प्रस्तुत ना किया गया हो।	**कोई परिवर्तन नहीं**	5.4 उपाधि प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी के कार्य में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन होना आवश्यक है: (क) यह आवश्यक रूप से एक सारवान कार्य हो जो उस विद्या के संबंधित विषय के ज्ञान में महत्त्वपूर्ण वृद्धि करता हो; (ख) यह मौलिक हो जो शोध के क्षेत्र में नया आयाम हो या पूर्व अन्वेषणों के परिणामों में चिन्हित अभिवृद्धि करता हो या पूर्व ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या करता हो; (ग) यह उच्च गुणवत्ता का विद्वत कार्य हो; (घ) यह शोधप्रबंध प्रस्तुत करने के पूर्व की पाँच वर्ष की अवधि में किया गया कार्य हो। (ङ) यह प्रतिष्ठित शोध जर्नल में शोधपत्र के रूप में प्रकाशित हो एवं/या पुस्तक/मोनोग्राफ के रूप में, पुस्तक/मोनोग्राफ के अध्याय के रूप में प्रकाशित हो जिनमें से कम–से–कम दो का अभ्यर्थी अनन्य लेखक हो। (च) यह कार्य पूर्व में इस या अन्य विश्वविद्यालय में किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु प्रस्तुत ना किया गया हो।
6. परीक्षा 6.2 *परीक्षकों का पैनल* विश्वविद्यालय के अकादमिक अनुभाग को अभ्यर्थी का शोधप्रबंध अग्रेषित करते समय, आरडीसी संबंधित कार्य के विषय क्षेत्र से संबंधित मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के छह विशेषज्ञ परीक्षकों के एक पैनल की संस्तुति करेगी।	*परीक्षकों का पैनल* अध्ययन मंडल अकादमिक मामलों के अनुभाग को कार्य के विषय क्षेत्र से संबंधित छह विशेषज्ञों के पैनल की संस्तुति करेगा।	*परीक्षक पैनल* अध्ययन मंडल अकादमिक गतिविधियाँ अनुभाग को कार्य के क्षेत्र से संबंधित छह विशेषज्ञों के पैनल की संस्तुति करेगा।
6.3 *परीक्षक मंडल* परीक्षकों के पैनल की प्राप्ति पर अकादमिक अनुभाग उसे परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित कर देगा जो पैनल में से परीक्षक मंडल की नियुक्ति हेतु इसे कुलपति को प्रस्तुत करेंगे। परीक्षक मंडल में दो सदस्य होंगे।	**कोई परिवर्तन नहीं**	*परीक्षक मंडल* परीक्षकों के पैनल की प्राप्ति पर अकादमिक अनुभाग उसे परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित कर देगा जो पैनल में से परीक्षक मंडल की नियुक्ति हेतु इसे कुलपति की समक्ष प्रस्तुत करेंगे। परीक्षक मंडल में दो सदस्य होंगे।

IndiaCode

6.4 शोधप्रबंध का मूल्यांकन	**कोई परिवर्तन नहीं**	**6.4 शोधप्रबंध का मूल्यांकन**
(क) परीक्षकत्व की स्वीकृति सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा नियंत्रक प्रत्येक परीक्षक के संपर्क में रहेंगे। इस उद्देश्य से परीक्षक का ई–मेल पता उपलब्ध होने पर उनकी यथाशीघ्र सहमति हेतु ई–मेल से संपर्क किया जायेगा एवं शोधप्रबंध के विस्तारित सार की सॉफ्टकॉपी भी भेजी जा सकती है। परंतु यदि किसी परीक्षक से युक्ति–युक्त समय में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर खंड 6.3 के अनुसार विद्यमान परीक्षकों के पैनल में से एक नए परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।		(क) परीक्षकत्व की स्वीकृति सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा नियंत्रक प्रत्येक परीक्षक के संपर्क में रहेंगे। इस उद्देश्य से परीक्षक का ई–मेल पता उपलब्ध होने पर उनकी यथाशीघ्र सहमति हेतु ई–मेल से संपर्क किया जायेगा एवं शोधप्रबंध के विस्तारित सार की सॉफ्टकॉपी भी भेजी जा सकती है। परंतु यदि किसी परीक्षक से युक्ति–युक्त समय में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर खंड 6.3 के अनुसार विद्यमान परीक्षकों के पैनल में से एक नए परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।
(ख) परीक्षक से सहमति प्राप्त होने के पश्चात, परीक्षा नियंत्रक इस विश्वविद्यालय के डी. एससी./डी.लिट./एलएल.डी. उपाधि से संबंधित विनियमों की प्रति के साथ उस शोधप्रबंध की प्रति उन्हें अग्रेषित करेंगे और परीक्षक की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।		(ख) परीक्षक से सहमति प्राप्त होने के पश्चात, परीक्षा नियंत्रक इस विश्वविद्यालय के डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. उपाधि से संबंधित विनियमों की प्रति के साथ उस शोधप्रबंध की प्रति उन्हें अग्रेषित करेंगे और परीक्षक की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
(ग) परीक्षक से यह आग्रह किया जायेगा कि वह अपनी रिपोर्ट शोधप्रबंध प्राप्ति से दो माह के भीतर जमा कर दे।		(ग) परीक्षक से यह आग्रह किया जायेगा कि वह अपनी रिपोर्ट शोधप्रबंध प्राप्ति से दो माह के भीतर जमा कर दे।
(घ) यदि कोई परीक्षक उपर्युक्त अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है तो उसे एक अनुस्मारक भेजा जायेगा। एक पखवाड़े बाद एक और अनुस्मारक भेजा जायेगा।		(घ) यदि कोई परीक्षक उपर्युक्त अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है तो उसे एक अनुस्मारक भेजा जायेगा। एक पखवाड़े बाद एक और अनुस्मारक भेजा जायेगा।
(ड़) छह माह के भीतर परीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त ना होने पर, उसके परीक्षकत्व को निरस्त कर खंड 6.3 के अनुसार विद्यमान परीक्षकों के पैनल में से एक नए परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।		(ड़) छह माह के भीतर परीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त ना होने पर, उसके परीक्षकत्व को निरस्त कर खंड 6.3 के अनुसार विद्यमान परीक्षकों के पैनल में से एक नए परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।
(च) परीक्षक शोधप्रबंध का विशिष्टतया इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन करेंगे कि वह कार्य खंड 5.4 के अनुसार है या नहीं।		(च) परीक्षक शोधप्रबंध का विशिष्टतया इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन करेंगे कि वह कार्य खंड 5.4 के अनुसार है या नहीं।
(छ) परीक्षक निम्नलिखित अनुशंसाओं में से किसी एक अनुशंसा के साथ स्पष्ट रिपोर्ट देंगे : (i) शोधप्रबंध डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी उपाधि प्रदान करने हेतु स्वीकार किया जाये। (ii) शोधप्रबंध अस्वीकृत किया जाये (iii) पहले से ही प्रस्तुत कार्य में कुछ कार्य जोड़ने के उपरान्त शोधप्रबंध संशोधित रूप में जमा किया जाये।		(छ) परीक्षक निम्नलिखित अनुशंसाओं में से किसी एक अनुशंसा के साथ स्पष्ट रिपोर्ट देंगे : (i) शोधप्रबंध डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी उपाधि प्रदान करने हेतु स्वीकार किया जाये। (ii) शोधप्रबंध अस्वीकृत किया जाये। (iii) पहले से ही प्रस्तुत कार्य में कुछ कार्य जोड़ने के उपरान्त शोधप्रबंध संशोधित रूप में जमा किया जाये।
(ज) परीक्षक अपनी अनुशंसा हेतु विशिष्ट एवं स्पष्ट कारण देंगे। यदि शोधप्रबंध को परिशोधित करने की अनुशंसा की गयी है तो परीक्षक प्रस्तुत किये गये कार्य में सुधार हेतु सुझाव दे सकते हैं।		(ज) परीक्षक अपनी अनुशंसा हेतु विशिष्ट एवं स्पष्ट कारण देंगे। यदि शोधप्रबंध को परिशोधित करने की अनुशंसा की गयी है तो परीक्षक प्रस्तुत किये गये कार्य में सुधार हेतु सुझाव दे सकते हैं।

IndiaCode

(झ) यदि शोधप्रबंध में सुधार की अनुशंसा की गयी है तो अभ्यर्थी को संशोधित शोधप्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा उसे रिपोर्ट की सूचना दिए जाने की तिथि से कम–से–कम छह माह के बाद एवं दो साल के भीतर जमा करना होगा। संशोधित शोधप्रबंध प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी को केवल परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। (ञ) यदि शोधप्रबंध में सुधार की अनुशंसा की गयी है तो खंड 6.3 के अनुसार विद्यमान परीक्षकों के पैनल में से नए परीक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। आवश्यक होने पर आरडीसी नए परीक्षकों के पैनल की अनुशंसा कर सकती है। शोधप्रबंध के मूल्यांकन हेतु खंड 6.4(क) से (च) के अनुसार अन्य प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। परन्तु, परीक्षा नियंत्रक संशोधित शोधप्रबंध के साथ शोधप्रबंध में संशोधन की अनुशंसा करने वाले परीक्षक(ों) की अनुशांसा (ओं) की प्रति(याँ) को प्रेषित करेंगे। (ट) परिशोषित शोधप्रबंध का मूल्यांकन करने वाले परीक्षक शोधप्रबंध को केवल स्वीकृत या अस्वीकृत करने की अनुशंसा करेंगे वे शोधप्रबंध में किसी अन्य नये संशोधन की अनुशंसा नहीं करेंगे।	(ञ) यदि शोधप्रबंध में सुधार की अनुशंसा की गयी है तो खंड 6.3 के अनुसार विद्यमान परीक्षकों के पैनल में से नए परीक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। आव''यक होने पर अध्ययन मंडल नए परीक्षकों के पैनल की अनु''ांसा कर सकता है। शोधप्रबंध के मूल्यांकन हेतु खंड 6.4(क) से (च) के अनुसार अन्य प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। परन्तु, परीक्षा नियंत्रक संशोधित शोधप्रबंध के साथ शोधप्रबंध में संशोधन की अनुशंसा करने वाले परीक्षक(ों) की अनुशांसा(ओं) की प्रति(याँ) प्रेषित करेंगे।	(झ) यदि शोधप्रबंध में सुधार की अनुशंसा की गयी है तो अभ्यर्थी को संशोधित शोधप्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा उसे रिपोर्ट की सूचना दिए जाने की तिथि से कम–से–कम छह माह के बाद एवं दो साल के भीतर जमा करना होगा। संशोधित शोधप्रबंध प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी को केवल परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। (ञ) यदि शोधप्रबंध में सुधार की अनुशंसा की गयी है तो खंड 6.3 के अनुसार विद्यमान परीक्षकों के पैनल में से नए परीक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। आवश्यक होने पर आरडीसी नए परीक्षकों के पैनल की अनुशंसा कर सकती है। शोधप्रबंध के मूल्यांकन हेतु खंड 6.4(क) से (च) के अनुसार अन्य प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। परन्तु, परीक्षा नियंत्रक संशोधित शोधप्रबंध के साथ शोधप्रबंध में संशोधन की अनुशंसा करने वाले परीक्षक(ों) की अनुशांसा (ओं) की प्रति(याँ) को प्रेषित करेंगे। (ट) परिशोषित शोधप्रबंध का मूल्यांकन करने वाले परीक्षक शोधप्रबंध को केवल स्वीकृत या अस्वीकृत करने की अनुशंसा करेंगे वे शोधप्रबंध में किसी अन्य नये संशोधन की अनुशंसा नहीं करेंगे।
6.5 उपाधि प्रदान करना (क) सभी परीक्षकों की रिपोर्टें संबंधित आरडीसी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। यदि सभी रिपोर्टें एकमत से शोधप्रबंध को उपाधि प्रदान करने हेतु स्वीकार करने की अनुशंसा करती हैं और यदि आरडीसी को लगता है कि प्रकरण उपयुक्त एवं समुचित है तो वह उपाधि प्रदान करने की अनुशंसा करेगी।	**कोई परिवर्तन नहीं** (क) सभी परीक्षकों की रिपोर्टें कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। यदि सभी रिपोर्टें एकमत से शोध–प्रबंध को उपाधि प्रदान करने हेतु स्वीकार करने की अनुशंसा करती हैं और यदि कुलपति को लगता है कि प्रकरण उपयुक्त एवं समुचित है तो वे मौखिकी हेतु अनुशंसा करेंगे।	**6.5 उपाधि प्रदान करना** (क) सभी परीक्षकों की रिपोर्टें कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। यदि सभी रिपोर्टें एकमत से शोध–प्रबंध को उपाधि प्रदान करने हेतु स्वीकार करने की अनुशंसा करती हैं और यदि कुलपति को लगता है कि प्रकरण उपयुक्त एवं समुचित है तो वे मौखिकी हेतु अनुशंसा करेंगे।

(ख) यदि एक परीक्षक भी शोधप्रबंध को अस्वीकृत करने की अनुशंसा करता है तो शोधप्रबंध को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।	(ख) यदि एक परीक्षक भी शोधप्रबंध को अस्वीकृत करने की अनुशंसा करता है तो शोधप्रबंध को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।	(ख) यदि एक परीक्षक भी शोधप्रबंध को अस्वीकृत करने की अनुशंसा करता है तो शोधप्रबंध को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(ग) यदि शोधप्रबंध अस्वीकृत हो जाता है तो अभ्यर्थी को 04 (चार) वर्ष की अवधि के भीतर प्रवेश हेतु पुनः प्रवेश हेतु आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	(ग) यदि शोधप्रबंध अस्वीकृत हो जाता है तो अभ्यर्थी को 04 (चार) वर्ष की अवधि के भीतर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	(ग) यदि शोधप्रबंध अस्वीकृत हो जाता है तो अभ्यर्थी को 04 (चार) वर्ष की अवधि के भीतर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
(ग) शोध–उपाधि समिति द्वारा उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति के उपरांत संबंधित अभ्यर्थी को अलग से आवेदन करने पर परीक्षकों की रिपोर्ट दी जा सकती हैं।	**विलोपित किया जाये**	**विलोपित**
(घ) उपाधि प्रदान किए जाने का वर्ष शोधप्रबंध प्रस्तुत किए जाने का वर्ष होगा बशर्ते शोधप्रबंध बिना संशोधन के स्वीकृत हुआ हो। संशोधन के मामले में उपाधि प्रदान किए जाने का वर्ष परिशोधित शोधप्रबंध प्रस्तुत किए जाने का वर्ष होगा।	(घ) अभ्यर्थी को एक शोधप्रबंध परीक्षक, संबंधित विभागाध्यक्ष एवं परामर्शदाता के परीक्षक मंडल के समक्ष मौखिकी में अपने शोधप्रबंध का बचाव करना होगा।	घ) अभ्यर्थी को एक शोधप्रबंध परीक्षक, संबंधित विभागाध्यक्ष एवं परामर्शदाता के परीक्षक मंडल के समक्ष मौखिकी में अपने शोधप्रबंध का बचाव करना होगा।
(ड़) उपाधि प्रमाण–पत्र में शोधप्रबंध का शीर्षक, संबंधित विभाग/अध्ययनशाला, जिसमें अभ्यर्थी प्रवेशित था, का नाम उल्लिखित होगा।	(ङ) मौखिक परीक्षा की रिपोर्ट कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। वे मौखिक परीक्षा की रिपोर्ट संतोषजनक होने पर अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान करने की अनुमति दे सकते हैं।	(ङ) मौखिक परीक्षा की रिपोर्ट कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। वे मौखिक परीक्षा की रिपोर्ट संतोषजनक होने पर अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान करने की अनुमति दे सकते हैं।
(च) अकादमिक अनुभाग उपाधि प्रदान करने हेतु विधिवत स्वीकृत शोधप्रबंध की एक प्रति विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं दूसरी प्रति विभागीय/संकाय पुस्तकालय में परिरक्षित करने हेतु भेजेगा।	(च) उपाधि प्रदान किए जाने का वर्ष मौखिक परीक्षा के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने का वर्ष होगा।	(च) उपाधि प्रदान किए जाने का वर्ष मौखिक परीक्षा के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने का वर्ष होगा।
	(छ) अकादमिक अनुभाग उपाधि प्रदान करने हेतु विधिवत स्वीकृत शोधप्रबंध की एक प्रति विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं दूसरी प्रति विभागीय/संकाय पुस्तकालय में परिरक्षित करने हेतु भेजेगा।	(छ) अकादमिक अनुभाग उपाधि प्रदान करने हेतु विधिवत स्वीकृत शोधप्रबंध की एक प्रति विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं दूसरी प्रति विभागीय/संकाय पुस्तकालय में परिरक्षित करने हेतु भेजेगा।
7. इन अध्यादेशों में कुछ विहित होते हुये भी अभ्यर्थियों से जुड़े सभी मामले विद्यापरिषद द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं, जो उस समय प्रभावी हैं, द्वारा शासित होंगे।	**कोई परिवर्तन नहीं**	7. इन अध्यादेशों में कुछ विहित होते हुये भी अभ्यर्थियों से जुड़े सभी मामले विद्यापरिषद द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं, जो उस समय प्रभावी हैं, द्वारा शासित होंगे।
8. इन अध्यादेशों के प्रभावी होने की तिथि से इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अध्यादेयश निष्प्रभावी हो जायेंगे। परंतु यह प्रतिसंहरण इस प्रकार प्रतिसंहरित पिछले अध्यादेशों को *या* इसप्रकार प्रतिसंहरित पिछले अध्यादेशों के तहत कुछ भी किये गये या भुक्ते गए *या* इस प्रकार प्रतिसंहरित किसी अध्यादेश के तहत अर्जित, प्राप्त *या* आगत किसी अधिकार,	**कोई परिवर्तन नहीं**	8. इन अध्यादेशों के प्रभावी होने की तिथि से इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अध्यादेश निष्प्रभावी हो जायेंगे।परंतु यह प्रतिसंहरण इस प्रकार प्रतिसंहरित पिछले अध्यादशों को *या* इस प्रकार प्रतिसंहरित पिछले अध्यादेशों के तहत कुछ भी किये गये या भुक्ते गए *या* इसप्रकार प्रतिसंहरित किसी अध्यादेश के तहत अर्जित, प्राप्त *या* आगत किसी

विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।		अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।
9. इन अध्यादेशों की व्याख्या के संबंध में किसी भी संदेह या विवाद को कुलपति को संदर्भित किया जायेगा। विद्यापरिषद के अध्यक्ष के रूप में उनका निर्णय अंतिम होगा। कुलपति शोध में उत्कृष्टता के अनुसरण में इन अध्यादेशों में दिए गए किन्हीं खंडों को आशोधित, संशोधित एवं/या घटा या जोड़ सकते हैं। परंतु यह भी कि इस प्रकार के किसी भी आ''ाोधन, सुधार, घटाने एवं जोड़ने को विद्यापरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रेषित करना होगा।	**कोई परिवर्तन नहीं**	9. इन अध्यादेशों की व्याख्या के संबंध में किसी भी संदेह या विवाद को कुलपति को संदर्भित किया जायेगा। विद्यापरिषद के अध्यक्ष के रूप में उनका निर्णय अंतिम होगा। कुलपति शोध में उत्कृष्टता के अनुसरण में इन अध्यादेशों में दिए गए किन्हीं खंडों को आशोधित, संशोधित एवं/या घटा या जोड़ सकते हैं। परंतु यह भी कि इस प्रकार के किसी भी आशोधन, सुधार, घटाने एवं जोड़ने को विद्यापरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रेषित करना होगा।

<u>अध्यादेश—33</u>**

विद्यमान	**संशोधन**
अध्ययन विभाग एवं विभागों के कर्त्तव्य **[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 15(5)(ख) के तहत]**	**अध्ययनशाला में विभागों का गठन उनके कार्य एवं कर्त्तव्य** **[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 15(5)(ख) के तहत]** **विभाग का गठन** किसी अध्ययनशाला के प्रत्येक विभाग में परिनियम 15(5)(ख) में दिए गए सदस्य और संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा संबंधित विभाग की अनुशंसा पर विभाग के पदनामित सदस्य होंगे।
1. मनोनीत सदस्य : (1) विश्वविद्यालय के दो शिक्षकों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के संयोजक), जो विभाग के भीतर संबद्ध अथवा सजातीय विषय के विशेषज्ञ हैं, को विद्यापरिषद द्वारा दो वर्ष की अवधि हेतु मनोनीत किया जायेगा। परन्तु ऐसे किसी भी शिक्षक को दो से अधिक विभागों के सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं किया जाना चाहिए। (2) संबंधित स्कूल बोर्ड द्वारा अधिकतम दो व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य से जुड़े नहीं हैं और केन्द्र के विभागों के भीतर के विषयों या विषय के विशेषज्ञ हैं, को दो वर्ष की अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया जा सकता है।	**विलोपित**
2. केंद्र के विभागों के कर्त्तव्यः विभागों के कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगेः क) विभाग के भीतर संचालित विषय या विषयों (यथा	**विलोपित**

LawCode

प्रकरण) से संबंधित परीक्षकों के नामों की अनुशंसा संबंधित अध्ययनशाला मंडल को करना;	
ख) प्रवेश समिति (उन्नत अध्ययन एवं शोध हेतु समिति) से शोध डिग्री में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवेदन के साथ–साथ अभ्यर्थी को सौंपे गए विषय एवं विभाग के शिक्षकों, जिन्हें शोध–निदेशक नियुक्त किया गया है, के नामों की अनुशंसा करना;	कोई परिवर्तन नहीं
ग) स्नातकोत्तर स्तर पर लघु शोध–प्रबंधों हेतु विषयों को स्वीकृति प्रदान करना;	कोई परिवर्तन नहीं
घ) विभाग द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार मूल्यांकन की कार्ययोजना और पैटर्न को स्वीकृति प्रदान करना;	कोई परिवर्तन नहीं
ड़) शिक्षकों को शिक्षण कार्य आवंटित करना और विश्वविद्यालय एवं संबंधित अध्ययनशाला या अध्ययनशालाओं की सामान्य समय–सारणी के अनुसार अपनी समय–सारणी तैयार करना;	कोई परिवर्तन नहीं
च) शिक्षण पदों के सृजन एवं पद समाप्ति से संबंधित प्रस्ताव तैयार करना;	कोई परिवर्तन नहीं
छ) उन्नत अध्ययन एवं शोध हेतु समिति के लिए विभाग या केन्द्र के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत या समूह के रूप में ली जाने वाली शोध परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करना;	कोई परिवर्तन नहीं
ज) संबंधित बोर्ड को अध्ययन के संबंधित पाठ्यक्रमों की अनुशंसा करना;	संबंधित अध्ययनमंडल को अध्ययन पाठ्यक्रमों की अनुशंसा करना;
झ) अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या (स्लैबस) को स्वीकृति प्रदान करना तथा पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करना;	अध्ययनमंडल को अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या(स्लैबस) एवं पाठ्यपुस्तकों की अनुशंसा करना;
ञ) अपने शिक्षकों में से छात्र सलाहकारों की नियुक्ति करना;	कोई परिवर्तन नहीं
ट) संबंधित अध्ययनशाला द्वारा सौंपे गए इस तरह के अन्य कार्यों को संपादित करना।	कोई परिवर्तन नहीं
3. गणपूर्ति (कोरम) : किसी विभाग या केंद्र की बैठक के लिए गणपूर्ति विभाग के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी।	कोई परिवर्तन नहीं

IndiaCode

अध्यादेश—34**

परीक्षकों की नियुक्ति

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियमों के परिनियम 12(2)(xiv) और अधिनियम की धारा 28(1)(g)के तहत]

विद्यमान	संशोधित
I. विश्वविद्यालय की सतत मूल्यांकन और एंड—सेमेस्टर परीक्षाः विश्वविद्यालय की सतत मूल्यांकन और एंड—सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन संबंधित संकाय सदस्य द्वारा किया जायेगा जो विभागाध्यक्ष/अध्ययनशाला के अधिष्ठाता के परामर्श एवं स्वीकृति से परीक्षा का प्रारूप सुनिश्चित करेंगे।	**विलोपित किया जाये तथा निम्न द्वारा स्थानापन्न किया जाये :** **1. मिड—सेमेस्टर परीक्षा एवं सतत मूल्यांकन :** मिड—सेमेस्टर परीक्षा एवं सतत मूल्यांकन का आयोजन संबंधित **पाठ्यक्रम समन्वयक** द्वारा किया जायेगा जो संबंधित अध्ययन मंडल/अध्ययनशाला के अधिष्ठाता के परामर्श एवं स्वीकृति से परीक्षा का प्रारूप सुनिश्चत करेंगे। **2. एंड सेमेस्टर परीक्षा :** एंड सेमेस्टर परीक्षा हेतु परीक्षकों की नियुक्ति अध्ययन मंडल द्वारा की जायेगी। अध्ययन मंडल परीक्षकों के नामों की अनुशंसा हेतु अपने सदस्यों में से तीन संकाय सदस्यों की उप समिति का गठन कर सकते हैं। इस प्रकार अनुशंसित परीक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर की जायेगी।
II. विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा हेतु : विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों(प्रोग्रामों) में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा (यदि आयोजित की जाती है) के लिए परीक्षकों की नियुक्ति संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाताओं की अनु''ंसा पर कुलपति द्वारा की जायेगी। अध्ययनशाला के अधिष्ठाता परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं उसके प्रारूप की भी अनुशंसा करेंगे। परन्तु, जब संयुक्त प्रवेश परीक्षा किसी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाये तब मूल्यांकन के मानक प्रतिभागी विश्वविद्यालयों द्वारा तय किये जायेंगे।	कोई परिवर्तन नहीं परन्तु इसे क्रमांक 03 दिया जाता है।

अध्यादेश—39*

विद्यार्थियों का प्रवेश, नामांकन, प्रवजन और स्थानांतरण

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28(1)(0) के तहत]

1. **प्रवेशः**— किसी अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से प्रव्रजन पर आये किसी भी विद्यार्थी को इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक या स्नातकोत्तर अध्ययन कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेश लेने की पात्रता तब तक नहीं होगी जब तक इस विश्वविद्यालय के संबंधित कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेश हेतु अध्यादेश द्वारा निर्धारित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की समकक्ष परीक्षा या परीक्षाओं में उत्तीर्ण ना हो।

प्रवेश हेतु आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए :

(क) संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड से प्रवजन/अनापत्ति प्रमाण—पत्र और

(ख) उस महाविद्यालय, जिसमें विद्यार्थी ने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, के प्राचार्य द्वारा विद्यार्थी के उपस्थिति रिकार्ड और आचरण को प्रमाणित करने वाला प्रमाण—पत्र।

परंतु, अपने अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा ना करने और उस परीक्षा, जिसके लिए वे भारत में किसी अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड में पढ़ रहे थे, में सम्मिलित ना होने वाले विद्यार्थियों के आवेदनों पर इस विश्वविद्यालय के केवल उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा जिनका प्रतिरूप और पाठ्य विवरण उनके द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय/बोर्ड में पढ़े गए अध्ययन पाठ्यक्रम के समान है।

2. नामांकनः— विश्वविद्यालय में प्रवेशित प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा एक नामांकन संख्या प्रदान की जायेगी।

3. स्थानांतरणः—विद्यार्थी को किसी विशेष अध्ययन कार्यक्रम (प्रोग्राम) के दौरान एक सम्बद्ध महाविद्यालय से दूसरे (जहाँ कहीं लागू हो) में स्थानांतरण की अनुमति निम्नलिखित प्रस्तुत करने पर दी जायेगी :

(i) उस महाविद्यालय, जहाँ से प्रवजन लेना है, के प्राचार्य द्वारा जारी स्थानांतरण/अनापत्ति प्रमाण—पत्र;

(ii) संबंधित महाविद्यालय की विद्याथी—पंजी में उसके नाम के सम्मुख दर्ज उपस्थिति रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियाँ; एवं

(iii) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी विद्यार्थी के चरित्र का प्रमाण—पत्र।

अध्यादेश— 42*

अध्ययन—पाठ्यक्रम

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28(ख)के तहत]

1. विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं/विभागों/केन्द्रों में उपाधि के लिए निम्नलिखित अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम(प्रोग्राम) होंगे :

क. स्नातक कार्यक्रम (प्रोग्राम)

क्र. सं.	संक्षिप्ति	नामपद्धति	स्तर	न्यूनतम अवधि		अर्हता
				वर्ष	सेमेस्टर	
01.	बी.ए.	बैचलर ऑफ आर्टस	स्नातक	03	06	10+2
02.	बी.कॉम.	बैचलर ऑफ कॉमर्स	स्नातक	03	06	10+2
03.	बी.एससी.	बैचलर ऑफ साइंस	स्नातक	03	06	10+2
04.	एलएल.बी.	बैचलर ऑफ लॉज	स्नातक	03	06	स्नातक
05.	बी.फार्मा.	बैचलर ऑफ फार्मेसी	स्नातक	04	08	10+2
06.	बी.लिब. आई एससी.	बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफॉरमेशन साइंस	स्नातक	01	02	स्नातक
07.	बी.जे.एम.सी.	बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन	स्नातक	01	02	स्नातक
08.	बी.बी.ए.	बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन	स्नातक	03	06	10+2
09.	बी.सी.ए.	बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	स्नातक	03	06	10+2 (10+2 स्तर पर गणित के साथ)
10.	बी.एफ.ए.	बैचलर ऑफ फाइन आर्टस	स्नातक	04	08	10+2
11.	बी.ए.—बी.एड.	बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन (04 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम)	स्नातक	04	08	10+2
12.	बी.एससी.—बी.एड.	बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन (04 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम)	स्नातक	04	08	10+2
13.	बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स)	बैचलर ऑफ लॉज (05 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम)	स्नातक	05	10	10+2

IndiaCode

ख. स्नातकोत्तर कार्यक्रम (प्रोग्राम)

01.	एम.ए.	मास्टर ऑफ आटर्स	स्नातकोत्तर	02	04	स्नातक
02.	एम.एससी.	मास्टर ऑफ साइंस	स्नातकोत्तर	02	04	स्नातक
03.	एम.कॉम.	मास्टर ऑफ कॉमर्स	स्नातकोत्तर	02	04	बी.कॉम.
04.	एम.जे.एम.सी.	मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन	स्नातकोत्तर	02	04	बी.जे.एम.सी.
05.	एलएल.एम.	मास्टर ऑफ लॉ	स्नातकोत्तर	02	04	विधि में स्नातक
06.	एम.बी.ए.	मास्टर ऑफ बिजनेस ऐडमिनिस्ट्रेशन	स्नातकोत्तर	02	04	स्नातक
07.	एम.फार्मा.	मास्टर ऑफ फार्मेसी	स्नातकोत्तर	02	04	बी.फार्मा.
08.	एम.टेक.	मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी	स्नातकोत्तर	03	06	स्नातक
09.	एम.सी.ए.	मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	स्नातकोत्तर	03	06	स्नातक (10+2 स्तर पर गणित के साथ)
	एम.लिब.आई. एससी.	मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफॉरमेशन साइंस	स्नातकोत्तर	01	02	बी.लिब.आई.एससी.
	एम.एड.	मास्टर ऑफ ऐजुकेशन	स्नातकोत्तर	01	02	बी.एड.
	एम.पी.ए.	मास्टर ऑफ परफार्मिंग आर्ट्स	स्नातकोत्तर	02	04	स्नातक
	एम.एस.डब्ल्यू.	मास्टर ऑफ सोशल वर्क	स्नातकोत्तर	02	04	स्नातक

ग. शोध—कार्यक्रम (प्रोग्राम)

01.	पी.एच.डी.	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी	शोध	03	06	स्नातकोत्तर

IndiaCode

2. विद्यापरिषद किसी कार्यक्रम (प्रोग्राम) हेतु अर्हता शर्तों में संशोधन या परिवर्द्धन कर सकती है।

3. सभी कार्यक्रमों(प्रोग्राम) में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी।

4. उपर्युक्त सूचीबद्ध समस्त कार्यक्रमों (प्रोग्राम) से संबंधित विनियम विद्यापरिषद द्वारा बनाये जायेंगे।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त संबंधित अध्ययनशाला समिति की अनुशंसाओं पर किसी कार्यक्रम(प्रोग्राम) को प्रारम्भ, संशोधित करने या बंद करने की शक्ति विद्यापरिषद के पास होगी।

6. न्यूनतम अर्हता मानक में निर्धारित अंकों के प्रतिशत/सीजीपीए और आवंटित सीटों को समय—समय पर विद्यापरिषद अनुमोदित करेगी।

न्यूनतम अर्हता शर्तों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपाधियाँ/डिप्लोमा/प्रमाण—पत्र केवल उन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/बोर्डों के ही जिन्हें विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, मान्य होंगे।

अध्यादेश— 53**

विद्यमान	संशोधित
पुस्तकालय समिति **[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियमों के परिनियम 21(1) के तहत]** विद्या परिषद की पुस्तकालय समिति नाम की एक स्थायी समिति होगी।	**पुस्तकालय समिति** **[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियमों के परिनियम 21(1) के तहत]** विद्या परिषद की पुस्तकालय समिति नाम की एक स्थायी समिति होगी।

पुस्तकालय समिति में निम्नलिखित होंगे :	**पुस्तकालय समिति में निम्नलिखित होंगे :**
क. कुलपति या उनके नामिति – अध्यक्ष	कोई परिवर्तन नहीं
ख. अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता	कोई परिवर्तन नहीं
ग. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	कोई परिवर्तन नहीं
घ. प्रत्येक अध्ययनशाला के यू.जी./पी.जी. कार्यक्रमों(प्रोग्रामों)के अध्यक्ष	कुलपति द्वारा नामित प्रत्येक अध्ययनशाला से एक–एक प्रोफेसर
ङ. कुलपति द्वारा नामित एम.फिल. के छात्रों सहित दो शोध छात्र और दो स्नातकोत्तर छात्र।	विलोपित
च. पुस्तकालयाध्यक्ष (पदेन सदस्य और सचिव)	कोई परिवर्तन नहीं
(घ) और (ङ) के तहत नामित सदस्यों की कार्यावधि क्रमशः तीन वर्ष और एक वर्ष होगी और वे पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे।	पदेन सदस्यों को छोड़कर विश्वविद्यालय पुस्तकालय समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक कैलेण्डर वर्ष होगा।
गणपूर्ति(कोरम) एक तिहाई सदस्यों से होगी।	
विद्या परिषद के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पुस्तकालय समिति के कर्त्तव्य और प्रकार्य निम्नलिखित होंगे :	कोई परिवर्तन नहीं
क. पुस्तकालय के प्रबंधन के लिए सामान्य नियम बनाना;	क. विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय एवं विश्वविद्यालय के अन्य सभी पुस्तकालयों का सामान्य पर्यवेक्षण करना।
ख. पुस्तकालय के सामान्य विकास के बारे में पुस्तकालयाध्यक्ष को सलाह देना;	ख. विद्या परिषद के अनुमोदन के अधीन पुस्तकालयों के प्रबंधन एवं उपयोग से संबंधित विनियम तैयार करना।
ग. कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पुस्तकालय का अनुमानित वार्षिक बजट तैयार करना;	ग. विभन्न विभागो को बजट आबंटित करना, पुस्तकालय एवं अन्य पुस्तकालयों की आवश्यकताओं का आकलन करना और संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु बजट तैयार करना।
घ. पुस्तकालय के स्वीकृत वार्षिक बजट में से अध्ययनशालाओं, विभागों, अध्ययन केन्द्रों को पुस्तकों, जर्नल और पत्र–पत्रिकाओं की खरीद के लिए निधि आबंटित करना;	घ. विश्वविद्यालय के समस्त पुस्तकालयों के कार्यों का वार्षिक ब्यौरा विद्यापरिषद को प्रस्तुत करना।
ङ. पुस्तकालय के स्टॉक–मिलान के लिए व्यवस्था करना;	ङ. पुस्तकालय में नवीन पदों के सृजन की अनुशंसा कार्यपरिषद को करना
च. पुस्तकालय की गतिविधियों और उपलब्धियों की एक संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना;	च. विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के विकास से संबंधित प्रस्ताव बनाना और उन पर कार्य करना।
छ. कुलपति द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना।	4. समिति की वर्ष में कम–से–कम दो बैठकें होंगी।
	5. समिति की बैठक की गणपूर्ति(कोरम) कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से होगी।
	6. संयोजक समिति की प्रत्येक सामान्य बैठक की सूचना एवं कार्यसूची की प्रति प्रत्येक सदस्य को बैठक के कम–से–कम सात दिवस पूर्व प्रेषित करेंगे। असाधारण बैठक के मामले में सूचना एवं कार्यसूची बैठक के कम– से–कम 24 घंटे पूर्व भेजी जानी चाहिए।

अध्यादेश–55**

अकादमिक कार्यक्रम(प्रोग्राम) समिति

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियमों के परिनियम 21(1))के तहत]

1. विद्यापरिषद की अकादमिक कार्यक्रम(प्रोग्राम) समिति नामक एक स्थायी समिति होगी।

2. अकादमिक कार्यक्रम(प्रोग्राम) समिति(एपीसी) में निम्नलिखित होंगे :

क. कुलपति – अध्यक्ष

ख. समस्त अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता

ग. विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसर

घ. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

ड़. निदेशक, संकाय गतिविधियाँ

च. निदेशक, अकादमिक गतिविधियाँ – संयोजक

3. एपीसी के पास विद्यापरिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :

(i) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारित करना, प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित करना तथा विभिन्न बाह्य परीक्षा केन्द्र एवं विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित अन्य मामले निर्धारित करना।

(ii) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों(प्रोग्रामों) में प्रवेश हेतु समतुल्यता समिति की अनुशंसानुसार अन्य विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक निकायों की परीक्षाओं, उपाधियों एवं डिप्लोमा को मान्यता देना।

(iii) विद्यापरिषद द्वारा बनाए गए नियमों से विचलन एवं छूट के विशेष मामलों पर विचार करना एवं समुचित अनुशंसाएँ करना।

(iv) संबंधित अध्ययन मंडल एवं अध्ययनशाला मंडल की अनुशंसाओं के आधार पर विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों(प्रोग्रामों) के पाठ्यक्रमों को अनुमोदित करना।

(v) अध्ययनशाला मंडल/अध्ययन मंडल के कार्यवृत्तों पर विचार करना एवं विद्यापरिषद को समुचित अनुशंसाएँ करना।

(vi) विश्वविद्यालय के अकादमिक कैलेण्डर को अनुमोदित करना।

(vii) अकादमिक कार्यक्रमों(प्रोग्रामों) के समस्त पहलुओं का प्रबंधन एवं प्रशासन करना।

(viii) कुलपति या विद्यापरिषद द्वारा संदर्भित किन्हीं अन्य मामलों पर विचार करना।

4. एपीसी की वर्ष में कम–से–कम दो बैठकें, अधिमान्यतः विद्यापरिषद की बैठक से तीन दिवस पूर्व, होंगी।

4.1 एपीसी की बैठक की सूचना कम–से–कम तीन दिवस पूर्व दी जानी चाहिए। एपीसी की बैठक की गणपूर्ति(कोरम) कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से होगी।

4.2 एपीसी की बैठक की अध्यक्षता कुलपति करेंगे। परन्तु, उनकी अनुपस्थिति में सम–कुलपति या कर्त्तव्य पर उपलब्ध वरिष्ठतम प्रोफेसर अध्यक्षता करेंगे।

4.3 उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, अकादमिक गतिविधियाँ एपीसी के गैर–सदस्य सचिव होंगे।

अध्यादेश– 57**

अक्षय निधियों से पदक

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28(सी)(एम) के तहत]

1.	संक्षिप्त शीर्षक :	प्रत्येक अक्षय निधि को दानदाता द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति के नाम से जाना जायेगा।
2.	अक्षय निधि की राशि :	न्यूनतम रु. 1,00,000/–(एक लाख रुपये) मात्र
3.	अक्षय निधि को निवेश किए जाने का तरीका :	राशि रु. 1,00,000/– (एक लाख रुपये) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत बैंक खाते से जुड़े दीर्घावधि मियादी जमा या अन्य सरकारी वित्तीय संस्थान की किसी समुचित योजना में निवेश की जायेगी ताकि उससे प्रोद्भूत ब्याज का उपयोग पदक प्रदान करने हेतु किया जा सके।

4.	अक्षय निधि का उद्देश्य :	अक्षय निधि से प्रोद्भूत ब्याज को उसके मियादी जमा खाते से प्रत्येक वर्ष 100 रु. के पूर्णांक में (बचत बैंक खाते से) निकाला जाना चाहिए एवं पदक प्रदान करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।
5.	चयन की विधि :	दानदाता द्वारा विनिर्दिष्ट अनुशासन(ों) में पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष की अंतिम विश्वविद्यालयीन परीक्षा में अधिकतम अंक (प्रथम रैंक) अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को पदक प्रदान किए जायेंगे।
6.	पदक प्रदान किए जाने का समय :	प्रत्येक वर्ष 'गौर जयंती' (26 नवम्बर) के समारोह में प्रशस्ति के साथ पदक प्रदान किया जायेगा। इस संबंध में प्रशस्ति विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार की जायेगी।
7.	पदक का मूल्य :	किसी वर्ष प्रदान किए जाने वाले पदक का मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष के मूलधन से अर्जित ब्याज के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। शेष राशि को मूलधन में जोड़ा जायेगा।
8.	वह अवधि जिससे निधि प्रचालित होगी :	अक्षय निधि की प्राप्ति उपरान्त निवेश के एक वर्ष बाद से प्रथम पदक प्रदान किया जाना प्रारम्भ किया जायेगा बशर्ते पदक प्रदान किए जाने वाले अनुशासन का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो; ऐसा न होने पर पदक अगले वर्ष हेतु देय पदक के साथ प्रदान किया जायेगा।
9.	अक्षय निधि का अभिरक्षक :	विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी अक्षय निधि के अभिरक्षक होंगे। वे अक्षय निधि से संबंधित सभी खातों का अनुरक्षण करेंगे।

कर्नल राकेश मोहन जोशी (से.नि.), कुलसचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./118/18–19]

IndiaCode

* यूजीसी की सलाह के अनुसार 14.05.2015 की अपनी 16वीं बैठक में कार्यपरिषद द्वारा पुनर्संरचित और भारत के राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में अनुमोदित आईडी संख्या सीआईआईआई–07027/1/2016–सीए–III दिनांक 21.03.2018 जैसा कि एमएचआरडी द्वारा पत्र संख्या एफ 56–5/2016–सीयू IV दिनांक 26.03.2018 के माध्यम से सूचित किया गया है।

** 25.08.2015 की 17वीं बैठक में कार्यपरिषद द्वारा अधिरचित/संशोधित और भारत के राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में अनुमोदित आईडी नोट संख्या-07027/1/2016-सीए-III दिनांकित 21.03.2018 जैसा कि एमएचआरडी द्वारा पत्र संख्या एफ 56-5/2016-सीयू IV दिनांकः 26.03.2018 के माध्यम से सूचित किया गया।

*** 09.07.2016 की अपनी 19वीं बैठक में कार्यपरिषद द्वारा अधिरचित/संशोधित और भारत के राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में अनुमोदित आईडी नोट संख्या सीआईआईआई–07027/1/2016-सीए-III दिनांकित 06.07.2017 जैसा कि एमएचआरडी द्वारा पत्र संख्या एफ 56-5/2016-सीयू IV दिनांकः 13.07.2017 के माध्यम से सूचित किया गया।

**** 07.12.2016 की अपनी 20वीं बैठक में कार्यपरिषद द्वारा अधिरचित और भारत के राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में अनुमोदित आईडी नोट संख्या सीआईआईआई–07027/1/2016-सीए-III दिनांकित 06.07.2017 जैसा कि एमएचआरडी द्वारा पत्र संख्या एफ 56-5/2016- सीयू IV दिनांकः 13.07.2017 के माध्यम से सूचित किया गया।

NOTIFICATION

Sagar, the 20th June, 2018

No. R/2018/Ordinances/312.—It is notified that in exercise of the powers vested in the Executive Council of the Vishwavidyalaya, under Section-28 of the Central Universities Act, 2009 and Statute-37 of the Statutes of the Vishwavidyalaya, the Executive Council of the Vishwavidyalaya has made/amended the following Ordinances of the Vishwavidyalaya, from time to time :

Sr. No.	Ordinance No.	Description
1.	7(Reframed)	Departments in Schools of Studies
2.	9(Amended)	Duties of Heads of Departments/Centres
3.	10(Reframed)	Admission and Registration of Students to the University
4.	18(Reframed)	On the Fees payable by Students of the University
5.	22 (A) (Amended)	Medium of Instructions, Management of Academic Programmes, Examination, Evaluation and Grading system for programmes of Studies other than the Research Degree Programme
6.	22 (B) (New)	Curricular framework, Programme of Studies and Conditions for Award of Degrees, Diplomas and Certificates
7.	23 (B) (Amended)	The Award of the Degree of Doctor of Science (D.Sc.), Doctor of Letters (D.Litt.) and Doctor of Laws (LL.D.)
8.	33(Amended)	Constitution, Functions and Duties of the Departments in the School.
9.	34(Amended)	Appointment of Examiners
10.	39(Reframed)	Admission, Enrollment, Migration and Transfer of students
11.	42(Reframed)	Courses of Study
12.	53(Amended)	Library Committee
13.	55(New)	Academic Programme Committee
14.	57(New)	On Medals From Endowment Funds

IndiaCode

In terms of the provisions of Statute-37, the above Ordinances have come into effect immediately after the approval of the Executive Council.

ORDINANCE-7*

DEPARTMENTS IN SCHOOLS OF STUDIES

(Under Statute 15(5)(a) of the Statutes of the Central Universities Act, 2009)

1. The University shall have the following Schools of Studies and Departments/Centers within the School. The following abbreviations and corresponding codes are assigned for the various Schools and the Departments:-

S No.	Name of School(s)	Abbreviation	Code
1.	**School of Arts and Information Sciences**	**(AIS)**	**10**
(a)	Department of Journalism and Mass Communication	(JMC)	11
(b)	Department of Library and Information Science	(LIS)	15
(c)	Department of Fine Arts and Performing Arts	(FAP)	16
(d)	Department of Music	(DOM)	18
2.	**School of Humanities and Social Sciences**	**(HSS)**	**20**

(a)	Department of Ancient Indian History, Culture and Archeology	(AIH)	21
(b)	Department of Economics	(ECO)	22
(c)	Department of History	(HIS)	23
(d)	Department of Philosophy	(PHL)	24
(e)	Department of Psychology	(PSY)	25
(f)	Department of Political Science and Public Administration	(PPA)	26
(g)	Department of Sociology and Social Work	(SSW)	27

3.	**School of Languages**	**(SOL)**	**30**
(a)	Department of English and European Languages	(EEL)	31
(b)	Department of Hindi	(HIN)	32
(c)	Department of Linguistics	(LNG)	33
(d)	Department of Marathi	(MRT)	34
(e)	Department of Sanskrit	(SAN)	35
(f)	Department of Urdu and Persian	(UAP)	36

IndiaCode

4.	**School of Applied Sciences**	**(SAS)**	**40**
(a)	Department of Anthropology	(ANT)	41
(b)	Department of Criminology and Forensic Science	(CFS)	42
(c)	Department of General and Applied Geography	(GOG)	44

5.	**School of Engineering and Technology**	**(EAT)**	**50**
(a)	Department of Applied Geology	(GEO)	51
(b)	Department of Pharmaceutical Science	(PHS)	54

6.	**School of Biological Science**	**(SBS)**	**60**
(a)	Department of Botany	(BOT)	61
(b)	Department of Biotechnology	(BIT)	62
(c)	Department of Microbiology	(MIC)	64
(d)	Department of Zoology	(ZOO)	65

7.	**School of Chemical Sciences and Technology**	**(SCT)**	**56**
(a)	Department of Chemistry	(CHE)	66

8.	**School of Mathematical and Physical Sciences**	**(MPS)**	**70**
(a)	Department of Computer Science and Applications	(CSA)	71
(b)	Department of Mathematics and Statistics	(MTS)	72
(c)	Department of Physics	(PHY)	73
9.	**School of Commerce and Management**	**(SCM)**	**80**
(a)	Department of Commerce	(COM)	81
(b)	Department of Business Management	(BUM)	82
10.	**School of Law**	**(SAL)**	**90**
(a)	Department of Law	(LAW)	91
11.	**School of Educational Studies**	**(SES)**	**94**
(a)	Department of Education	(EDU)	95
(b)	Department of Physical Education	(PED)	96
(c)	Department of Yoga Education	(YSC)	97
(d)	Department of Adult Education	(AED)	98

IndiaCode

2. The University may add new School(s)/Department(s)/Center(s) to a school which does not exist presently after obtaining prior administrative approval of the UGC.

ORDINANCE-9**

DUTIES OF HEADS OF DEPARTMENTS/CENTRES

(Under Section 28(1((o) of the Central Universities Act, 2009)

Existing	Amended
The Head of Department shall be appointed by the Vice-Chancellor for a period of three years from amongst the Professors and in case there is no Professor in the department, from amongst Associate Professor and in case there is no Associate Professor in the department, from amongst Assistant Professor in the department by rotation.	The title is substituted by the **Heads of the Department/Centers and their functions**. Deleted and substituted as under: 1. Each Department/Centre shall have a Head who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors for a period not exceeding three years, by rotation; Provided that where in any Department there is only one Professor or there is no Professor, the Vice-Chancellor may also appoint one of the Associate Professors as the Head of

	the Department/Centre for a period not exceeding three years; Provided there is no Professor or Associate Professor in the Department/Centre in that case Vice-Chancellor may appoint any Professor from the same school or in case there is no Professor or Associate Professor in that School any Professor as he may deem fit. Provided further that the person appointed as the Head of the Department/Centre shall hold the office for the duration of appointment from the date he/she is appointed Head, unless he/she ceases to be a member of the staff or resigns from the Headship.
The Head of a Department shall convene and preside over meetings of the Department which shall be held at least twice in a semester.	No Change It is numbered as 2.
He / she shall work under the general supervision of the Dean and be responsible for the following:-	It is substituted by the following. 3. The Head of the Department/Centre shall work under the general guidance and supervision of the Dean and be responsible for the following:
1. To organize and supervise the teaching and research activities in the Department;	(a) No Change
2. To frame the time table in conformity with the allocation of the teaching work made by the Department;	(b) No Change
1. To maintain discipline in the class room and laboratories through teachers;	(c) No Change
4. To assign to the teachers in the Department such duties as may be necessary for the proper functioning of the Department;	(d) No Change
5. To assign work and exercise control over the non-teaching staff in the Department; and	(e) No Change

IndiaCode

6. To perform such other functions as may be assigned to him / her from time to time by the Dean, the Board of the School concerned, the Academic Council, the Executive Council and the Vice-Chancellor.	(f) No Change

ORDINANCE-10*

ADMISSION AND REGISTRATION OF STUDENTS TO THE UNIVERSITY

(For Regular on Campus Education)

(Under sections 6(xviii) and 28(1)(a) of the Central Universities Act, 2009)

1. ADMISSIONS TO THE UNIVERSITY

(I) All the admissions will be done on the basis of All India Entrance Test conducted by the University individually or jointly with amongst the 15 New Central Universities established by the Central Universities Act, 2009.

(II) Application form for admission to the various programs offered by University shall be as prescribed by Academic Council/ or any other body, from time to time.

(III) The last date for the receipt of application for admission to various Schools for the University shall be fixed each year by the Academic Council.

(IV) The last date for admission to the Schools of the University shall be fixed each year by Academic Council.

(V) The number of student to be admitted in the Departments/ Schools of the University in the coming session shall be prescribed each year by the Academic Council. Minimum qualifications for admission to the programs in various Departments shall be prescribed by the Dean of the School in consultation with the Heads of the Departments /Centers each year, subject to the concessions provided for by the Regulations. Candidates shall be admitted to the various programs in order of merit.

(VI) Such candidates who satisfy the requisite qualification may be considered for admission on the basis of the academic record, and performance of the applicant in entrance test/interview as may be prescribed in respect to each program.

(VII) Only such candidates, who have passed in examination of an Indian University/Board incorporated by any law for the time being in force, or such other examination as has been recognized equivalent, shall be considered for admission.

(VIII) Reservation of seats for SC/ST/OBC/physically handicapped, foreign students shall be as per Government of India rules/norms in this regard.

(IX) Reservation of seats for the war widows/wards of armed forces personnel killed/disabled in action or during Peace time shall be as per Government of India rules/norms in this regard.

(X) No student shall ordinarily be admitted to more than one program at a time.

Note: Students admitted to a regular program in the University are permitted to pursue part-time evening certificate, diploma courses of professional nature in other Institutions.

(XI) A candidate shall be admitted to the course in a School/Department on his registration as a student of the University after paying the registration fee.

(XII) A student admitted to the University shall be member either of a Hall of Residence/Hostel or Non-Resident Students of the University.

(XIII) If at any time, it is discovered that a candidate has made a false or incorrect statement or other fraudulent means have been used for securing admission, his/her name shall be removed from the rolls of the University.

(XIV) After the counseling, the list of qualified candidates shall be submitted to the Chairman of Registration Committee/Deans of Schools/Heads of Departments for registration.

2. REGISTRATION IN THE UNIVERSITY

(I) There shall be a Registration Committee constituted by Dean of School /Head of the Department concerned to enroll the admitted students.

(II) The Dean of the School shall be the Chairman of registration committee of that School.

(III) The registration committee will be assisted by the Conveners DUGC/DPGC and the UG/PG Chairmen of the School Committee.

(IV) Every student has to be registered on the specified date of the registration, failing which he student may be registered with prescribed late fee as per Academic Calendar.

(V) The registration forms shall be filled in by the students in triplicate. One copy of which should be given to students registered after counter signed by the Dean of the School/ Head of the Department. The second copy should be retained by the Dean of the School/ Head of the Department for further records. Third duly completed copy, will be submitted to the office of Director, Academic Affairs.

(VI) If the subjects offered by the student belong to two different schools, the student will be registered in the School where two subjects belong to the school.

(VII) If all the subjects offered by the student belong to different schools, the registration should not be denied by any of the school where the student wishes to register.

(VIII) The student shall use the copy of registration form as the admit card for examinations, identity card or other references as desired.

(IX) Heads of the Departments shall complete the registration for P.G. courses and Deans of the Schools for U.G. courses.

(X) The registration numbers to the students shall be allotted in a specified pattern as assigned by office of the Director of Academic Affairs.

(XI) There shall be registration in each semester in each academic session.

(XII) All the previous records of the students registered in various courses/programs shall be maintained by Heads of the Departments for P.G. and Dean of the Schools for U.G. programs.

(XIII) The student securing less than 2.00 Semester Grade Point Average (SGPA) in 7-point grade scale, in more than one semester, shall not be registered in subsequent odd semester. For example, students with less than 2.00 SGPA in both the first and second semesters shall not be registered in the third semester. Similarly, a student with less than 2.00 SGPA, in any two of first to fourth semesters, will not be registered in fifth semester and so on. This clause is not applicable to Ph.D. students.

(XIV) Students registered in any odd semester are entitled for registration in ensuing even semester. However, a Ph.D. student who fails to secure the minimum SGPA/CGPA in Course Work as required in Ordinance 23 shall not be registered in second semester.

ORDINANCE-18*

FEES PAYABLE BY STUDENTS OF THE UNIVERSITY

(Under Section 18 (1) (e) of the Central Universities Act, 2009)

1. FEES PAYABLE:

1.1 The Executive Council on the recommendations of the Academic Council shall from time to time, prescribe the fees payable by the students.

1.2 The students of the following categories shall be exempted from payment of fees as noted below:

- Student enrolled for part-time program.
 - Medical Fee.
- Students who are Employees of the University
 - Tuition Fee.
 - Library Fee.
 - Medical Fee.
 - Security Deposit.

Note: The provision of this clause shall not apply to those employed by the University on contract/ ad-hoc / daily wages.

(c) Students who are Employee's children.

1. Tuition Fee.
2. Medical Fee.
3. Security Deposit (if a suitable surety/undertaking is furnished).

IndiaCode

2. DUE DATE OF FEES PAYMENT:

Students shall deposit fee as follows:

2.1 Fees in Semester system will be paid at the beginning of Semester.

2.2 Annual fees shall be paid at the commencement of each academic year.

2.3 If a student does not pay fee on time, a fine shall be levied as decided by the Academic Council.

3. BLIND STUDENTS EXEMPTED:

Blind students shall be exempted from payment of all fees except the security deposit.

4. REFUND OF FESS, SECURITY DEPOSIT ETC.:

4.1 Security deposits are refundable, on an application from the student on his/her leaving the University, after deducting all dues, fines and other claims against him/her.

4.2 If any student does not claim the refund of any amount lying to his/her credit within one calendar year of his/her leaving the University, his/her claim shall be forfeited.

Explanation: The period of one year shall be reckoned from the date of the result of the examination taken by the student or the date from which his name is struck off the rolls of the University.

4.3 If, after having paid fees, a candidate withdraws from the program, he/ she shall be refunded fees as per UGC guidelines.

4.4 Applications for withdrawal received beyond 15 days of the last date of registration would entitle a student for the refund of security deposit only.

4.5 If a student owes any money to the University on account of any damage he/she may have caused to the University property, it shall be, along with outstanding tuition fee and fines, if any, deducted from the Security Deposit due to him/her.

5. FEES TO BE CHARGED FOR ISSUING MARKS SHEETS AND OTHER MATTERS.

5.1 Fees will be charged for supplying duplicate copies of the statement of marks, and consolidated transcript as prescribed by Academic Council from time to time.

5.2 Fees shall be charged for issuing Transfer, Provisional and other certificates and duplicate copies thereof as decided by Academic Council from time to time.

5.3 A fee shall be payable by a student, who wishes to add or to alter his name as original recorded in the University Register and such addition or alternation shall be made to his original name as alias in the University Enrolment Register after he has fulfilled the necessary formalities.

ORDINANCE NO: 22(A)***

MEDIUM OF INSTRUCTION, MANAGEMENT OF ACADEMIC PROGRAMMES, EXAMINATION, EVALUATION AND GRADING SYSTEM FOR PROGRAMMES OF STUDIES OTHER THAN THE RESEARCH DEGREE PROGRAMME

(Under Section 28 (1) (c) and 28 (1) (g) of the Central University Act 2009)

Existing	Amendment	After Amendment
Medium of Instruction and Examination: 1. The medium of instruction in respect of all Programmes of Studies offered by the Schools, Departments and Centers of Studies shall be English/ Hindi, except in cases of studies / research in languages. 2. Question Papers of all examinations shall be set and answered in English/Hindi language, except in case of examinations in languages / literature, where the question papers may be set and answered in the respective languages either in totality or in part, depending upon the requirements of the course. 3. Project Work / Project Report / Dissertation / Field Work Report / Training Report etc, if any, shall have to be written in English/Hindi, except in case of the Programmes of Studies in languages / literature, where the same may be required to be written in the respective language.	**No Change**	**Medium of Instruction and Examination:** 1. The medium of instruction in respect of all Programmes of Studies offered by the Schools, Departments and Centers of Studies shall be English/ Hindi, except in cases of studies / research in languages. 2. Question Papers of all examinations shall be set and answered in English/Hindi language, except in case of examinations in languages / literature, where the question papers may be set and answered in the respective languages either in totality or in part, depending upon the requirements of the course. 3. Project Work / Project Report / Dissertation / Field Work Report / Training Report etc, if any, shall have to be written in English/Hindi, except in case of the Programmes of Studies in languages / literature, where the same may be required to be written in the respective language.
Management and Administration of Academic Programmes: **4. Director of Academic Affairs:** There shall be a Director of Academic Affairs (DOAA) to plan and coordinate all the CBCS programs. The responsibilities of the Director of Academic Affairs include: (i) Preparation of (a) Academic Calendar, (b) Application for Admission, and (c) Registration Form. (ii) Coordination of programs between schools and other external institutions. (iii) Coordination of common time tables in consultation with schools. (iv) Consideration of appeals from students regarding the operational problems related to CBCS.	**No Change**	**Management and Administration of Academic Programmes:** **4. Director of Academic Affairs**: There shall be a Director of Academic Affairs (DOAA) to plan and coordinate all the CBCS programs. The responsibilities of the Director of Academic Affairs include: (i) Preparation of (a) Academic Calendar, (b) Application for Admission, and (c) Registration Form. (ii) Coordination of programs between schools and other external institutions. (iii) Coordination of common time tables in consultation with schools. (iv) Consideration of appeals from students regarding the operational problems related to CBCS.

IndiaCode

5. CBCS Office: To discharge the responsibilities of CBCS programs of the University, there shall be an exclusive administrative wing called the CBCS Office. The CBCS Office shall have the following functions: Advertisement of CBCS Programs, approval of admission of students made by Departments/Schools/Centers, course registration, coordination of time table and preparation of Academic Calendar.	**No Change**	**5. CBCS Office:** To discharge the responsibilities of CBCS programs of the University, there shall be an exclusive administrative wing called the CBCS Office. The CBCS Office shall have the following functions: Advertisement of CBCS Programs, approval of admission of students made by Departments/Schools/Centers, course registration, coordination of time table and preparation of Academic Calendar.
6. Prospectus and Handbook: (a) The Prospectus issued along with the application form shall contain; (i) A profile of the University, (ii) List of Schools of the University and programs offered in University Departments, (iii) Eligibility conditions for various programs, (iv) Fee Structure (course/program, examination and other fees) and (v) Time-Table for Entrance Examination. (b) The Hand Book given to the students admitted to Departments/Schools at the time of admission shall contain: (i) CBCS Regulations and (ii) The Academic Calendar.	**No Change**	**6. Prospectus and Handbook:** (a) The Prospectus issued along with the application form shall contain; (i) A profile of the University, (ii) List of Schools of the University and programs offered in University Departments, (iii) Eligibility conditions for various programs, (iv) Fee Structure (course/program, examination and other fees) and (v) Time-Table for Entrance Examination. (b) The Hand Book given to the students admitted to Departments/Schools at the time of admission shall contain: (i) CBCS Regulations and (ii) The Academic Calendar.
7. The Feedback of the Students: There shall be an evaluation of the course taught to the students in accordance with the parameters fixed for such a purpose and also in consonance with the prevailing practice / convention in the Universities of the country. The modalities of such an exercise would broadly respond to teacher-taught relationship as determined by quality, style, manner and method of teaching along with efficacy of communication and the like. The terms of evaluation will be pursued by the Committee constituted for such a purpose by the Vice-Chancellor of the University. The configuration of evaluation shall generate the following ethics: (i) Nature of course (ii) Effectiveness of course (iii) Comprehensibility by the students (iv) Effectiveness of communication (v) Employment of Audio/Visual Aids (wherever applicable) (vi) Sincerity and regularity of teacher/ instructor.	**No Change**	**7. The Feedback of the Students:** There shall be an evaluation of the course taught to the students in accordance with the parameters fixed for such a purpose and also in consonance with the prevailing practice / convention in the Universities of the country. The modalities of such an exercise would broadly respond to teacher-taught relationship as determined by quality, style, manner and method of teaching along with efficacy of communication and the like. The terms of evaluation will be pursued by the Committee constituted for such a purpose by the Vice-Chancellor of the University. The configuration of evaluation shall generate the following ethics: (i) Nature of course (ii) Effectiveness of course (iii) Comprehensibility by the students (iv) Effectiveness of communication (v) Employment of Audio/Visual Aids (wherever applicable) (vi) Sincerity and regularity of teacher/ instructor.
Examination System: 8. All Programmes of Studies of the University shall be offered under Semester System and Examination and evaluation of students shall be through Comprehensive Continuous Internal Assessment (CCA). 9. As a general principle, the Comprehensive Continuous Internal Assessment and End Semester Examination shall comprise the following components: (i) Mid Term Examination.....20% (ii) Continuous Internal Assessment.....20% (iii) End-Semester Examination.....60% 10. Depending upon the nature and requirements of a particular course, individual Departments/Centre shall,	**No Change**	**Examination System:** 8. All Programmes of Studies of the University shall be offered under Semester System and Examination and evaluation of students shall be through Comprehensive Continuous Internal Assessment (CCA). 9. As a general principle, the Comprehensive Continuous Internal Assessment and End Semester Examination shall comprise the following components: (i) Mid Term Examination.....20% (ii) Continuous Internal Assessment.....20% (iii) End-Semester Examination.....60% 10. Depending upon the nature and requirements of a particular course, individual Departments/Centre

IndiaCode

within the overall framework of Comprehensive Continuous Internal Assessment (CCA) prescribed by the Board of Studies concerned, have freedom to prescribe additional/different components and weightage for different component. Provided that the weightage of the End-Semester Examination shall not be less than 60%.		shall, within the overall framework of Comprehensive Continuous Internal Assessment (CCA) prescribed by the Board of Studies concerned, have freedom to prescribe additional/different components and weightage for different component. Provided that the weightage of the End-Semester Examination shall not be less than 60%.
11. Detailed distribution and break-up of the Comprehensive Continuous Internal Assessment (CCA) shall be specified by the teacher concerned in the Detailed Course outlined for each course taught by him/her during a semester.		11. Detailed distribution and break-up of the Comprehensive Continuous Internal Assessment (CCA) shall be specified by the teacher concerned in the Detailed Course outlined for each course taught by him/her during a semester.
12. The question papers for the End-Semester Examinations shall be of 3 (Three) hours duration and shall be set such as to comprise the following sections:		12. The question papers for the End-Semester Examinations shall be of 3 (Three) hours duration and shall be set such as to comprise the following sections:
(i) Section A: shall have 10 (Ten) Objective Type Questions of 1 (one) Mark each. All questions in this Section shall be compulsory (Total 10 Marks)		(i) Section A: shall have 10 (Ten) Objective Type Questions of 1 (one) Mark each. All questions in this Section shall be compulsory (Total 10 Marks)
(ii) Section B: shall have 6 (Six) Short Answer Questions (SAQs) of 5 (Five) Marks each, out of which the examinee shall be required to attempt any (four) questions; (Total 20 Marks)		(ii) Section B: shall have 6 (Six) Short Answer Questions (SAQs) of 5 (Five) Marks each, out of which the examinee shall be required to attempt any (four) questions; (Total 20 Marks)
(iii) Section C: shall have 5 (Five) Essay/Long Answer Questions (LAQs) of 10 marks each. Out of which the examinee shall be required to attempt any three questions (Total 30 Marks);		(iii) Section C: shall have 5 (Five) Essay/Long Answer Questions (LAQs) of 10 marks each. Out of which the examinee shall be required to attempt any three questions (Total 30 Marks);
Paper Setting & Evaluation:		**Paper Setting & Evaluation:**
13. The overall framework of the Comprehensive Continuous Internal Assessment (CCA), including the broad guidelines regarding the content, format, duration and timings of different components of examination and evaluation shall be as decided by the Board of Studies.	**No Change**	13. The overall framework of the Comprehensive Continuous Internal Assessment (CCA), including the broad guidelines regarding the content, format, duration and timings of different components of examination and evaluation shall be as decided by the Board of Studies.
14. Within the overall framework of examination and evaluation as decided by the Board of Studies, the content, format, duration of various components of the CCA shall be decided by the concerned faculty members and notified to students along with the detailed course outline provided at the commencement of each course.		14. Within the overall framework of examination and evaluation as decided by the Board of Studies, the content, format, duration of various components of the CCA shall be decided by the concerned faculty members and notified to students along with the detailed course outline provided at the commencement of each course.
15. Since the University follows Choice Based Credit System (CBCS) and CCA, the question paper for midterm and internal assessment examination of a course shall be set by the faculty member who is teaching that course and that he/she shall also be the evaluator.		15. Since the University follows Choice Based Credit System (CBCS) and CCA, the question paper for midterm and internal assessment examination of a course shall be set by the faculty member who is teaching that course and that he/she shall also be the evaluator.
16. The End Semester question paper will be set in such a manner that 50% of papers of core courses shall be set and evaluated by external examiners. However, the theory papers for the end semester examination of the last semester of any program shall be set internally.		16. The End Semester question paper will be set in such a manner that 50% of papers of core courses shall be set and evaluated by external examiners. However, the theory papers for the end semester examination of the last semester of any program shall be set internally.
17. In case of examinations involving *viva-voce*, practical etc. in a course offered by a Department / Centre, the evaluation shall be done by a panel comprising of the concerned faculty member and an external expert to be appointed by the Dean of the School concerned, from the panel recommended by		17. In case of examinations involving *viva-voce*, practical etc. in a course offered by a Department / Centre, the evaluation shall be done by a panel comprising of the concerned faculty member and an external expert to be appointed by the Dean of the

IndiaCode

concerned Board of Studies. However, the end semester examination of the last semester of any program shall be conducted by two internal examiners.		School concerned, from the panel recommended by concerned Board of Studies. However, the end semester examination of the last semester of any program shall be conducted by two internal examiners.
18. Project Work / Project Report / Dissertation / Field Work Report / Training Report etc. shall be evaluated by an external evaluator appointed by the Dean of the School concerned from the panel recommended by concerned Board of Studies. Provided further that in case of *viva-voce* based on the Project Work /Project Report / Dissertation / Field Work Report / Training Report etc. evaluation shall be done by a committee comprising of the Advisor concerned and the external evaluator.		18. Project Work / Project Report / Dissertation / Field Work Report / Training Report etc. shall be evaluated by an external evaluator appointed by the Dean of the School concerned from the panel recommended by concerned Board of Studies. Provided further that in case of *viva-voce* based on the Project Work /Project Report / Dissertation / Field Work Report / Training Report etc. evaluation shall be done by a committee comprising of the Advisor concerned and the external evaluator.
19. The end semester examination including paper setting, evaluation, *viva-voce* and practical examination shall be remunerative both for external and internal examiners. The remuneration shall be decided by the Academic Council from time to time.		19. The end semester examination including paper setting, evaluation, *viva-voce* and practical examination shall be remunerative both for external and internal examiners. The remuneration shall be decided by the Academic Council from time to time.
Guidelines for Paper Setting: 21. The question papers for the Mid-Semester Examination shall be based on at least 50% of the course content prescribed for the Semester. 22. The question papers for the End Semester Examination shall be based on the total course content prescribed for the Semester. 23. The paper setter shall set the question paper for the Mid-Term Examination and shall arrange to make adequate number of copies / printouts, which shall be submitted in sealed cover marked as Confidential to the Head of the Department / Director of the Centre, at least five days prior to the commencement of the Mid-Term Examination; 24. Each paper setter shall be responsible for ensuring secrecy and confidentiality of the question paper set by him/her; 25. For Mid-Term Examination the Head of the Department / Director of the Centre shall keep the question papers received from the paper setters in the safe custody till the date of examination and shall arrange to issue the same on the date of examination to the invigilator concerned. 26. The paper setter for the End Semester Examination shall set the question paper in the prescribed format and shall submit the same in sealed cover marked as Confidential to the Controller of Examinations, at least fifteen days prior to the commencement of the End Semester Examination; 27. The question papers of the end semester examination set by the paper setters shall be reviewed in the meeting of the Examination Committee of the Board of Studies of the Department / Centre concerned held before the examination.	**No Change**	**Guidelines for Paper Setting:** 21. The question papers for the Mid-Semester Examination shall be based on at least 50% of the course content prescribed for the Semester. 22. The question papers for the End Semester Examination shall be based on the total course content prescribed for the Semester. 23. The paper setter shall set the question paper for the Mid-Term Examination and shall arrange to make adequate number of copies / printouts, which shall be submitted in sealed cover marked as Confidential to the Head of the Department / Director of the Centre, at least five days prior to the commencement of the Mid-Term Examination; 24. Each paper setter shall be responsible for ensuring secrecy and confidentiality of the question paper set by him/her; 25. For Mid-Term Examination the Head of the Department / Director of the Centre shall keep the question papers received from the paper setters in the safe custody till the date of examination and shall arrange to issue the same on the date of examination to the invigilator concerned. 26. The paper setter for the End Semester Examination shall set the question paper in the prescribed format and shall submit the same in sealed cover marked as Confidential to the Controller of Examinations, at least fifteen days prior to the commencement of the End Semester Examination; 27. The question papers of the end semester examination set by the paper setters shall be reviewed in the meeting of the Examination Committee of the Board of Studies of the Department / Centre concerned held before the examination.

IndiaCode

Guidelines for Evaluation: 27. It shall be the bounden duty of the concerned faculty members to evaluate all assignments, comprehensive continues internal assessment (CCA) and mid-term examination answer scripts and to show the same to the students within one week of the date of such examination and submit the marks / grades awarded to the students to the Head of the Department/ Director of the Centre concerned. 28. Each examiner shall be required to evaluate the answer scripts of the End-Semester Examination within 15 days of the date of examinations and shall be required to return to Controller of Examinations, the evaluated answer scripts along with the award list. 29. Head of the Department / Director of the Centre concerned, shall forward to the Controller of Examination, the consolidated award list of marks/grades awarded to the students in the Continuous Internal Assessment and Mid-Term Examination of each course offered by the Department.	**No Change**	**Guidelines for Evaluation:** 27. It shall be the bounden duty of the concerned faculty members to evaluate all assignments, comprehensive continues internal assessment (CCA) and mid-term examination answer scripts and to show the same to the students within one week of the date of such examination and submit the marks / grades awarded to the students to the Head of the Department/ Director of the Centre concerned. 28. Each examiner shall be required to evaluate the answer scripts of the End-Semester Examination within 15 days of the date of examinations and shall be required to return to Controller of Examinations, the evaluated answer scripts along with the award list. 29. Head of the Department / Director of the Centre concerned, shall forward to the Controller of Examination, the consolidated award list of marks / grades awarded to the students in the Continuous Internal Assessment and Mid-Term Examination of each course offered by the Department.
Revaluation of Answer Scripts: 30. No revaluation of answer sheet is permitted. However, aggrieved student may apply on the prescribed application form along with the prescribed fees, for relottling of his/her answer script(s) to the Controller of Examinations within seven working days from the date of declaration of the results. 31. Relottling of the answer script shall be done by a board comprising two members to be appointed by the Controller of Examinations.	**No Change**	**Revaluation of Answer Scripts:** 30. No revaluation of answer sheet is permitted. However, aggrieved student may apply on the prescribed application form along with the prescribed fees, for retotaling of his/her answer script(s) to the Controller of Examinations within seven working days from the date of declaration of the results. 31. Retotaling of the answer script shall be done by a board comprising two members to be appointed by the Controller of Examinations.
Conduct of Examination: 32. All examinations of the University (except the entrance examinations for admission in different Programmes of Studies) shall be conducted and held at the University Campus only. 33. The Date Sheet for Mid-Term and End-Semester Examination shall be notified by the Heads of the Department / Directors of the Centers/Deans of the School at least fifteen days prior to the commencement of the examinations. 34. The Mid-Term and End-Semester Examinations shall be conducted under the general supervision of the Head of Department, who shall act as Centre Superintendent for all examinations of the courses of his/her		**Conduct of Examination:** 32. All examinations of the University (except the entrance examinations for admission in different Programmes of Studies) shall be conducted and held at the University Campus only. 33. The Date Sheet for Mid-Term and End-Semester Examination shall be notified by the Heads of the Department / Directors of the Centers / Deans of the School at least fifteen days prior to the commencement of the examinations. 34. The Mid-Term and End-Semester Examinations shall be conducted under the general supervision of the Head of Department, who shall act as Centre

IndiaCode

Department. He/she shall arrange for the invigilation duties from amongst the faculty members and shall be responsible for the fair and orderly conduct of the examination.		Superintendent for all examinations of the courses of his/her Department. He/she shall arrange for the invigilation duties from amongst the faculty members and shall be responsible for the fair and orderly conduct of the examination.
Indiscipline and Unfair Means in Examination: 35. There shall be zero-tolerance against use of unfair means and unfair practices in connection with examination and each examinee shall be required to strictly adhere to the instructions for taking examination. Non adherence to such instructions shall attract disciplinary action. 36. Use of unfair means is strictly prohibited and shall invite serious disciplinary actions for anyone found using unfair means during any examination. Unfair practices and Unfair means relating to examination shall mean and include: (i) Exerting pressure, coercion and undue influence for postponement and change of dates and timings of examination. (ii) Threatening the invigilator or any other behaviour amounting to insubordination as reported by the Invigilator / Centre Superintendent. (iii) Seeking favours from and/or threatening the examiners, paper setters, evaluators, invigilators, co-examinees or any other officer or staff of the University. (iv) Resorting to such practices and engaging into activities that are specifically prohibited during the course of examination. (v) Keeping in possession of materials of any kind related to the subject of the examination concerned including mobile / cell phones / electronic aids, unless otherwise permitted as a component of examination and/or copying or attempting to copy from the materials in possession or from other persons within or outside the examination hall. (vi) Exchanging notes, inter-changing answer scripts, helping other examinees, seeking help from and/or consulting other examinees or any other person inside or outside the examination hall. (vii) Attempts of impersonation including writing some other candidate's registration number / roll number in the answer paper and/or exchanging or attempting to exchange answer sheets or other materials during the course of examination. (viii) Sitting or occupying seats other than the one allotted to the candidate or changing the seat during the course of examination without the permission of the invigilator. (ix) Boycott / walkout of the examination and or causing disturbances of any kind during the conduct of examination.	**No Change**	**Indiscipline and Unfair Means in Examination:** 35. There shall be zero-tolerance against use of unfair means and unfair practices in connection with examination and each examinee shall be required to strictly adhere to the instructions for taking examination. Non adherence to such instructions shall attract disciplinary action. 36. Use of unfair means is strictly prohibited and shall invite serious disciplinary actions for anyone found using unfair means during any examination. Unfair practices and Unfair means relating to examination shall mean and include: (i) Exerting pressure, coercion and undue influence for postponement and change of dates and timings of examination. (ii) Threatening the invigilator or any other behaviour amounting to insubordination as reported by the Invigilator / Centre Superintendent. (iii) Seeking favours from and/or threatening the examiners, paper setters, evaluators, invigilators, co-examinees or any other officer or staff of the University. (iv) Resorting to such practices and engaging into activities that are specifically prohibited during the course of examination. (v) Keeping in possession of materials of any kind related to the subject of the examination concerned including mobile / cell phones / electronic aids, unless otherwise permitted as a component of examination and/or copying or attempting to copy from the materials in possession or from other persons within or outside the examination hall. (vi) Exchanging notes, inter-changing answer scripts, helping other examinees, seeking help from and/or consulting other examinees or any other person inside or outside the examination hall. (vii) Attempts of impersonation including writing some other candidate's registration number/ roll number in the answer paper and/or exchanging or attempting to exchange answer sheets or other materials during the course of examination. (viii) Sitting or occupying seats other than the one allotted to the candidate or changing the seat during the course of examination without the permission of the invigilator. (ix) Boycott / walkout of the examination and or causing disturbances of any kind during the conduct of examination.

IndiaCode

(x) Any other act of omission or commission as may be declared by the Executive Council as unfair means in respect of any or all the examinations, from time to time. 37. Detection of unfair means, indiscipline and disturbances during the examination shall be brought to the notice of the Centre Superintendent by the invigilator concerned in writing. 38. The Centre Superintendent shall report to the Controller of Examinations without delay, each case of alleged use of unfair means in the examination with full details of the evidence in support thereof and the statement of the candidate concerned, if any, on the forms supplied by the Controller of Examinations for the purpose. 39. In case a candidate found using unfair means in examination refuses to make and sign the said statement, the incident shall be recorded by the Invigilator and countersigned by the Centre Superintendent. 40. The answer book of the candidate found using unfair means in the examination shall be seized and the candidate may be permitted to write remaining part of his/her examination on a separate answer-book to be issued to him/her. The Centre Superintendent shall send both the answer-books to the Controller of Examinations along with his/her report. 41. All individual cases of reported use of unfair means in examination shall be referred to the Examination Discipline Committee. Provided that in case of use of unfair means on a mass scale at an examination centre, the Vice-Chancellor shall have powers to cancel the examination of all the candidates appearing from the centre concerned and order re-examination an initiate further disciplinary action against all concerned.		(x) Any other act of omission or commission as may be declared by the Executive Council as unfair means in respect of any or all the examinations, from time to time. 37. Detection of unfair means, indiscipline and disturbances during the examination shall be brought to the notice of the Centre Superintendent by the invigilator concerned in writing. 38. The Centre Superintendent shall report to the Controller of Examinations without delay, each case of alleged use of unfair means in the examination with full details of the evidence in support thereof and the statement of the candidate concerned, if any, on the forms supplied by the Controller of Examinations for the purpose. 39. In case a candidate found using unfair means in examination refuses to make and sign the said statement, the incident shall be recorded by the Invigilator and countersigned by the Centre Superintendent. 40. The answer book of the candidate found using unfair means in the examination shall be seized and the candidate may be permitted to write remaining part of his/her examination on a separate answer-book to be issued to him/her. The Centre Superintendent shall send both the answer-books to the Controller of Examinations along with his/her report. 41. All individual cases of reported use of unfair means in examination shall be referred to the Examination Discipline Committee. Provided that in case of use of unfair means on a mass scale at an examination centre, the Vice-Chancellor shall have powers to cancel the examination of all the candidates appearing from the centre concerned and order re-examination an initiate further disciplinary action against all concerned.
Examination Discipline Committee: 42. The Examination Discipline Committee shall consist of the following members: (i) The Dean of Students' Welfare, who shall be the Chairperson (ii) The Proctor (iii) Two faculty members to be nominated by the Vice-Chancellor (iv) The Controller of Examination, who shall be the Member-Secretary.	**No Change**	**Examination Discipline Committee:** 42. The Examination Discipline Committee shall consist of the following members: (i) The Dean of Students' Welfare, who shall be the Chairperson (ii) The Proctor (iii) Two faculty members to be nominated by the Vice-Chancellor (iv) The Controller of Examination, who shall be the Member-Secretary.
43. The Terms of office of the Members of the Examination Discipline Committee, other than the Ex-Officio Members, shall be one year from the date of appointment and that three Members of the Committee shall constitute the quorum.	**No Change**	43. The Terms of office of the Members of the Examination Discipline Committee, other than the Ex-Officio Members, shall be one year from the date of appointment and that three Members of the Committee shall constitute the quorum.

IndiaCode

44. Depending upon the extent and severity, the punishment for the use of Unfair Means may include: (i) Awarding **"I" Grade /"F" Grade** to the candidate in the particular examination in which the Unfair Means was used; (ii) Awarding **"I" Grade /"F" Grade** in all examinations taken by the candidate during the semester; (iii) Debarring for certain specified number of semesters from appearing in examination of the University; (iv) Cancellation of admission from the University; (v) Rustication from the University and debarring the student from taking admission in any Programme of Studies of the University for certain specified period of time; and (vi) Rustication from the University and debarring the student from taking admission in any Programme of Studies of the University for ever;	**No Change**	44. Depending upon the extent and severity, the punishment for the use of Unfair Means may include: (i) Awarding **"I" Grade /"F" Grade** to the candidate in the particular examination in which the Unfair Means was used; (ii) Awarding **"I" Grade /"F" Grade** in all examinations taken by the candidate during the semester; (iii) Debarring for certain specified number of semesters from appearing in examination of the University; (iv) Cancellation of admission from the University; (v) Rustication from the University and debarring the student from taking admission in any Programme of Studies of the University for certain specified period of time; and (vi) Rustication from the University and debarring the student from taking admission in any Programme of Studies of the University for ever;
45. The Examination Discipline Committee shall decide the extent, and magnitude of punishment to those found guilty of using Unfair Means in examination with due regard to the nature and extent of offence committed by a candidate in use of Unfair Means and shall ensure that the punishment is commensurate to the offence committed and in accordance with the principle of natural justice; 46. All decisions taken by the Committee will be placed before the Vice-Chancellor for approval. 47. A candidate found guilty of using Unfair Means in examination by the Examination Discipline Committee, may appeal to the Vice-Chancellor, in writing, within one month of the receipt of the decision of the University; and if the Vice-Chancellor is satisfied that the representation merits consideration, he/she may refer the case back to the Examination Discipline Committee for reconsideration.	**No Change**	45. The Examination Discipline Committee shall decide the extent, and magnitude of punishment to those found guilty of using Unfair Means in examination with due regard to the nature and extent of offence committed by a candidate in use of Unfair Means and shall ensure that the punishment is commensurate to the offence committed and in accordance with the principle of natural justice; 46. All decisions taken by the Committee will be placed before the Vice-Chancellor for approval. 47. A candidate found guilty of using Unfair Means in examination by the Examination Discipline Committee, may appeal to the Vice-Chancellor, in writing, within one month of the receipt of the decision of the University; and if the Vice-Chancellor is satisfied that the representation merits consideration, he/she may refer the case back to the Examination Discipline Committee for reconsideration.
Specific Provisions for the Conduct of Entrance Examination for Admission: 48. The Paper Setters for the Common Entrance Examination shall be appointed by the Vice-Chancellor. 49. The overall administration, conduct, supervision and control of the Common Entrance Examination shall be the responsibility of the Controller of Examinations who with the approval of the Vice-Chancellor, shall arrange: (i) To get the question papers for the Common Entrance Examination set by the paper setter(s) appointed by the Vice-Chancellor; (ii) For the confidential printing of the question papers for the Common Entrance Examination;	**No Change**	**Specific Provisions for the Conduct of Entrance Examination for Admission:** 48. The Paper Setters for the Common Entrance Examination shall be appointed by the Vice-Chancellor. 49. The overall administration, conduct, supervision and control of the Common Entrance Examination shall be the responsibility of the Controller of Examinations who with the approval of the Vice-Chancellor, shall arrange: (i) To get the question papers for the Common Entrance Examination set by the paper setter(s) appointed by the Vice-Chancellor; (ii) For the confidential printing of the question papers for the Common Entrance Examination;

IndiaCode

(iii) To appoint Centre Superintendents for each of the Examination Centers; (iv) For the smooth conduct of the Common Entrance Examination in all Examination centre and exercise general supervision and control and; (v) For the evaluation of the Answer scripts and preparation of the merit list; 50. In the absence of Controller of Examinations or otherwise if the circumstances so warrant the Vice-Chancellor may appoint a Coordinator of the Common Entrance Examination who shall perform such functions as specified in the preceding clause. 51. The Common Entrance Examination shall be held at the designated Examination Centers as approved by the Academic Council and notified in the University Prospectus. 52. Each Examination Centre shall be under the charge of a Centre Superintendent, who shall ensure smooth and fair conduct of the Common Entrance Examination. 53. During an entrance examination, all candidates shall be under the disciplinary control of the Centre Superintendent, whose instructions on the conduct of examination shall be final and binding. If a candidate disobeys instructions or misbehaves with Centre Superintendent / Supervisory staff / invigilator / any other staff / other examinees, he/she may be expelled from the examination them and there. 54. Notwithstanding anything contained in these Ordinances, the examination of all such candidates who are found using Unfair Means in the Common Entrance Examination shall be cancelled and consequently his/her answer script will not be considered for evaluation and preparation of merit list.		(iii) To appoint Centre Superintendents for each of the Examination Centers; (iv) For the smooth conduct of the Common Entrance Examination in all Examination centre and exercise general supervision and control and; (v) For the evaluation of the Answer scripts and preparation of the merit list; 50. In the absence of Controller of Examinations or otherwise if the circumstances so warrant the Vice-Chancellor may appoint a Coordinator of the Common Entrance Examination who shall perform such functions as specified in the preceding clause. 51. The Common Entrance Examination shall be held at the designated Examination Centers as approved by the Academic Council and notified in the University Prospectus. 52. Each Examination Centre shall be under the charge of a Centre Superintendent, who shall ensure smooth and fair conduct of the Common Entrance Examination. 53. During an entrance examination, all candidates shall be under the disciplinary control of the Centre Superintendent, whose instructions on the conduct of examination shall be final and binding. If a candidate disobeys instructions or misbehaves with Centre Superintendent / Supervisory staff / invigilator / any other staff/ other examinees, he/she may be expelled from the examination them and there. 54. Notwithstanding anything contained in these Ordinances, the examination of all such candidates who are found using Unfair Means in the Common Entrance Examination shall be cancelled and consequently his/her answer script will not be considered for evaluation and preparation of merit list.
Grading System: 55. The University shall have **grading system** based on a ***Ten (10) point scale*** of evaluation of the performances of students in terms of marks, grade points, letter grade and class. 56. The total performance of a student within a semester shall be indicated by the (a) Semester Grade Point Average (SGPA); and Weighted Average Marks (WAM); The grade sheet of a student in the final semester of a programme shall also include; (b) The SGPA and CGPA shall be rounded off to 2 decimal points and reported in the grade sheets (i) Cumulative Grade Point Average (CGPA); and (ii) Overall Weighted Percentage Marks (OWPM). The CGPA and OWPM being the real indicators of a student's performance. These shall be calculated as under:	**No Change**	**Grading System:** 55. The University shall have **grading system** based on a ***Ten (10) point scale*** of evaluation of the performances of students in terms of marks, grade points, letter grade and class. 56. The total performance of a student within a semester shall be indicated by the (a) Semester Grade Point Average (SGPA); and Weighted Average Marks (WAM); The grade sheet of a student in the final semester of a programme shall also include; (b) The SGPA and CGPA shall be rounded off to 2 decimal points and reported in the grade sheets (i) Cumulative Grade Point Average (CGPA); and (ii) Overall Weighted Percentage Marks (OWPM). The CGPA and OWPM being the real indicators of a student's performance. These shall be calculated as under:

IndiaCode

$SGPA = (\sum C_i\ G_i) / (\sum C_i)$ $WAM = (\sum C_i\ M_i) / (\sum C_i)$ % $CGPA = (\sum \sum C_{ni}\ G_{ni}) / (\sum \sum C_i)$ $OWPM = (\sum \sum C_{ni}\ M_{ni}) / (\sum \sum C_{ni})$ % **Where** C_i = number of credits in i^{th} course, M_i = marks obtained in the i^{th} course, G_i = grade point obtained in the i^{th} course, C_{ni} = number of credits of the i^{th} course of the n^{th} semester, M_{ni} = marks of the i^{th} course of the n^{th} semester, G_{ni} = grade points of the i^{th} of the n^{th} semester.		$SGPA = (\sum C_i\ G_i) / (\sum C_i)$ $WAM = (\sum C_i\ M_i) / (\sum C_i)$ % $CGPA = (\sum \sum C_{ni}\ G_{ni}) / (\sum \sum C_i)$ $OWPM = (\sum \sum C_{ni}\ M_{ni}) / (\sum \sum C_{ni})$ % **Where** C_i = number of credits in i^{th} course, M_i = marks obtained in the i^{th} course, G_i = grade point obtained in the i^{th} course, C_{ni} = number of credits of the i^{th} course of the n^{th} semester, M_{ni} = marks of the i^{th} course of the n^{th} semester, G_{ni} = grade points of the i^{th} of the n^{th} semester.
Course-Wise Letter Grade & Grade Point: 57. Accordingly, the percentage of marks obtained by a student in a course will be indicated by a grade point and a letter grade on a **Ten (10)** point scale as under: **PERCENTAGE OF MARKS** / **GRADE POINT** / **LETTER GRADE** 91-100 / 10 / O (Outstanding) 75-90 / 9 / A^+ (Excellent) 65-74 / 8 / A (Very good) 55-64 / 7 / B^+ (Good) 50-54 / 6 / B (Above Average) 45-49 / 5 / C (Average) 40-44 / 4 / P (Pass) 0-39 / 0 / F (Fail) Absent / 0 / Ab (Absent)	**No Change**	**Course-Wise Letter Grade & Grade Point:** 57. Accordingly, the percentage of marks obtained by a student in a course will be indicated by a grade point and a letter grade on a **Ten (10)** point scale as under: **PERCENTAGE OF MARKS** / **GRADE POINT** / **LETTER GRA** 91-100 / 10 / O (Outstanding) 75-90 / 9 / A^+ (Excellent) 65-74 / 8 / A (Very good) 55-64 / 7 / B^+ (Good) 50-54 / 6 / B (Above Average) 45-49 / 5 / C (Average) 40-44 / 4 / P (Pass) 0-39 / 0 / F (Fail) Absent / 0 / Ab (Absent)
58. A student obtaining Grade F shall be considered failed and will be required to reappear in the examination. 59. For non credit courses "Satisfactory" or "Unsatisfactory" shall be indicated instead of the letter grade and this will not be counted for the completion of SGPA/CGPA.		58. A student obtaining Grade F shall be considered failed and will be required to reappear in the examination. 59. For non credit courses "Satisfactory" or "Unsatisfactory" shall be indicated instead of the letter grade and this will not be counted for the completion of SGPA/CGPA.
CGPA, Overall Letter Grade and Class: 60. The overall cumulative performance of a student shall be indicated by the Cumulative Grade Point Average (CGPA). 61. The marks and the grades obtained in the courses corresponding to the maximum number of credits specified for completion of a Programme of Studies will be taken into consideration in arriving at the OWPM with overall Letter Grade and Class, as under: **OWPM** / **LETTER GRADE** / **CLASSS** 91-100 / O (Outstanding) / First Class (Outstanding)	**No Change**	**CGPA, Overall Letter Grade and Class:** 60. The overall cumulative performance of a student shall be indicated by the Cumulative Grade Point Average (CGPA). 61. The marks and the grades obtained in the courses corresponding to the maximum number of credits specified for completion of a Programme of Studies will be taken into consideration in arriving at the OWPM with overall Letter Grade and Class, as under: **OWPM** / **LETTER GRADE** / **CLASSS** 91-100 / O (Outstanding) / First Class (Outstanding)

IndiaCode

75-90	A+ (Excellent)	First Class			75-90	A+ (Excellent)	First Class
65-74	A (Very good)	First Class			65-74	A (Very good)	First Class
55-64	B+ (Good)	Second Class			55-64	B+ (Good)	Second Class
50-54	B (Above Average)	Second Class			50-54	B (Above Average)	Second Class
45-49	C (Average)	Third Class			45-49	C (Average)	Third Class
40-44	P (Pass)	Pass Class			40-44	P (Pass)	Pass Class

62. A student who has successfully completed all the courses to accumulate the minimum specified number of credits under the Comprehensive Choice Based Credit System shall be deemed to have completed the Programme of Studies.	**No Change**	62. A student who has successfully completed all the courses to accumulate the minimum specified number of credits under the Comprehensive Choice Based Credit System shall be deemed to have completed the Programme of Studies.
Ranking of Students: 63. The first three ranks in every Programme of Studies shall be decided on the basis of OWPM. All the rank holders in each Programme of Studies shall be awarded the Certificate of Merit, subject to fulfillment of the following criteria: a. Should have first position with more than 60 percent marks (OWPM); b. Should have passed all the Semesters of a Programme of Study without any break; c. Should have passed all the Courses in a Programme of Study without any back log meaning thereby that he/she has not been awarded 'F' or 'I' grade in any course; and d. Should have exhibited good conduct and character during the period of a Programme of Study.	**No Change** **No Change** Should have more than 60 percent marks (OWPM); **No Change** **No Change**	**Ranking of Students:** 63. The first three ranks in every Programme of Studies shall be decided on the basis of OWPM. All the rank holders in each Programme of Studies shall be awarded the Certificate of Merit, subject to fulfillment of the following criteria: a. Should have more than 60 percent marks (OWPM); b. Should have passed all the Semesters of a Programme of Study without any break; c. Should have passed all the Courses in a Programme of Study without any back log meaning thereby that he/she has not been awarded 'F' or 'I' grade in any course; and d. Should have exhibited good conduct and character during the period of a Programme of Study.
Attendance: 64. No student shall be permitted to sit for the End-semester examination in the course in which he/she has secured less than 75% attendance. 65. The teacher handling a course shall be responsible for maintaining a record of attendance of students who have registered for the course and shall display on the Notice Board of the Department the monthly attendance record of each student. 66. All teachers shall intimate the Head of the Department/Director of the Centre concerned, at least seven calendar days before the last instruction day in the semester, particulars of all students who have secured less than 75% attendance in one or more courses. 67. The Head of the Department / Director of the Centre shall display on the Notice Board of the Department names of all students who will not be eligible to take the End-semester examinations in the various courses and send a copy of the same to the Dean of the School concerned.	**No Change**	**Attendance:** 64. No student shall be permitted to sit for the End-semester examination in the course in which he/she has secured less than 75% attendance. 65. The teacher handling a course shall be responsible for maintaining a record of attendance of students who have registered for the course and shall display on the Notice Board of the Department the monthly attendance record of each student. 66. All teachers shall intimate the Head of the Department/Director of the Centre concerned, at least seven calendar days before the last instruction day in the semester, particulars of all students who have secured less than 75% attendance in one or more courses. 67. The Head of the Department / Director of the Centre shall display on the Notice Board of the Department names of all students who will not be eligible to take the End-semester examinations in the various courses and send a copy of the same to the Dean of the School concerned.

IndiaCode

68. The Dean of the School concerned may grant exemption to a candidate who has failed to obtain the minimum prescribed 75% attendance for valid reasons provided that such exemptions shall not be granted for attendance below 65%.		68. The Dean of the School concerned may grant exemption to a candidate who has failed to obtain the minimum prescribed 75% attendance for valid reasons provided that such exemptions shall not be granted for attendance below 65%.
Promotion & Progression: 69. A student shall be required to participate in Mid-Term Examination and Internal Assessment as specified in the Detailed Course Outline, failing which he/she shall be deemed to have NOT COMPLETED the course and shall be awarded the **"I" Grade.** Provided further that the **"I" Grade** shall also be awarded to a candidate in a course in which he/she has been declared **ineligible** to appear in the End-Semester Examination of courses on account not meeting the minimum prescribed attendance requirements for the course. 70. A student who has been awarded **"I" Grade** shall be required to re-register for the same course, when it is offered in the next semester(s), or shall have to register for another course under the overall framework of credit accumulation under the Comprehensive Choice Based Credit System to be able to successfully complete the minimum specified credit requirements for completion of the Programme of Studies. 71. A candidate shall be deemed to have successfully completed a course except in case where he/she has been awarded the "I" Grade or "F" Grade. 72. A student who has successfully completed a course shall not be permitted to repeat the course to improve his/her grade. 73. A candidate shall be required to secure a minimum of 40% Marks, in the course taken, to successfully complete that course, failing which he/she shall be deemed to have failed in the course and shall be awarded the **"F" Grade.** 74. The "**F" Grade** once awarded shall stay in the grade card of the student and shall not be deleted even when he/she successfully completes the course later. The grade acquired later by the student will be indicated in the grade sheet of the subsequent semester in which the candidate has appeared for clearance of the arrears. 75. If a student has been awarded "F" Grade, he/she shall be required to repeat only the End- Semester Examination *i.e.* he/she shall be required to reappear in End-Semester Examination of that course in the next session. The student shall not be permitted to repeat / reappear in the Continuous Internal Assessment and/or the Mid-Term Examination. The marks obtained by him/her in the Continuous Internal Assessment and/or the Mid-Term Examination shall be carried forward for declaring the result.	**No Change**	**Promotion & Progression:** 69. A student shall be required to participate in Mid-Term Examination and Internal Assessment as specified in the Detailed Course Outline, failing which he/she shall be deemed to have NOT COMPLETED the course and shall be awarded the **"I" Grade.** Provided further that the **"I" Grade** shall also be awarded to a candidate in a course in which he/she has been declared **ineligible** to appear in the End-Semester Examination of courses on account not meeting the minimum prescribed attendance requirements for the course. 70. A student who has been awarded **"I" Grade** shall be required to re-register for the same course, when it is offered in the next semester(s), or shall have to register for another course under the overall framework of credit accumulation under the Comprehensive Choice Based Credit System to be able to successfully complete the minimum specified credit requirements for completion of the Programme of Studies. 71. A candidate shall be deemed to have successfully completed a course except in case where he/she has been awarded the "I" Grade or "F" Grade. 72. A student who has successfully completed a course shall not be permitted to repeat the course to improve his/her grade. 73. A candidate shall be required to secure a minimum of 40% Marks, in the course taken, to successfully complete that course, failing which he/she shall be deemed to have failed in the course and shall be awarded the **"F" Grade.** 74. The "**F" Grade** once awarded shall stay in the grade card of the student and shall not be deleted even when he/she successfully completes the course later. The grade acquired later by the student will be indicated in the grade sheet of the subsequent semester in which the candidate has appeared for clearance of the arrears. 75. If a student has been awarded "F" Grade, he/she shall be required to repeat only the End- Semester Examination *i.e.* he/she shall be required to reappear in End-Semester Examination of that course in the next session. The student shall not be permitted to repeat / reappear in the Continuous Internal Assessment and/or the Mid-Term Examination. The marks obtained by him/her in the Continuous Internal Assessment and/or the Mid-Term Examination shall be carried forward for declaring the result.

IndiaCode

76. A student with **"F" Grade** in a course shall be permitted to repeat / reappear in the End-Semester Examination of the Course along with the subsequent End Semester Examinations up to the maximum duration of that particular programme. 77. If a student secures **"F" Grade** in a Project Work / Project Report / Dissertation / Field Work Report / Training Report etc, he/she shall be required to resubmit the revised Project Work / Project Report / Dissertation / Field Work Report / Training Report etc as required by the evaluator(s). Provided further that a student shall be permitted to re-submit the Project Work / Project Report / Dissertation / Field Work Report / Training Report etc for a maximum of three times (including the first submission). 78. There shall be no system of compartmental / supplementary examination. 79. All students admitted to an Odd Semester shall be eligible for promotion to the Even Semester. To be eligible for promotion from an Even Semester to the Odd Semester, a student shall be required to successfully complete at least 50% of all the courses registered by him/her so far. All such students who are not promoted to the next semester shall be treated as Ex-Students and shall continue to remain so till they become eligible for promotion to the next semester.		76. A student with **"F" Grade** in a course shall be permitted to repeat / reappear in the End- Semester Examination of the Course along with the subsequent End Semester Examinations up to the maximum duration of that particular programme. 77. If a student secures **"F" Grade** in a Project Work / Project Report / Dissertation / Field Work Report / Training Report etc, he/she shall be required to resubmit the revised Project Work / Project Report / Dissertation / Field Work Report / Training Report etc as required by the evaluator(s). Provided further that a student shall be permitted to re-submit the Project Work / Project Report / Dissertation / Field Work Report / Training Report etc for a maximum of three times (including the first submission). 78. There shall be no system of compartmental / supplementary examination. 79. All students admitted to an Odd Semester shall be eligible for promotion to the Even Semester. To be eligible for promotion from an Even Semester to the Odd Semester, a student shall be required to successfully complete at least 50% of all the courses registered by him/her so far. All such students who are not promoted to the next semester shall be treated as Ex-Students and shall continue to remain so till they become eligible for promotion to the next semester.
Special Provisions for Students in the Last Semester of a Programme: 80. Special end semester examination of odd semesters only, shall be held for the students in the last semester of a programme (outgoing students). The question papers for outgoing students shall be set and evaluated internally. 81. Provided further that if the student gets 'F' grade in any course in the **last semester** of a Programme of Study, in such a case, the University shall make arrangement to hold special End Term Examination in that course only within one month of the declaration of the result of last semester of that Programme of Study. Provided, further that in case of extraordinary exigency, the Academic Program Committee may decide to get special end-semester examination conducted.	**No Change**	**Special Provisions for Students in the Last Semester of a Programme:** 80. Special end semester examination of odd semesters only, shall be held for the students in the last semester of a programme (outgoing students) the question papers for outgoing students shall be set and evaluated internally. 81. Provided further that if the student gets 'F' grade in any course in the **last semester** of a Programme of Study, in such a case, the University shall make arrangement to hold special End Term Examination in that course only within one month of the declaration of the result of last semester of that Programme of Study. Provided, further that in case of extraordinary exigency, the Academic Program Committee may decide to get special end-semester examination conducted.
Re-registration in Failed Courses: 82. If a student, who has been awarded 'F' Grade, wants to repeat the course by re-registration, he/she may be permitted on a payment of prescribed fees. In such cases, the student is permitted to appear in mid semester and continuous internal assessment besides the end semester examinations.	**No Change**	**Re-registration in Failed Courses:** 82. If a student, who has been awarded 'F' Grade, wants to repeat the course by re-registration, he/she may be permitted on a payment of prescribed fees. In such cases, the student is permitted to appear in mid semester and continuous internal assessment besides the end semester examinations.
Grade Card: 83. The grade card issued at the end of the semester to each student will contain the following:		**Grade Card:** 3. The grade card issued at the end of the semester to each student will contain the following:

IndiaCode

(i) Marks obtained for each course registered in the semester (ii) Credits earned for each course registered for that semester (iii) Performance in each course indicated by the letter grade (iv) Semester Grade Point Average (SGPA) of all the courses registered for that semester (v) Weighted Average Marks (WAM) of all the courses registered for that semester (vi) Cumulative Grade Point Average (CGPA), (vii) Overall Weighted Percentage of Marks (OWPM) (viii) The class and the grade of all the courses, after completing the programme.		(i) Marks obtained for each course registered in the semester (ii) Credits earned for each course registered for that semester (iii) Performance in each course indicated by the letter grade (iv) Semester Grade Point Average (SGPA) of all the courses registered for that semester (v) Weighted Average Marks (WAM) of all the courses registered for that semester (vi) Cumulative Grade Point Average (CGPA), (vii) Overall Weighted Percentage of Marks (OWPM) (viii) The class and the grade of all the courses, after completing the programme.
84. Notwithstanding anything contained in these Ordinances, all matters related to the candidates shall be governed by the rules and procedures framed by the Academic Council that are in force at that point of time.		84. Notwithstanding anything contained in these Ordinances, all matters related to the candidates shall be governed by the rules and procedures framed by the Academic Council that are in force at that point of time.
85. From the date when these Ordinances come into operation, all previous Ordinances on the subject shall cease to have effect. Provided that this revocation shall not affect the previous Ordinances so revoked or anything done or suffered under any previous Ordinances so revoked or affect any right, privilege, obligation or liability acquired, arrived or incurred under any Ordinances so revoked.		85. From the date when these Ordinances come into operation, all previous Ordinances on the subject shall cease to have effect. Provided that this revocation shall not affect the previous Ordinances so revoked or anything done or suffered under any previous Ordinances so revoked or affect any right, privilege, obligation or liability acquired, arrived or incurred under any Ordinances so revoked.
86. Any doubt or dispute about the interpretation of these Ordinances shall be referred to the Vice-Chancellor, whose decision, in his capacity as the Chairman, Academic Council, shall be final. The Vice-Chancellor may modify, amend and/ or delete any of the clauses given in these Ordinances or add any clause(s) to these Ordinances, to facilitate the pursuit of excellence in research, provided that any such modification, amendment, deletion, and addition shall be reported to the Academic Council at its next meeting for approval.		86. Any doubt or dispute about the interpretation of these Ordinances shall be referred to the Vice-Chancellor, whose decision, in his capacity as the Chairman, Academic Council, shall be final. The Vice-Chancellor may modify, amend and/ or delete any of the clauses given in these Ordinances or add any clause(s) to these Ordinances, to facilitate the pursuit of excellence in research, provided that any such modification, amendment, deletion, and addition shall be reported to the Academic Council at its next meeting for approval.

IndiaCode

ORDINANCE NO: 22(B)**

CURRICULAR FRAMEWORK, PROGRAMME OF STUDIES AND CONDITIONS FOR AWARD OF DEGREES, DIPLOMAS AND CERTIFICATES

(Under Section 28(1)(b), 28(1)(c) and 28(1)(g) of the Central Universities Act 2009)

Curricular Framework:

1. The curricular framework of the Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar shall be learner-centric and based on the holistic approach to higher education. Focused on in-depth learning, the curricula and syllabi shall be linked to research & scholarship and shall be continuously reviewed and updated on the basis of feedback and evaluation.
2. The teaching-learning process (classroom activities, self-learning, work placement, and evaluation) shall aim at nurturing and development of:
 a. *Knowledge & Comprehension* - general, domain specific, discipline specific, organization- specific, application-orientation;

b. *Abilities & Skills* - verbal, numeric, synthetic, analytic, soft-skills, entrepreneurial skills, leadership, team-working; and

c. *Values & Aptitude* - human values, work ethics, work culture, positive thinking, empathy, emotional intelligence.

3. The curricula and pedagogy of all Programme of Studies shall seek to:

a. incorporate exposure to current and emerging knowledge, theory and practice;

b. inculcate research aptitude and skills through project work, literature survey, data collection, analysis, interpretation and inference;

c. develop critical thinking and pursuit of knowledge; and

d. Develop ability to apply knowledge and skill for appraisal, evaluation and problem solving.

4. In order to promote learning driven by the intrinsic curiosity and mastery of the subject, the curricula shall aim at striking a fine balance between the taught content and independent learning by students.

5. With a view to discourage rote learning, the curricula of all Programme of Studies shall aim at assessing the Total Learning Outcome (TLO) by assessing performance of students in terms of knowledge, comprehension, application, analysis and synthesis.

6. Assessment and evaluation of students shall be based on Total Student Effort (TSE). Accordingly, it shall take into account the accomplishment of students across the total workload specifications comprising the:

a. Contact Hours / Organized Classroom Activity;

b. Practical's / Lab work / Tutorial / Teacher-led Activities;

c. Individual / Group Work;

d. Obligatory / Optional Work Placement;

e. Literature Survey / Library work;

f. Data Collection / Field work / Project Work;

g. Papers / Projects / Dissertation / Thesis / Seminar;

h. Assignments / Quizzes / mid-term; and

i. End-semester examination.

Semester System

7. All Programme of Studies offered by the University shall be based on the Semester-System. Accordingly, the Academic Calendar of the University shall be divided into (a) Monsoon Semester (Odd Semesters) spanning from July to December; and (b) Spring Semester (Even Semesters) spanning from January to June. Each Semester shall have a minimum of 90 days of teaching spread over 18 weeks.

Choice Based Credit System (CBCS):

8. All Programme of Studies in the University shall be based on a Comprehensive Choice-Based Credit System (CBCS).

9. The curricula for all Programme of Studies shall offer wide choices to students in terms of courses, content, mode and pace of learning and shall encourage students to choose their own basket of courses and decide their own pathways and pace of learning.

10. In order to enable students decide their pathways and exercise choices for basket of courses in each semester, they will be assisted by **Faculty Advisor** who will guide them in exercising their choices.

11. The School Boards shall specify broad framework, set standards and benchmarks by pre- specifying educational components, learning outcomes and workloads to be followed by Departments in designing and delivery of courses.

IndiaCode

Course Catalogue:

12. The nomenclature / title, educational components, course-requirements including pre-requisites and co-requisites and credits shall be specified by the Board of Studies within the broad framework specified by the School Board.

13. All courses as specified and approved by the Boards of Studies / School Board / Academic Council, shall be listed in the Course Catalogue that shall be continuously reviewed and updated.

14. The Course Catalogue will provide a comprehensive listing and a brief outline of all courses offered across all Departments / Centers / Schools of the University.

15. Each course listed in the Course Catalogue shall indicate its level, pre-requisite(s) and co- requisite(s), expectations in terms of time commitments on the part of students registering for that course and requirements for successful completion of the course.

Course Registration:

16. After admission to a Programme of Studies and at the commencement of each subsequent semester, a student shall be required to register for the Courses he/she intends to undergo during the Semester.

17. The registration for courses shall be made in consultation with the Faculty Advisor(s) and on the prescribed format and shall be duly signed by the Student, Faculty Advisor and Head of the Department / Director of the Centre concerned.

18. A student may be permitted to change the courses, if applicable, within 7 days from the date of course registration.

19. The minimum and maximum number of credits that a student can register for, in a semester shall be such as prescribed by the Board of Studies/ School Board / Academic Council.

Audit of Course:

20. Subject to the permission of the teacher handling the course, a student may be permitted, on payment of prescribed fees, to audit, a maximum of two courses without assigning any credits.

Detailed Course Outline:

21. In order to make programme offerings dynamic, flexible, multi-disciplinary and inter-disciplinary, individual faculty members shall be required to prepare Detailed Course Outline for each course to be taught by them in a particular semester and shall make the same available to each student registered to take the course, at the commencement of each semester.

22. The Detailed Course Outline shall be prepared within the overall framework and broad guidelines as provided by the Board of Studies / School Board / Academic Council and shall include such specific details about a particular course as, completion requirements, assessment criteria, unit-wise course contents, lecture plan, prescribed texts, reading list, planned activities for Students Effort / Teacher-led activities etc.

Assignment of Credits:

23. Credit assigned to a particular course will be decided with due regard to specified Learning Outcomes, Educational Components and Workload requirements.

Programme of Studies:

24. All Programme of Studies shall be in general adherence to the minimum eligibility conditions, duration, credit requirements and other conditions of minimum standards as prescribed by the UGC / National Regulatory Bodies / Professional Councils.

IndiaCode

Minimum and Maximum Duration of Programme of Studies:

25. Subject to the requirements of the UGC / Regulatory Body / Professional Council concerned, the minimum and maximum duration of all Programme of Studies introduced and offered by the University shall be such as approved by the Academic Council of the University.

Minimum Eligibility Requirements and Criteria for Selection for Admission:

26. Minimum eligibility conditions and criteria for selection of students for admission to various Programme of Studies including qualifications for admission, age limits and relaxation if any, shall be prescribed by the Academic Council and notified in the Prospectus. (Given in the **Schedule – I** of this ordinance).

Credit Requirements for Completion of Programme of Studies:

27. Subject to the requirements of the UGC / Regulatory Body / Professional Council concerned, Credit requirements for completion of a Programme of Studies shall be such as prescribed by the Academic Council of the University. (Given in the **Schedule – I** of this ordinance).

Conditions for the Award of the Degree / Diploma / Certificate:

28. Subject to the requirements of the UGC / Regulatory Body / Professional Council concerned, the conditions of the award of Degree / Diploma / Certificate shall be such as prescribed by the Academic Council of the University. (Given in the **Schedule – I** of this ordinance).

29. Notwithstanding anything contained in these Ordinances, all matters related to the candidates shall be governed by the rules and procedures framed by the Academic Council that are in force at that point of time.

30. From the date when these Ordinances come into operation, all previous Ordinances on the subject shall cease to have effect.

 Provided that this revocation shall not affect the previous Ordinances so revoked or anything done or suffered under any previous Ordinances so revoked or affect any right, privilege, obligation or liability acquired, arrived or incurred under any Ordinances so revoked.

31. Any doubt or dispute about the interpretation of these Ordinances shall be referred to the Vice-Chancellor, whose decision, in his capacity as the Chairman, Academic Council, shall be final.

 The Vice-Chancellor may modify, amend and/ or delete any of the clauses given in these Ordinances or add any clause(s) to these Ordinances, to facilitate the pursuit of excellence in research, provided that any such modification, amendment, deletion, and addition shall be reported to the Academic Council at its next meeting for approval.

Schedule - 1 of Ordinance 22(B)

REGULATIONS GOVERNING PROGRAMMES UNDER THE CHOICE BASED CREDIT SYSTEM

Coverage:

The CBCS is applicable to all full-time PG, UG, Diploma and Certificate programmes of study approved by the Academic Council. It shall be also applicable to any other program of study approved by the Academic Council that has been prescribed to follow the CBCS pattern.

Credits and Contact Hours:

(a) One credit shall mean one contact hour of teaching for theory or two hours for laboratory/ practical course per week in a semester of 18 weeks.

(b) One tutorial hour for a course shall amount to one credit.

(c) One credit shall be assigned to one week of field training program/curriculum stipulated study tour (CSST) where students spend the entire duration in the field along with the faculty member(s).

(d) Up to three credits shall be assigned to one month of internship/training undergone in a Company/ Organization/ Institutions approved by the Board of Studies of the concerned department.

Outline of Courses under Choice Based Credit System:

(a) **Core Course (CC):** A course, which should compulsorily be studied by a candidate as a core requirement is termed as a Core course.

(b) **Elective Course:** Generally a course which can be chosen from a pool of courses and which may be very specific or specialized or advanced or supportive to the discipline/ subject of study or which provides an extended scope or which enables an exposure to some other discipline/subject/domain or nurtures the candidate's proficiency/skill is called an Elective Course.

i. **Discipline Specific Elective (DSE) Course**: Elective courses may be offered by the main discipline/subject of study is referred to as Discipline Specific Elective. The University/Institute may also offer discipline related Elective Courses of interdisciplinary nature (to be offered by main discipline/subject of study).

ii. **Dissertation/Project**: An elective course designed to acquire special/advanced knowledge, such as supplement study/support study to a project work. If a candidate studies such a course on his own with an advisory support by a teacher/faculty member then the course is called dissertation/project.

iii. **Open Elective (OE) Course**: An elective course chosen generally from an unrelated discipline/subject, with an intention to seek exposure is called a Generic Elective or an Open Elective Course.

P.S.: A core course offered in a discipline/subject may be treated as an elective by other discipline/subject and vice versa and such electives may also be referred to as Generic Elective.

(c) **Ability Enhancement Courses (AEC):** The Ability Enhancement (AE) Courses may be of two kinds: Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC) and Skill Enhancement Courses (SEC). "AECC" courses are the courses based upon the content that leads to Knowledge enhancement; i. Environmental Studies and ii. English/MIL Communication. These are mandatory for all disciplines. SEC courses are value-based and/or skill-based and are aimed at providing hands-on-training, competencies, skills, etc.

i. Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC): Environmental Studies, English Communication/MIL Communication.

ii. Skill Enhancement Courses (SEC): These courses may be chosen from a pool of courses designed to provide value-based and/or skill-based knowledge.

*** Introducing Research Component in Under-Graduate and Post Graduate Courses**

Project work/Dissertation is considered as a special course involving application of knowledge in solving / analyzing /exploring a real life situation / difficult problem. A Project/Dissertation work would be of 6 credits. A Project/Dissertation work may be given in lieu of a discipline specific elective paper.

Component of Course:

(a) Every offered course may have three components:

(i) Lecture - L (ii) Tutorial - T (iii) Practical - P

Where, **L** stands for a class room lecture session. **T** stands for tutorial session consisting of participatory discussion/desk work/brief seminar presentations by students and such other innovative methods. **P** stands for practical session and it consists of hands on experience/ laboratory experiments/ field studies / case studies etc.

(b) A course may have either one or two or all the three components. That means a course may have only lecture components (L), or only practical components (P) or combination of any two or all the three components (L, T, P).

(c) Credit assigned for a particular course may be distributed among all three components.

(d) The concerned BoS will choose the convenient credit pattern for every course based on the requirement.

Credits Structure for various PG Programmes:

(a) Total credits for any post-graduate / Masters Programme inclusive of Core, Subject and Open Elective Courses and project work shall be as specified in Table 1.

(b) The distribution of credits for various course types (CC/SE/OE/Project) shall be as specified by Board of Studies.

(c) A Core course cannot be substituted by any other course. Core courses shall carry usually 5 credits per course. However, as per requirement of a curriculum, a Core course may be assigned 2 to 5 credits.

(d) The number of Core courses in a semester and for entire PG programme shall be decided by the Board of Studies of the concerned department. However, total credits for entire programme for Core courses shall be as prescribed in Table 1.

(e) There shall be sufficient options available to the students for selecting elective courses in each PG programme. If required elective courses in a programme can be grouped according to specialization of faculties, and there shall be choices available to the students for selecting one or two courses from each group.

(f) Before two weeks of commencement of each semester, Departments shall notify the list of available elective courses and available seats with name of offering faculty for that semester for each course. However, in view of faculty and laboratory constraints, elective courses may be rotated session wise.

(g) Open Elective Courses shall be offered in all programmes in the University. A list of OE courses, detailed course contents, name of faculty in-charge and schedule shall be put on notice board of departments and on University website.

(h) Each student shall exercise three options for all open elective courses in the order of preference at least three weeks prior to the end of the semester proceeding the semester in which Open Elective Courses are to be offered.

(i) Each students shall exercise his/her option in duplicate for open elective, one to the Head of the parent Department and another to the Head of the Department in which he/she is opting for the Open Elective Course.

(j) Students admitted in PG course shall take choice based open elective courses offered by the Departments/ Schools, subject to stipulation as to the minimum (10 students) and maximum (50 students) ceiling strengths in each course.

(k) Subject to the availability of seats, the offering department shall notify the list of selected candidates before the commencement of the semester.

IndiaCode

Table 1: Minimum Credits required for various PG Programmes #

Category	Programme	Credits			Total Credits	Maximum Duration in years)
		CC	SE	OE		
I.	One Year PG programmes	30	08	02	40	02
II.	Two Year PG programmes	60	16	04	80	04
III.	Three Years PG programmes	90	24	06	120	05

A programme governed by National Regulatory Body / Professional Council shall follow the minimum standards and credit requirements as prescribed by the concerned regulatory Body/ Professional Council.

* 08 credits can be reserved for project work, if any.

** If required, 2-4 credits can be assigned for internship/project/ term work etc.

Credits Structure for various Under Graduate Programmes:

(a) Total credits for any under-graduate programmes inclusive of Core, Discipline specific elective and Open Elective Courses and project work shall be as specified in Table 2.

(b) The distribution of credits for various course types (CC/SE/OE/Project) shall be as specified by Board of Studies.

(c) A Core course cannot be substituted by any other course. Core courses shall carry usually 4-6 credits per course. However, as per requirement of a curriculum, a Core course may be assigned 2 to 5 credits.

(d) The number of Core courses in a semester and for entire UG programme shall be decided by the Board of Studies of the concerned department. However, total credits for entire programme for Core courses shall be as prescribed in Table 2.

(e) Each first degree under-graduate programme (e.g. B.A., B.Sc., B.Com. B.B.A., B.C.A., B.F.A. etc.) should consist of Foundation Courses as Ability Enhancement Courses.

(f) Each under-graduate programme shall consist of discipline specific electives and skill enhancement courses.

Scheme for B.Sc., B.A., and B. Com. Programmes:

1. Foundation Courses (FC):

These courses shall be known as Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC) and will consist of two courses of 02 credits each.

(i) English/MIL Communication — 02 Credits

(ii) Environmental Studies — 02 Credits

These courses will be offered in the I and II Semester of the programme.

2. Core Courses (CC):

These courses will be in the form of 05/10 courses of 06/03 Credits each of 03 disciplines (subjects) of choice. However, in disciplines involving practical/ project/ field study, the courses may have 06/04/02 credits for the combination of theory and practical classes.

3. Skill Enhancement Courses (SEC):

These courses may be chosen from a pool of courses designed to promote value based and/ or skill based knowledge. The students must opt 04 courses from any of the three disciplines of choice. Each course shall be of 02 Credits.

4. Discipline Specific Elective Courses (DSE):

The student shall opt for discipline specific elective course from a pool of courses offered by each department such that he/she chooses one course from each discipline of choice.

Table 2: Minimum Credit Required for various UG Programmes #

Category	Programme	Credits				Total Credits	Maximum Duration (in years)
		FC	CC	SEC	DSE		
I.	Three Year UG programmes (B.A./ B.Sc./ B.Com.)	04	90	08	18	120	05

A programme governed by National Regulatory Body / Professional Council shall follow the minimum standards and credit requirements as prescribed by the concerned regulatory Body/ Professional Council.

* 08 credits can be reserved for project work, if any.

** If required, 2-4 credits can be assigned for internship/project/field work/traning etc.

Syllabi Structure:

(a) Every course must be specified as Foundation Course (FC), Core course (CC), Discipline Specific Elective (DSE) and Skill Enhancement Course (SEC). Project work/ Seminar/ Field Work/ Internship/ Training shall be treated as Core Course.

(b) While Core Courses may be basic and fundamental in nature, the Elective Courses shall be advanced and specialized in nature. Open elective courses should be designed with a view to provide exposure to the students in the unrelated disciplines.

(c) Each course shall have a character code which indicates (i) Name of the Department (ii) concerned Semester, (iii) the nature of the Course (CC: Core Course; DSE: Discipline Specific Elective; OE: Open Elective) and (iv) The Course Number.

(d) Course structure and detailed syllabus for each UG/PG programme shall be approved by the Board of Studies, School Board and Academic Council.

(e) New Core or Elective course proposed by a faculty should first be approved by the Board of Studies of the respective department and then it will be placed before the School Board and Academic Council for approval.

(f) Core and Elective courses may be unitized into 04-06 units as per convenience of the Department.

Registration for a Course under CBCS:

(a) After getting admission in any programme students shall register themselves for a set of courses in a prescribed registration card with advice from faculty members of the Department. The format of registration card shall be notified in regulation;

(b) Students shall have to register him/ her for courses and credits during the first week of semester;

(c) Each Department shall notify a list of all the courses offered (CC/SEC/OE) specifying the credits with L: T: P format, the prerequisites and the time slot shall be displayed on notice board of Department;

(d) For each student three copies of registration cards shall be made, one shall be kept in Department and other to be sent to the Academic Section (DOAA). A copy of the registration card may be provided to student and the corresponding open elective department;

(e) Each Department shall prepare a consolidated list of students registered for open electives in the Department. Similarly, department shall prepare a list of their own students who have registered for open electives in other departments;

(f) Department shall also prepare a consolidated list of courses registered by the candidates during each semester;

(g) Faculty Advisor shall provide counseling to the students for registration in Elective Courses available in the department;

(h) The maximum number of students registered for an Elective Course shall be decided by the Board of Studies of the department in view of the availability of class room and laboratory;

(i) The registration for open electives will be made on first-come-first served basis provided students fulfill the prerequisite for the course, if any; and

(j) For an open elective, examination and evaluation shall be done by offering department; however, performance report of the candidate shall be given to parent department.

ORDINANCE NO: 23(B)***

THE AWARD OF THE DEGREE OF

DOCTOR OF SCIENCE (D. Sc.), DOCTOR OF LETTERS (D. Litt.), AND DOCTOR OF LAWS (LL. D.)

IndiaCode

Existing	Amendment	After Amendment
1. ELIGIBILITY 1.1. A candidate seeking admission to D. Sc./ D. Litt./ LL. D. programme of the University, must have pursued outstanding research in the concerned discipline and obtained the minimum qualifications required for admission as mentioned below. The candidate must have obtained a Ph. D. or an equivalent degree from this University, in the concerned discipline, at least 5 (five) academic years prior to the date of application, OR must have obtained a Ph. D. or an equivalent degree from any other recognized university or from a foreign university of standing, in the concerned discipline, at least 5 (five) academic years prior to the date of application, OR must be a permanent teacher of the this University, who has put in a minimum of 5 (five) years of service in that capacity, in this University, prior to the date of application, and has obtained a Ph. D. or an equivalent degree from this or from any other recognized university or from a foreign university of standing, in the concerned discipline.	**No Change**	**1. ELIGIBILITY** 1.1. A candidate seeking admission to D. Sc./ D. Litt./ LL. D. programme of the University, must have pursued outstanding research in the concerned discipline and obtained the minimum qualifications required for admission as mentioned below. The candidate must have obtained a Ph. D. or an equivalent degree from this University, in the concerned discipline, at least 5 (five) academic years prior to the date of application, OR must have obtained a Ph. D. or an equivalent degree from any other recognized university or from a foreign university of standing, in the concerned discipline, at least 5 (five) academic years prior to the date of application, OR must be a permanent teacher of the this University, who has put in a minimum of 5 (five) years of service in that capacity, in this University, prior to the date of application, and has obtained a Ph. D. or an equivalent degree from this or from any other recognized university or from a foreign university of standing, in the concerned discipline.

2. APPLICATION 2.1 A candidate, who is seeking admission to D. Sc./ D. Litt./ LL. D. programme and who is eligible for admission in accordance with Clause 1.1 of these Ordinance, shall apply to the Controller of Examinations by submitting the following: His/her bio-data giving the details of educational qualifications, fields of specialization, research experience, academic distinctions, etc., along with a passport size photograph. Title of the thesis. A brief account of his/her recent research work, in about 1000 words on the subject relevant to the discipline in which he/ she has applied for admission to D. Sc./D. Litt./LL. D. programme, showing how far his/her work is original and is contributory to the advancement of knowledge. List of publications. Attested copies of certificates in support of qualifications and experience. 2.2 The last date for submission of the application form shall be 31st July in an academic year. 2.3 The Controller of Examinations shall send the application of the candidate to the concerned School/Centre within a week after the last date of the submission of application.	**No Change**	**2. APPLICATION** 2.1 A candidate, who is seeking admission to D. Sc./ D. Litt./ LL. D. programme and who is eligible for admission in accordance with Clause 1.1 of these Ordinance, shall apply to the Controller of Examinations by submitting the following: His/her bio-data giving the details of educational qualifications, fields of specialization, research experience, academic distinctions, etc., along with a passport size photograph. Title of the thesis. A brief account of his/ her recent research work, in about 1000 words on the subject relevant to the discipline in which he/she has applied for admission to D. Sc./ D. Litt./LL. D. programme, showing how far his/her work is original and is contributory to the advancement of knowledge. List of publications. Attested copies of certificates in support of qualifications and experience. 2.2 The last date for submission of the application form shall be 31st July in an academic year. 2.3 The Controller of Examinations shall send the application of the candidate to the concerned School/Centre within a week after the last date of the submission of application.
3. RESEARCH Degree COMMITTEE (RDC) 3.1 Subject to the general superintendence of the Academic Council, a committee, namely, the RDC shall deal with all matters connected with the D. Sc./ D. Litt./ LL. D. programme of the University in accordance with this Ordinance. However, the degree to be awarded shall be formally approved only by a Research Degree Committee, whose constitution is as follows. 3.2 The constitution of the Research Degree Committee shall be as follows: Vice-Chancellor Chairman Pro Vice-Chancellor Member Dean	**To be deleted**	**Deleted**

IndiaCode

of school concerned The Head of the Department concerned Member Two expert members out of which one member is Members nominated by the Vice-Chancellor and another is by the Advisor of the concerned candidate Registrar Secretary		
4. ADMISSION		
4.1 The RDC shall scrutinize the applications of the candidates and shall recommend the eligible candidates for admission, to the Academic section of the University. The RDC shall also send the list of the names of the Advisors of the candidates to the Academic section for communicating to the concerned candidates.	4.1 The BoS shall scrutinize the applications of the candidates seeking admission to the D.Sc./D.Litt./LL.D. programme. The BoS atleast with one external member will conduct the interview of shortlisted candidates and will recommend the names of the candidates after assessing the potential, to the Academic Affairs section of the University	4.1 The BoS shall scrutinize the applications of the candidates seeking admission to the D.Sc./D.Litt./LL.D. programme. The BoS atleast with one external member will conduct the interview of shortlisted candidates and will recommend the names of the candidates after assessing the potential, to the Academic Affairs section of the University
4.2 The Registrar shall issue the letter of admission to each candidate recommended by the RDC.	4.2 The BoS shall also send the list of names of the Advisors of the candidates to the Academic Affairs section for communicating to the concerned candidates.	4.2 The BoS shall also send the list of names of the Advisors of the candidates to the Academic Affairs section for communicating to the concerned candidates.
4.3 Within one month after the receipt of the letter of admission, the candidate shall pay the prescribed fee as prescribed by the Academic Council from time to time and shall get registered in the concerned Department by filling a registration form.	4.3 The Registrar shall issue the letter of admission to each candidate recommended by the BoS, after approval of the Vice Chancellor.	4.3 The Registrar shall issue the letter of admission to each candidate recommended by the BoS, after approval of the Vice Chancellor.
5. SUBMISSION OF THE THESIS		
5.1 A candidate, admitted to D. Sc./ D. Litt./LL. D. programme in accordance with Clause 4 of this Ordinance, shall deliver a pre-submission seminar in the Department before the submission of the thesis, which shall be arranged by the Advisor of the candidate to apprise the teachers and other research workers of the Department/ School of his/ her work.	A candidate admitted to D. Sc./ D. Litt./LL. D. programme shall deliver a pre-submission seminar in the Department before the BoS of the concerned department wherein at least one external member of BoS must be present. The seminar shall be arranged by the Advisor of the candidate. Based on the recommendations of the BoS, candidate shall be permitted to submit the thesis.	A candidate admitted to D. Sc./D. Litt./ LL. D. programme shall deliver a pre-submission seminar in the Department before the BoS of the concerned department wherein at least one external member of BoS must be present. The seminar shall be arranged by the Advisor of the candidate. Based on the recommendations of the BoS, candidate shall be permitted to submit the thesis.
5.2 The candidate, within one year from the date of his/ her admission, shall submit the thesis to the Registrar approved by the RDC, and duly forwarded by its Chairman.	The candidate may submit the thesis after two years from the date of admission. He/she must submit the thesis within five years from the date of admission otherwise his/her candidature shall be cancelled.	The candidate may submit the thesis after two years from the date of admission. He/she must submit the thesis within five years from the date of admission otherwise his/her candidature shall be cancelled.

IndiaCode

5.3 The candidate shall submit the thesis as per the following guidelines: Five copies of the thesis in hardbound form as per the format given in Annexure – A. The title page of the thesis shall contain a statement that the thesis has been submitted for the award of the concerned degree for which the candidate has been admitted. A soft copy in CD of the Extended Abstract of the thesis mentioned in Annexure – A. A declaration by the candidate that the thesis has not been submitted for any other degree or diploma, as per the format given in Annexure – B. A certificate from the Advisor, Head of the Department and the Dean of the School that the thesis has been submitted for the award of the concerned degree of the University, as per the format given in Annexure – C. The thesis shall be either in English or in Hindi except for the case where the subject of the thesis itself is a language. In such a case, the thesis may, at the option of the candidate, be in that specific language.	**No Change**	5.3 The candidate shall submit the thesis as per the following guidelines: Five copies of the thesis in hardbound form as per the format given in Annexure – A. The title page of the thesis shall contain a statement that the thesis has been submitted for the award of the concerned degree for which the candidate has been admitted. A soft copy in CD of the Extended Abstract of the thesis mentioned in Annexure – A. A declaration by the candidate that the thesis has not been submitted for any other degree or diploma, as per the format given in Annexure – B. A certificate from the Advisor, Head of the Department and the Dean of the School that the thesis has been submitted for the award of the concerned degree of the University, as per the format given in Annexure – C. The thesis shall be either in English or in Hindi except for the case where the subject of the thesis itself is a language. In such a case, the thesis may, at the option of the candidate, be in that specific language.
5.4 The work of the candidate shall comply with the following conditions to merit the award of the degree: (a) It must be a substantial work making a distinct addition to learning in the concerned subject of the discipline. (b) It must be original in the sense of opening up new fields of research, or of making a marked advancement on the results of previous investigations, or of giving a new interpretation of the facts already known. (c) It must be a scholarly work of high quality. (d) It must be the work done during the last five years before the submission of the thesis. (e) It must be the work published in reputed journals in the form of research papers and/ or published	**No Change**	5.4 The work of the candidate shall comply with the following conditions to merit the award of the degree: (a) It must be a substantial work making a distinct addition to learning in the concerned subject of the discipline. (b) It must be original in the sense of opening up new fields of research, or of making a marked advancement on the results of previous investigations, or of giving a new interpretation of the facts already known. (c) It must be a scholarly work of high quality. (d) It must be the work done during the last five years before the submission of the thesis. (e) It must be the work published in reputed journals in the form of research papers and/ or published in the form of books/ monographs, chapter contribution to

IndiaCode

in the form of books/ monographs, chapter contribution to books/monographs, etc., out of which at least two must be authored solely by the candidate. (f) It must not be the work, which has been previously submitted for a degree or a diploma in this or in any other University.		books/ monographs, etc., out of which at least two must be authored solely by the candidate. (f) It must not be the work, which has been previously submitted for a degree or a diploma in this or in any other University.
6. EXAMINATION 6.2 Panel of Examiners: While forwarding the thesis of the candidate to the Academic Section of the University, the RDC shall recommend a panel of examiners of six experts in the concerned area of the work submitted from out of state of Madhya Pradesh.	Panel of Examiners: The BoS shall recommend a panel of six experts in the concerned area of the work to the Academic Affairs section.	Panel of Examiners: The BoS shall recommend a panel of six experts in the concerned area of the work to the Academic Affairs section.
6.3 Board of Examiners: On receipt of the panel of the examiners, the Academic Section shall forward the same to the Controller of Examinations, who in turn shall submit it to the Vice-Chancellor for the appointment of the Board of Examiners from the panel. The Board of Examiners shall consist of two members.	**No Change**	Board of Examiners: On receipt of the panel of the examiners, the Academic Section shall forward the same to the Controller of Examinations, who in turn shall submit it to the Vice-Chancellor for the appointment of the Board of Examiners from the panel. The Board of Examiners shall consist of two members.
6.4 Evaluation of Thesis: (a) The controller of examinations shall get in touch with each examiner to ensure acceptance of the examiner ship. For this purpose, if e-mail address of the examiner is available, he/ she shall be contacted through e-mail and the soft copy of the Extended Abstract of the thesis may be sent to him/ her, to get his/ her consent at the earliest. If however, no information is received from an examiner within a reasonable time, his/ her appointment shall be cancelled and a new examiner shall be appointed from the existing panel of examiners in accordance with Clause 6.3. (b) On receipt of the acceptance from an examiner, the Controller of Examinations shall forward the copy of the thesis to him/ her, along with a copy of the regulations relating to the award of the D. Sc./ D. Litt./ LL. D. degree of this University and take necessary action to get the report of the examiner expeditiously.	**No Change**	**6.4 Evaluation of Thesis:** (a) The controller of examinations shall get in touch with each examiner to ensure acceptance of the examiner ship. For this purpose, if e-mail address of the examiner is available, he/ she shall be contacted through e-mail and the soft copy of the Extended Abstract of the thesis may be sent to him/ her, to get his/ her consent at the earliest. If however, no information is received from an examiner within a reasonable time, his/ her appointment shall be cancelled and a new examiner shall be appointed from the existing panel of examiners in accordance with Clause 6.3. (b) On receipt of the acceptance from an examiner, the Controller of Examinations shall forward the copy of the thesis to him/ her, along with a copy of the regulations relating to the award of the D. Sc./ D. Litt./ LL. D. degree of this University and take necessary action to get the report of the examiner expeditiously.

IndiaCode

(c) The examiners shall be requested to submit their individual reports within two months of the receipt of the thesis.		(c) The examiners shall be requested to submit their individual reports within two months of the receipt of the thesis.
(d) In case, an examiner does not send his/her report within the above period, a reminder shall be sent to him/her. This shall be followed by a subsequent reminder after a fortnight.		(d) In case, an examiner does not send his/her report within the above period, a reminder shall be sent to him/her. This shall be followed by a subsequent reminder after a fortnight.
(e) In the event of the report not being received from the examiner within 6 months, his/her examiner ship shall be cancelled and a new examiner shall be appointed, from the existing panel of examiners, as per Clause 6.3.		(e) In the event of the report not being received from the examiner within 6 months, his/her examiner ship shall be cancelled and a new examiner shall be appointed, from the existing panel of examiners, as per Clause 6.3.
(f) The examiners shall examine the thesis specifically with a view to judge whether the work is in accordance with Clause 5.4.		(f) The examiners shall examine the thesis specifically with a view to judge whether the work is in accordance with Clause 5.4.
(g) The examiners shall give explicit reports with any one of the following recommendations :		(g) The examiners shall give explicit reports with any one of the following recommendations :
(i) the thesis be accepted for the award of D. Sc./ D. Litt./ LL. D. degree		(i) the thesis be accepted for the award of D. Sc./ D. Litt./ LL. D. degree
(ii) the thesis be rejected		(ii) the thesis be rejected
(iii) The thesis be submitted in a revised form after adding some more work to the already submitted work.		(iii) The thesis be submitted in a revised form after adding some more work to the already submitted work.
(h) The examiner shall give specific and unambiguous reasons for his/ her recommendations. If the thesis is recommended for revision, the examiner may suggest points for improvement of the presented work.		(h) The examiner shall give specific and unambiguous reasons for his/ her recommendations. If the thesis is recommended for revision, the examiner may suggest points for improvement of the presented work.
(i) If the thesis is recommended for revision, the candidate shall be required to submit the revised thesis not earlier than six months and not later than two years, from the date of communication of the report to him/ her by the University. The candidate shall be required to remit only the Examination fee for submitting the revised thesis.		(i) If the thesis is recommended for revision, the candidate shall be required to submit the revised thesis not earlier than six months and not later than two years, from the date of communication of the report to him/ her by the University. The candidate shall be required to remit only the Examination fee for submitting the revised thesis.
(j) If the thesis has been recommended for revision, a fresh appointment of examiners in accordance with Clause 6.3 shall be made from the existing panel of examiners. If the need be, a fresh panel of examiners may be recommended by the RDC. The other procedures as per the Clauses 6.4 (a) to (f) shall be		(j) If the thesis has been recommended for revision, a fresh appointment of examiners in accordance with Clause 6.3 shall be made from the existing panel of examiners. If the need be, a fresh panel

IndiaCode

followed for the evaluation of the thesis. However, the Controller of Examinations, along with the revised thesis, shall send the copy (copies) of the recommendation(s) of the examiner(s) who recommended the revision of the thesis. (k) The examiners who evaluate the revised thesis shall recommend only either the acceptance or the rejection of the thesis and shall not recommend any further revision of the thesis.	(j) If the thesis has been recommended for revision, a fresh appointment of examiners in accordance with Clause 6.3 shall be made from the existing panel of examiners. If the need be, a fresh panel of examiners may be recommended by the BoS. The other procedures as per the Clause 6.4 (a) to (f) shall be followed for the evaluation of the thesis. However, the Controller of Examinations, along with the revised thesis, shall send the copy (copies) of the recommendation (s) of the examiner (s) who recommended the revision of the thesis. **No Change**	of examiners may be recommended by the BoS. The other procedures as per the Clause 6.4 (a) to (f) shall be followed for the evaluation of the thesis. However, the Controller of Examinations, along with the revised thesis, shall send the copy (copies) of the recommendation (s) of the examiner (s) who recommended the revision of the thesis. (k) The examiners who evaluate the revised thesis shall recommend only either the acceptance or the rejection of the thesis and shall not recommend any further revision of the thesis.
6.5 Award of the Degree (a) The reports of all the examiners shall be placed before the concerned RDC. If all the reports are unanimous, recommending the thesis to be accepted for the award of the degree, and if the RDC considers the case to be fit and proper, it shall recommend it for the award of the degree. (b) Even if one examiner recommends the rejection of the thesis, the thesis shall be rejected. (c) If the thesis is rejected, the candidate shall not be allowed to apply again for admission within a period of 4 (four) years. (c) After the Research Degree Committee approves the thesis for the award of the degree, the candidate concerned may be given the examiners' reports for which he/ she shall apply separately. (d) The year of award of the degree shall be the year of submission of the thesis provided the thesis is accepted without revision. In case of revision, the year of award of the degree shall be the year of submission of the revised thesis.	(a) The reports of all the examiners shall be placed before the Vice-Chancellor. If all the reports are unanimous, recommending the thesis to be accepted for the award of the degree, and if the Vice-Chancellor considers the case to be fit and proper, he/she shall recommend it for the conduct of viva-voce. (b) Even if one examiner recommends the rejection of the thesis, the thesis shall be rejected. (c) If the thesis is rejected, the candidate shall not be allowed to apply again for admission within a period of 4 (four) years. **Deleted** (d) The candidate shall be required to defend the thesis in a viva voce before a Board of Examiners consisting of one of the thesis examiner, the Head of the Department concerned and the Advisor.	**6.5 Award of the Degree** (a) The reports of all the examiners shall be placed before the Vice-Chancellor. If all the reports are unanimous, recommending the thesis to be accepted for the award of the degree, and if the Vice-Chancellor considers the case to be fit and proper, he/she shall recommend it for the conduct of viva-voce. (b) Even if one examiner recommends the rejection of the thesis, the thesis shall be rejected. (c) If the thesis is rejected, the candidate shall not be allowed to apply again for admission within a period of 4 (four) years. **Deleted** (d) The candidate shall be required to defend the thesis in a viva voce before a Board of Examiners consisting of one of the thesis examiner, the Head of the Department concerned and the Advisor.

IndiaCode

(e) The degree certificate shall mention the title of the thesis and the name of the concerned Department/ School in which the candidate was admitted.	(e) The report of the viva voce examination will be placed before the Vice-Chancellor, who after satisfactory report of the viva voce may permit the award of the degree to the candidate.	(e) The report of the viva voce examination will be placed before the Vice-Chancellor, who after satisfactory report of the viva voce may permit the award of the degree to the candidate.
(f) The Academic Section shall send one copy of the thesis duly approved for the award of the degree, for preserving in the library of the University and the other in the departmental/ faculty library.	(f) The year of award of the degree shall be the year of the successful completion of the viva-voce. (g) The Academic Section shall send one copy of the thesis duly approved for the award of the degree, for preserving in the library of the University and the other in the departmental/ faculty library.	(f) The year of award of the degree shall be the year of the successful completion of the viva-voce. (g) The Academic Section shall send one copy of the thesis duly approved for the award of the degree, for preserving in the library of the University and the other in the departmental/ faculty library.
7. Notwithstanding anything contained in these Ordinances, all matters related to the candidates shall be governed by the rules and procedures framed by the Academic Council that are in force at that point of time.	**No Change**	7. Notwithstanding anything contained in these Ordinances, all matters related to the candidates shall be governed by the rules and procedures framed by the Academic Council that are in force at that point of time.
8. From the date when these Ordinances come into operation, all previous Ordinances on the subject shall cease to have effect. Provided that this revocation shall not affect the previous Ordinances so revoked or anything done or suffered under any previous Ordinances so revoked or affect any right, privilege, obligation or liability acquired, arrived or incurred under any Ordinances so revoked.	**No Change**	8. From the date when these Ordinances come into operation, all previous Ordinances on the subject shall cease to have effect. Provided that this revocation shall not affect the previous Ordinances so revoked or anything done or suffered under any previous Ordinances so revoked or affect any right, privilege, obligation or liability acquired, arrived or incurred under any Ordinances so revoked.
9. Any doubt or dispute about the interpretation of these Ordinances shall be referred to the Vice-Chancellor, whose decision, in his capacity as the Chairman, Academic Council, shall be final. The Vice-Chancellor may modify, amend and/ or delete any of the clauses given in these Ordinances or add any clause(s) to these Ordinances, to facilitate the	**No Change**	9. Any doubt or dispute about the interpretation of these Ordinances shall be referred to the Vice-Chancellor, whose decision, in his capacity as the Chairman, Academic Council, shall be final. The Vice-Chancellor may modify, amend and/ or delete any of the clauses given in these Ordinances or add any clause(s) to these Ordinances, to facilitate the pursuit of excellence in research, provided that any such modification, amendment, deletion, and addition shall be reported to

IndiaCode

pursuit of excellence in research, provided that any such modification, amendment, deletion, and addition shall be reported to the Academic Council at its next meeting for approval.		the Academic Council at its next meeting for approval.

ORDINANCE-33**

Existing	Amended
DEPARTMENTS OF STUDIES AND DUTIES OF DEPARTMENT **(Under Statute 15(5) (b) of the Central Universities Act, 2009)**	**CONSTITUTION, FUNCTIONS AND DUTIES OF THE DEPARTMENTS IN THE SCHOOL** **(Under Statute 15(5) (b) of the Central Universities Act, 2009)**
1. Members nominated:	**Constitution of the Department**
(1) Two teachers (Conveners UG and PG Programs) of the University who are experts in allied or cognate subject dealt within the Department to be nominated by the Academic Council for a period of two years, provided that no such teacher shall be nominated as a member of more than two Departments.	Each Department in a School shall consist of the members as given in the Statutes (15(5) (b) and also such other persons as are designated members of the Department by the School Board concerned on the recommendations of the Department concerned.
(2) Not more than two persons, not engaged in teaching in the University and having expert knowledge of the subject or subjects dealt within the Department of Centre, may be nominated as members **by the Board of the School** concerned for a period of two years.	**Deleted**
2. Duties of the Departments of Centre: The Duties of a Department shall be:	
(a) to recommend to the Board of the School concerned names of examiners in respect of the subject or subjects dealt with by the Department as the case may be;	**Deleted**
(b) to recommend to the admissions Committee (Committee for Advanced Studies and Research) applications for candidates for admission to the research degree along with details of the subjects to be assigned to the candidates and the names of the teachers in the Department to be appointed as Supervisor;	**No Change**
(c) to approve the subjects for dissertations at the Master's level.	No Change

IndiaCode

(d) To approve the pattern and schedule of seasonal evaluation for each course offered by the Department ;	No Change
(e) To allocate teaching work to the teachers and frame the time-table in accordance with the general time-table of the School or Schools concerned and the university;	No Change
(f) To make proposals regarding the creation and abolition of teaching posts;	No Change
(g) To make proposals to the Committee for Advanced Studies and Research regarding research projects to be taken up by the members of the Department or Centre, as the case may be, either individually or in groups;	No Change
(h) to recommend to the Board concerned courses of studies;	to recommend to the Board of Studies concerned the courses of studies;
(i) to approve syllabi and prescribe text-books for the courses of study;	to recommend to the Board of Studies syllabi and text-books for the courses of study;
(j) to appoint from amongst its teachers advisers to students; and	No Change
(k) to perform such other functions as may be assigned to it by the School concerned.	No Change
3. Quorum: The quorum for a meeting of a Department or Centre shall be one-third of the total members of the Department, as the case may be.	No Change

IndiaCode

ORDINANCE-34**

APPOINTMENT OF EXAMINERS

(Under Section 28 (1) (g) of the Act and

Statute 12(2)(xiv)] of the Statutes of the Central Universities Act, 2009)

Existing	Amended
I. Continues Assessment and End-Semester Examinations of the University: Continuous assessment and end semester examinations of the University shall be conducted by the faculty member concerned who will	**Deleted and substituted by :** **1. Mid-Semester Examination and Continuous Assessment:** Mid semester examinational and Continuous

also decide the format of the examination after consultation and approval of the Head of the Department / Dean of School concerned.	assessment shall be conducted by the **Course Coordinator** concerned who will also decide the format of the examination after consultation and approval of the Board of Studies/Dean of School concerned. **2. End Semester Examination:** Examiners for end-semester examinations shall be appointed by Board of Studies. Board of Studies can constitute a sub committee comprising three faculty members from amongst its member for recommending the names of examiners. The examiners so recommended shall be appointed as per Guidelines issued by UGC from time to time.
II. For University Entrance Examination: The examiners for entrance examinations (if conducted) for admission to various Programmes of the University shall be appointed by the Vice-Chancellor on the basis of the recommendations of the Deans of the Schools concerned who will also recommend the syllabus and format for the same. However, wherever common entrance exam is conducted by a Central University, the participating Universities will decide the norm of evaluation.	No Change However, it is numbered as 3.

IndiaCode

ORDINANCE-39*

ADMISSION, ENROLLMENT, MIGRATION AND TRANSFER OF STUDENTS

(Under Section 28 (1) (0) of the Central Universities Act, 2009)

1. Admission:

No student shall be eligible for admission to any Under-Graduate or Post-Graduate Program of study under this University on migration from any other University or Board unless he has passed the equivalent examination or examinations of the University or Board as prescribed by the Ordinances for admission to the concerned Program/s by this University.

The application for admission must be supported by:

(a) A migration/no objection certificate from the concerned University/ Board; and

(b) A certificate from the Principal of the College last studied testifying the record of attendance and conduct of the student.

Provided that the application of a student who has not completed his program of study and has not appeared at the examination for which he was reading in any other University or Board in India shall be considered for admission in a program of this University whose pattern and syllabi are similar to that Course/ Program studied by him in the former University/Board.

2. Enrollment:

The University shall assign an enrollment number to every student admitted to privilege of the University.

3. Transfer:

Transfer of a student from one affiliated College to another (wherever applicable) during a particular program of study shall be permitted only on the production of:

(i) A transfer/no objection certificate issued by the Principal of the College from which the migration is sought;

(ii) Certified copies of the report of attendance against his name in the register of students of the College concerned; and

(iii) A certificate from the University / College testifying to the conduct of the student.

ORDINANCE-42*

COURSES OF STUDY

(Under Section 28 (b) of the Central Universities Act, 2009)

1. There shall be courses/programs of study in the University for the Degrees in various Schools/Departments/Centers as under:

A - Under Graduate Programs

S. No.	Abbreviation	Nomenclature	Level	Minimum Duration		Eligibility
				Years	Semesters	
01	B.A.	Bachelor of Arts	UG	03	06	10+2
02	B.Com.	Bachelor of Commerce	UG	03	06	10+2
03	B.Sc.	Bachelor of Science	UG	03	06	10+2
04	LL.B.	Bachelor of Laws	UG	03	06	UG
05	B. Pharm.	Bachelor of Pharmacy	UG	04	08	10+2
06	B. Lib. I. Sc.	Bachelor of Library and Information Science	UG	01	02	UG
07	B.J.M.C.	Bachelor of Journalism and Mass Communications	UG	01	02	UG
08	B.B.A.	Bachelor of Business Administration	UG.	03	06	10+2
09	B.C.A.	Bachelor of Computer Applications	UG.	03	06	10+2 with Maths at 10+2 Level
10	B.F.A.	Bachelor of Fine Arts	UG	04	08	10+2
11	B.A.-B.Ed.	Bachelor of Arts and Bachelor of Education (Four-year Integrated Program)	UG	04	08	10+2
12	B.Sc.-B.Ed.	Bachelor of Science and Bachelor of Education (Four-year Integrated Program)	UG	04	08	10+2
13	B. A. LL.B. (Hons.)	Bachelor of Laws (Five-year Integrated Program)	UG	05	10	10+2

IndiaCode

B - Post Graduate Programs

01	M.A.	Master of Arts	PG	02	04	UG
02	M.Sc.	Master of Science	PG	02	04	UG
03	M.Com.	Master of Commerce	PG	02	04	B.Com.
04	M.J.M.C.	Master of Journalism and Mass Communication	PG	02	04	B.J.M.C.
05	LL.M.	Master of Law	PG	02	04	UG in Law
06	M.B.A.	Master of Business Administration	PG	02	04	UG
07	M. Pharm.	Master of Pharmacy	PG	02	04	B. Pharm.
08	M. Tech.	Master of Technology	PG	03	06	UG
09	M.C.A.	Master of Computer Applications	PG	03	06	UG with Maths at 10+2 level
10	M. Lib. I. Sc.	Master of Library and Information Science	PG	01	02	B. Lib. I. Sc.
11	M.Ed.	Master of Education	PG	01	02	B.Ed.
12	M.P.A.	Master of Performing Arts	PG	02	04	UG
13	M.S.W.	Master of Social Work	PG	02	04	UG

C - Research Programs:

01	Ph.D.	Doctor of Philosophy	Research	03	06	PG

IndiaCode

2. The Academic Council may modify and provide additional eligibility condition for any program.
3. There will be a National Level Entrance Test for admission to all the programs.
4. The Regulations in respect of all the Programs listed above shall be framed by the Academic Council.
5. In addition to the above the Academic Council shall have the power to introduce, modify or discontinue a program on the recommendations of the concerned School Committee.
6. The percentage of marks/CGPA as prescribed in the minimum eligibility criterion and allotted seats shall be approved by the Academic Council from time to time.
7. The Degrees/Diplomas/Certificates as decided by the University in the minimum eligibility conditions shall be from those Universities/ Institutions/ Boards which have been recognized by the University/UGC.

ORDINANCES-53**

Existing	Amended.
LIBRARY COMMITTEE **(Under Statute 21 (1) of the Statutes of the Central Universities Act 2009)** There shall be a standing committee of the Academic Council called the Library Committee. **The Library Committee shall consist of the following:**	**LIBRARY COMMITTEE** **(Under Statute 21 (1) of the Statutes of the Central Universities Act 2009)** There shall be a standing committee of the Academic Council called the Library Committee. **The Library Committee shall consist of the following:**

a. Vice-Chancellor or his nominee- Chairman	No Change
b. Deans of Schools	No Change
c. Dean Students Welfare	No Change
d. Chairman of U. G./P. G. Programs from each of the Schools,	One Professor from each of the Schools to be nominated by the Vice-Chancellor
e. Two Research scholars, including M. Phil students and two Post-Graduate students, to be nominated by the Vice-Chancellor.	Deleted
f. Librarian (Ex-officio member and Secretary)	No Change
The nominated members under (d) and (e) shall hold office for three years and one year respectively, and shall be eligible for reappointment. One third of the members shall form a quorum.	The term of office of the members of the University Library Committee, other than the ex-officio members, shall be one calendar year.
Subject to the general control of the Academic Council, the duties and functions of the Library Committee shall be:	No Change
a. To frame general rules for the management of the Library;	a) Exercise general supervision over the University Central Library, and all the other Libraries of the University.
b. To advise the Librarian regarding general library development;	b) Frame Regulations for the management and use of the Libraries, subject to the approval of the Academic Council.
c. To prepare the annual budget estimate of the library for submission to the Executive Council.	c) allocated funds to various Departments, assess the requirements of the Library and other Libraries and frame budget to be submitted to the Authorities concerned;
d. To allocate funds, from the sanctioned annual budget of the library, to the Schools, Departments and Centers Studies for the purchase of books, journals and periodicals;	d) submit to the Academic Council of the working of all the Libraries of the University annually;
e. To arrange for the stock taking of the library;	e) recommend to the Executive Council the creation of any new post in the Libraries and;
f. To prepare and submit to the Academic Council, an Annual Report summarizing the activities and achievements of the library;	f) Formulate and administer proposals concerning the development of libraries of the University.
g. To perform such other duties as may be assigned to it by the Vice-Chancellor.	4. The Committee shall meet at least twice in a year.
	5. One-third of the total number of members shall constitute the quorum for a meeting of the Committee.
	6. The convener shall issue to each member a Notice convening the meeting and a copy of the Agenda at least seven days before each Ordinary Meeting of the Committee. In case of the Extra ordinary Meeting, the notice and agenda has to be sent at least 24 hours before the meeting.

IndiaCode

ORDINANCE-55**

ACADEMIC PROGRAMME COMMITTEE.

(Under Statute 21 (1) of the Statutes of the Central Universities Act 2009)

1. There shall be a Standing Committee to the Academic Council called Academic Programme Committee.

2. The Academic Programme Committee (APC) shall consist of the following:

 (a) Vice-Chancellor – Chairman.

 (b) All Deans of Schools.

 (c) The senior most Professor of the University.

 (d) Dean of the Student Welfare.

 (e) The Director of Faculty Affairs

 (f) The Director of Academic Affairs – Convener

3. The APC has the following powers of the Academic Council:

 (i) To prescribe qualifications for admission to various courses, to determine the intake of students in each course and to fix various external examination centers and other matters relating to the admission of the students.

 (ii) To recognize examinations, degrees, diplomas of other Universities and educational bodies as recommended by the equivalence committee for the purpose of admission to various programmes of the University.

 (iii) To consider the special cases of relaxation and deviation from the rules framed by the Academic Council and to make suitable recommendations.

 (iv) To approve the syllabi of various programmes of studies as recommended by concerned Boards of Studies and School Boards.

 (v) To consider the minutes of the School Boards/ Boards of Studies and to make suitable recommendations to the Academic Council.

 (vi) To approve the Academic Calendar of the University.

 (vii) To administer and manage all aspects of the Academic Programmes.

 (viii) To consider any other matter referred to it by the Vice-Chancellor or the Academic Council.

4. The APC shall meet at least twice in a year preferably 3 days before the meeting of the Academic Council.

4.1 At least 3 days notice should be given for the meeting of the APC and quorum for the meeting shall be half of the total members of the APC.

4.2 The Vice-Chancellor shall preside over the meeting of the APC. However, in his absence, the Pro-Vice-Chancellor or the Senior Most Professor available on duty shall act as the Chairman.

4.3 The Deputy Registrar/Assistant Registrar, Academic Affairs shall be the non-member Secretary of the APC.

ORDINANCE 57****

ON MEDALS FROM ENDOWMENT FUNDS

(Under section 28(m) of the Central Universities Act 2009)

1.	Short Title:	Each Endowment shall be known after the person as specified by the donor.
2.	Amount of Endowment :	A minimum of Rs. 1,00,000/-(Rupees One Lakh) only
3.	Manner by which the Endowment will be invested:	The amount of Rs. 1,00,000/-(Rupees One Lakh) shall be invested in a long term fixed deposit linked with a Savings Bank Account with a Nationalized Bank or any other Government Financial Institution in any suitable scheme, so that the interest accrued thereon is utilized for the award of a Medal.
4.	Purpose of the Endowment :	The accrued interest of the Endowment from its Fixed Deposit Account for each year should be drawn rounded to nearest hundred rupees (from the Savings Bank Account) and should be utilized for the award of a Medal.
5.	Mode of Selection:	Medal will be awarded to the candidates securing maximum marks (1st Rank) at the Final University examination in the year of award in the discipline(s) specified by the donor.
6.	Time of Award:	The Medal shall be awarded in the Ceremony on 'Gour Jayanti' on 26th November each year along with a citation. The citation in this regard shall be prepared by the Controller of Examinations of the Vishwavidyalaya.
7.	Value of the Medal:	The value of the Medal awarded in a particular year shall be limited to 75 percent of the interest earned on the principal of the preceding year. The balance amount is to be added to the principal.
8.	Period from which the Fund will be operated:	The first award of the Medal shall start after one year of the investment made after receipt of the endowment fund of the provided the result of the discipline in which the medal is to be awarded has been declared failing which medal shall be awarded in the succeeding year along with the award due in the next year.
9.	Custodian of the Endowment	The Finance Officer of the Vishwavidyalaya shall be the custodian of the Endowment Fund. S/he shall maintain all accounts in respect of the Endowment Funds.

Colonel RAKESH MOHAN JOSHI (Retd), Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./118/18-19]

* Reframed by the Executive Council in its 16th meeting dated 14.05.2015 as per the advice of the UGC and approved by the President of India in his capacity as Visitor of the Vishwavidyalaya, vide Id Note No. CIII- 07027/1/2016-CA-III dated 21.03.2018 as communicated by the MHRD vide letter No. F. 56- 5/2016- CU. IV Dated: 26.03.2018

** Framed/Amended by the Executive Council in its 17th meeting dated 25.08.2015 and approved by the President of India in his capacity as Visitor of the Vishwavidyalaya vide Id Note No. CIII-07027/1/2016-CA-III dated 21.03.2018 as communicated by the MHRD vide letter No. F. 56- 5/2016- CU. IV dated: 26.03.2018

*** Framed/amended by the Executive Council in its 19th meeting dated 09.07.2016 and approved by the President of India in his capacity as Visitor of the Vishwavidyalaya vide Id Note No. CIII-07027/1/2016-CA-III dated 06.07.2017 as communicated by the MHRD vide letter No. F. 56-5/2016- CU. IV dated 13.07.2017

**** Framed by the Executive Council in its 20th meeting dated 07.12.2016 and approved by the President of India in his capacity as Visitor of the Vishwavidyalaya vide Id Note No. CIII-07027/1/2016-CA-III dated 06.07.2017 as communicated by the MHRD vide letter No. F. 56-5/2016-CU. IV dated 13.07.2017

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.06.28 16:50:19 +05'30'